ग्रामीण विकास को समर्पित

कुरुक्षेत्र

50 अंक : 10 अगस्त 2004 मूल्य : सात रुपये

बजट 2004-2005

ग्रामीण विकास को प्राथमिकता

पिछड़े राज्यों के विकास पर बल

रेल बजट

कृषि बीमाः अतीत और वर्तमान

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण की भूमिका

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोज़गार की संभावनाएं

बी.पी.एल. परिवार और जीवन-रक्षण सुविधाएं

हृदय रोगः कारण और बचाव

मां का दूध ही सर्वोत्तम आहार

भारत में ग्रामीण विकास : एक सिंहावलोकन

जिला स्तर पर लोगों के जरिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों की तीव्र एवं प्रभावी सुपुर्दगी के जरिए विकेंद्रीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण विकास की कार्यनीति में एक प्रतिमानात्मक बदलाव हुआ है ताकि ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को और अधिक तीव्र बनाया जा सके। चूंकि कार्यक्रमों की योजना बनाने, इसे तैयार करने एवं निष्पादित करने में पंचायती राज संस्थाओं एवं स्व–सहायता समूहों के जरिए लोगों की भागीदारी पर बल दिया गया है, इसलिए अधिकांश ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। वर्तमान में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को निधियां रिलीज की जाती हैं। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मंत्रालय के अनुभव के आधार पर और संविधान में उल्लिखित विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुसरण में, राज्य सरकारों के परामर्श से यह प्रक्रिया समुचित समय में बनाई गई है। हाल ही में संपन्न मुख्यमंत्रियों एवं ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में, माननीय प्रधानमंत्रीजी ने जिलों को उनके गरीबी अनुपात के आधार पर ब्लॉक अनुदान प्रदान करने की वैकल्पिक प्रणाली का भी सुझाव दिया ताकि उन कार्यनीतियों की योजना बनाई जा सके एवं उन्हें कार्यान्वित किया जा सके जो उनकी संसाधन क्षमता को बढ़ाती हैं।

समाज के कमजोर वर्गों हेतु आयोग गठित

केंद्र सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन तीन आयोग अर्थात डि–नोटिफाइड जनजातियों, खानाबदोश जनजातियों के विकासात्मक पहलुओं के अध्ययनार्थ राष्ट्रीय आयोग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग तथा निःशुल्क व्यक्ति आयोग गठित किए हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित है।

डि–नोटिफाइड जनजातियों, खानाबदोश एवं अर्ध–खानाबदोश जनजातियों के विकासात्मक पहलुओं के अध्ययनार्थ राष्ट्रीय आयोग नवंबर में रिपोर्ट देगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग वर्ष के जनवरी में अपनी रिपोर्ट देगा। निशुल्क व्यक्ति आयोग प्रतिवर्ष अपना रिपोर्ट देश करता है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार के पांच करोड़ अवसर

दसवीं योजनावधि के दौरान 5 करोड़ रोज़गार अवसर सृजित किए जाने को प्रस्ताव है। इनमें से लगभग 3 करोड़ रोज़गार अवसर सामान्य विकास प्रक्रिया के माध्यम से तथा शेष 2 करोड़ कृषि, सिंचाई, कृषि वानिकी, लघु एवं मझोले उद्यमों, रोजगार सृजन योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। 10वीं योजना में अब तक की उपलब्धियों के आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 2004–05 में किए जाने वाले पंचवर्षीय सर्वेक्षण के पूरा होने के पश्चात ही उपलब्ध होंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 1993–94 तथा 1999–2000 के दौरान किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार सामान्य स्थिति आधार पर देश में अनुमानित रोजगार जो कि वर्ष 1993–94 में लगभग 37.4 करोड़ था, वर्ष 1999–2000 में बढ़कर 39.7 करोड़ हो गया।

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 50 ● अंक : 10

श्रावण–भाद्रपद 1926

अगस्त 2004

संपादक
स्नेह राय

उप संपादक
जयसिंह

संपादकीय पत्र–व्यवहार

संपादक, **कुरुक्षेत्र**
कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23015014,
फैक्स : 011–23015014
तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : dpd@sh.nic.in dpd@pub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी
व्यापार व्यवस्थापक
दूरभाष : 24367260, 2436509, 24365610

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

लेख		
● बजट 2004–2005 : ग्रामीण विकास को प्राथमिकता	हरवीर सिंह	6
● बजट 2004–2005 : पिछड़े राज्यों के विकास पर बल	अनन्त मित्तल	10
● रेल बजट : मुख्य आकर्षण		13
● भारत में ग्रामीण विकास – एक सिंहावलोकन	बलबीर सिंह पुनिया	15
● कृषि बीमा : अतीत और वर्तमान	डा. सत्यपाल सिंह	20
● भारत में ऋणग्रस्तता : कारण, प्रभाव और समाधान	डा. गणेश कुमार पाठक	24
● पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण की भूमिका	डा. सुरेंद्र कटारिया	26
● खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं	अजय वर्मा	29
● उत्तरांचल के विकास में स्वयं–सहायता समूहों की भूमिका	प्रदीप भंडारी	34
● बी.पी.एल. परिवार और जीवन–रक्षण सुविधाएं	कु. नीलिमा अग्रवाल	39
रोजगार		
● स्वरोजगार को बढ़ावा देता वर्मी कंपोस्ट	डा. विनोद कुमार सिंह	41
सफलता की कहानी		
● कृषकों की आर्थिक, सामाजिक उन्नति में चंबल सिंचित क्षेत्र विकास परियोजना की भूमिका	प्रमिला श्रीवास्तव	32
स्वतंत्रता दिवस पर विशेष		
● सफरनामा राष्ट्रीय ध्वज का	कैलाश जैन	42
स्तनपान सप्ताह पर विशेष		
● मां का दूध ही सर्वोत्तम आहार	इंदु जैन	44
स्वास्थ्य–चर्चा		
● हृदय रोग : कारण और बचाव	डा. ओमराज सिंह बिश्नोई	46
पुस्तक चर्चा		
● नीम रोशनी में सब कुछ देखने का प्रयास	राकेश रेणु	48

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में ए.के. दुग्गल, सहायक विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

मत–सम्मत

पानी बिना सब जग सूना

मैंने *कुरुक्षेत्र* जून 2004 अंक पढ़ा। पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आज पानी के वितरण का जो पैमाना है वह बहुत ही चिंताजनक है। जगनारायण व मधु ज्योत्सना का लेख एक उल्लेखनीय ब्योरा दिया गया है कि इजरायल में सिर्फ 25 सेमी औसत वार्षिक वर्षा होती है फिर भी वहां जल का कोई प्रभाव नहीं है तो दूसरी तरफ भारत में 114 सेमी. औसत वार्षिक वर्षा के बावजूद प्रत्येक साल कहीं न कहीं सूखा निश्चित ही हो जाता है। जल प्रबंधन का सही पैमाना न होने के कारण इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। आज जरूरत है राष्ट्रीय जल नीति को मूर्त रूप देने की जिससे कि "कहीं अनाज कहीं सूखा" की समस्या समाप्त हो सके। तभी हम जल ही जीवन के जुमले को साकार कर सकेंगे। निश्चित रूप से इस अंक से लागों में जागरूकता आएगी और वे जल का संरक्षण, कर सकेंगे। यह अंक जल संरक्षण की दिशा में एक नया आधार लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करेगा।

संजय कुमार
पटना–बिहार

जल ही जीवन है

पिछले पांच वर्षों से लगातार यह कहा जा रहा है कि अगला विश्व युद्ध जल के लिए होगा; जून का अंक इसकी पुष्टि करता प्रतीत होता है। हमारे राज्यों के बीच इसकी बकायदा शुरुआत भी हो चुकी है, देखना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप कब लेता है। हम भारतीय मुफ्त में मिली किसी भी चीज का आदर नहीं करते हैं चाहे वह हमारी आजादी हो या फिर प्राकृतिक संसाधन। हमारा व्यवहार इनके साथ क्रूरतम होता है। पेयजल का बढ़ता संकट और पवित्र नदियों का बढ़ता प्रदूषण हमारी देन है। 90 प्रतिशत शहरों के नाले बिना संसाधित किए सीधे नदियों में बहा दिए जाते हैं। गंगा–यमुना का पानी जहरीला हो गया है, कभी पाप तक धोने वाली गंगा आज कूड़ा–कचरा ढोने में असमर्थ हो गई है। यह कितनी शर्म की बात है कि जिन नदियों को हम 'मां' का दर्जा देते हैं उन्हीं में बिना विचारे दुनियाभर की गंदगी डाल देते हैं। आज लोग काल्पनिक सरस्वती नदी की कल्पना करते हैं किंतु यदि हमने अपनी कारगुजारियां बंद नहीं कीं तो हमें गंगा, यमुना को काल्पनिक मानने को तैयार रहना चाहिए। सरकारी प्रयासों की आस छोड़ लोगों को स्वयं जल संरक्षण, नदी संरक्षण के लिए पहल करनी होगी। लोग नदियों में प्लास्टिक न डालें, सीधे नदी में गिरने वाले नालों के खिलाफ स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाएं, वर्षा जल को भूमिगत टैंक बनाकर जमा करें, पास–पड़ोस में कोई खुला नल देखें तो उसे बंद कर दें। लोग सच्चे मन से जल को जीवन मान लें तो समस्या दूर होने में देर नहीं लगेगी।

रोहित कुमार सिंह
कंकड़बाग, पटना (बिहार)

कुशल मार्गदर्शक

मैं आपकी पत्रिका का नया पाठक हूं। पहली ही नजर में पत्रिका मन को भा गई। जून अंक में बढ़ते जलसंकट से जुड़े कई महत्वपूर्ण आलेख पढ़ने को मिले। तेजी से बढ़ती जनसंख्या व पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ते जलसंकट का सबसे बड़ा कारण है। बढ़ती जनसंख्या के कारण न केवल जल संकट उत्पन्न हो रहा है बल्कि प्रकृति का संतुलन ही चरमराने लगा है। यदि समय रहते इस दिशा में हमने सही कदम नहीं उठाया तो भविष्य बड़ा ही कष्टमय साबित होगा। हमें शुद्ध भोजन, जल व शुद्ध हवा तक के लिए मोहताज होना पड़ेगा। अतः आज जरूरत है लोगों में प्रकृति के प्रति जागरूकता लाने की, उन्हें प्रकृति से जोड़ने की। हमें खुशी है कि इस दिशा में *कुरुक्षेत्र* उल्लेखनीय भूमिका निभा रही है। भविष्य में पाठकों का इसी तरह से कुशल मार्गदर्शन करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

नीतीश कुमार निशांत
सरिया गिरिडीह (झारखंड)

दूरदर्शितापूर्ण कदम उठाने होंगे

कुरुक्षेत्र 2004 जून अंक पढ़ा। पर्यावरण, विशेषकर जल संरक्षण पर केंद्रित यह अंक संग्रहणीय एवं उपयोगी है।

यह सत्य है कि आगामी दो दशकों में हमारी पानी की मांग दोगुनी होने की संभावना है और इस मांग को पूरा करने हेतु अभी से दूरदर्शितापूर्ण कदम उठाने होंगे नहीं तो बढ़ते जल प्रदूषण एवं गिरते जल स्तर के कारण गंभीर जलसंकट का सामना करना पड़ सकता है।

आज जरूरत है कि बुद्धिजीवी वर्ग, पर्यावरणविद एवं गैरसरकारी संगठन एक साथ मिलकर मीडिया एवं अन्य माध्यमों से आम आदमी को पानी की बरबादी रोककर इसके संरक्षण के प्रति सचेत करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को और अधिक लोकप्रिय कर इस दिशा में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसी संदर्भ में डा. गणेश कुमार पाठक का लेख जल संसाधनों का दुरुपयोग और बचाव के उपाय काफी उपयोगी है।

धनंजय मणि त्रिपाठी (पत्रकार)
गोरखपुर (उ.प्र.)

रोजगार अपनाने हेतु महत्वपूर्ण लेख

कुरुक्षेत्र जून 2004 अंक में प्रकाशित 'सफेद मूसली अत्यंत लाभकारी फसल' पर प्रस्तुत एम. भारती द्वारा लेख काफी महत्वपूर्ण है। इस तरह के लेख प्रकाशित करने के लिए धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं निकट

भविष्य में इस प्रकार के नए–नए रोजगार अपनाने संबंधी लेख और प्रकाशित करेंगे।

इसमें प्रकाशित ग्रामीण विकास के लिए कृषि में विविधता अपनाने और व्यावसायिक खेती करने की संभावनाएं काफी उत्साहवर्धक एवं अच्छी हैं। इस संदर्भ में मेहनत के बल पर सफलता के शीर्ष पर पहुंचने बाले धार जिला के श्रीधर पाटीदार साहब का उदाहरण प्रेरणादायक है।

संजय प्रसाद
बमनबै, हजारीबाग (झारखंड)

बदला कलेवर

जून का अंक मिला। वनीला पर प्रकाशित लेख बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी श्री वर्ग की एक रचना *कुरुक्षेत्र* में पढ़ी थी जो घातक रसायनों के खतरों से संबंधित थी। दोनों ही रचनाएं तथ्यात्मक थीं। मेरी विनती है कि जब आपने *कुरुक्षेत्र* का समूचा कलेवर ही बदल डाला है, तो इसमें अधिक से अधिक रचनाएं सामयिक महत्व की तथ्यपरक प्रकाशित हों। मुझे बहुत खुशी है कि आज *कुरुक्षेत्र* सामान्यतः किसी रेलवे बुक स्टाल या शहर के अंदर पुस्तक की दुकान पर मिल जाती है। इस परिवर्तन के लिए आप बधाई के पात्र हैं।

रितु
गाजियाबाद (उ.प्र.)

हितकारी पत्रिका

ग्रामीण विकास को समर्पित पत्रिका *कुरुक्षेत्र* का मई अंक बेहद प्रभावशाली था। जिसे पढ़कर कई रोचक जानकारियों से रू–ब–रू हुआ। उमेश चंद्र अग्रवाल का लेख पढ़कर अच्छा लगा किंतु अफसोस होता है कि हमारे देश में कानून रोज़ बनते हैं किंतु उनका पालन कराने में प्रशासन चुस्ती नहीं दिखाता। जहां बाल–शोषण हो रहा है, भला भारत विकसित कैसे हो सकता है। डा. रवि प्रकाश यादव ने समस्या पर दृष्टिपात करते हुए समस्याओं का वर्गीकरण अच्छी तरह किया है। ग्रामीण विकास में 'खादी ग्रामोद्योग का महत्व' पढ़कर अच्छा लगा कि कोई संस्था ग्रामीण विकास में दिलचस्पी ले रही है। पूषण कुमार के लेख से परिलक्षित होता है कि स्वशक्ति परियोजना से महिलाओं को मिल रही नई दिशा व शक्ति उनके जीवन स्तर और आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। विश्व बैंक, यूरोपीय आयोग और ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय विभागों द्वारा सर्व शिक्षा के लिए एक अरब डालर की सहायता से निश्चित ही करोड़ों बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। सरकार द्वारा जारी योजनाओं को ग्रामीण जनता तक पहुंचाने में *कुरुक्षेत्र* महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

प्रबल प्रताप सिंह
कानपुर (उ.प्र.)

उदासीनता नारी विकास में बाधक

कुरुक्षेत्र की नियमित पाठिका हूं। मई 2004 का अंक मेरे सम्मुख है। पूरा पढ़ा, पत्र लिखे बिना रहा नहीं गया। कृष्ण कल्कि का लेख 'पर्यावरण चेतना का प्रतीक ग्रामपर्व वट सावित्री' भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक आधार को पुष्ट करने वाला लेख है। नई पीढ़ी के लिए हमारा न केवल कर्तव्य अपितु धर्म हो जाता है कि हम उन्हें अपनी परंपराओं, पर्व एवं त्योहारों के विषय में स्पष्ट ज्ञान दें। इस दिशा में यह लेख सराहनीय प्रयास है। बाल श्रम पर लिखा गया संपादकीय आर्थिक विवशता एवं सामाजिक संवेदनहीनता के कटु सत्य को उजागर करने के साथ–साथ बाल–मन की गहराइयों में झांकने को विवश करता है। डा. अल्का रस्तोगी का लेख 'महिलाएं : जीवन अधिकार और सामाजिक दशाएं भी प्रेरित करने वाला है। अपने अधिकारों के विषय में उदासीनता का भाव नारी विकास में बाधक है ही यह सर्वविदित है किंतु समय–समय पर उन्हें उनके अधिकारों का स्मरण करने वाला लेख पत्रिका में प्रकाशित करते रहिए।

डा. रजनी शर्मा
मालवीय नगर, जयपुर (राज.)

सुखद परिवर्तन

कुरुक्षेत्र का मई 2004 अंक पढ़ा। पत्रिका में नवीन परिवर्तन से इसका अंतर्मन उर्वशी और तन तिलोत्तमा हो गया है। बाल श्रमः चुनौतियां और समाधान, बालश्रम समस्या पर एक नजर, ग्रामीण बेरोजगारी और खादी ग्रामोद्योग का महत्व, पर्यावरण चेतना का प्रतीक ग्राम पर्व वट सावित्री, महिलाएंः जीवन अधिकार और सामाजिक दशाएं, मानवाधिकारः उद्भव और विकास यात्रा इस अंक के उत्कृष्ट आलेख हैं। रोजगार और स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत अच्छी जानकारी दी गई है। पत्रिका के उत्कृष्ट संपादन के लिए संपादकीय परिवार को हार्दिक बधाई।

डा. राजेश हजेला
फरुखाबाद (उ.प्र.)

मनमाने रवैये पर रोक लगे

मेरे ज्ञान का भंडार बढ़ता जा रहा है। आप इसी तरह अन्य विभागों द्वारा प्रकाशित पत्र–पत्रिकाओं व पुस्तकों की जानकारी देते रहें, ताकि सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में चलाई जा रही योजनाओं का फायदा मिल सके।

महोदय, आपके द्वारा प्रकाशित *कुरुक्षेत्र* के द्वारा हमें जनकल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह और कैसे किया जाए इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रामीण भागों में जिस तरह से होता है, उससे लगता है कि अधिकारी/पदाधिकारियों के लिए ही ये योजनाएं बनी हैं, क्योंकि जनकल्याण के सभी कार्य–नियमों को ताक पर रखकर निजी स्वार्थ के लिए होते हैं। महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह के मनमाने रवैये पर कैसे रोक लगाई जा सकती है तथा इसकी शिकायत किससे करें।

अरविंद कुमार सिंह
नागपुर (महा.)

नया अंदाज

मैं आपकी *कुरुक्षेत्र* मासिक पत्रिका का नियमित पाठक हूं। आपकी पत्रिका में योजनाएं, चिकित्सा रोजगार एवं अन्य जानकारियां उपयुक्त हैं। इससे सभी लोगों को जीने के लिए एक नया अंदाज मिलता है।

मैं एक स्वयंसेवी संस्था का अध्यक्ष हूं। आप कुरुक्षेत्र में 'योजनाओं' के बारे में जानकारी तो देते हो लेकिन उस योजना से लाभान्वित होने के लिए किससे संपर्क करें इसके पते और पात्रता आदि विस्तृत जानकारी नहीं देते। कृपया पूरी जानकारी के साथ योजनाओं का विवरण देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।

अजय झरकर
मुलावा, यवतमाल (महाराष्ट्र)

प्रधानमंत्री का राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र

आम आदमी की भलाई के लिए सामूहिक प्रयासों को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग का प्रधानमंत्री का अनुरोध

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आम आदमी की भलाई के लिए सरकार के सामूहिक प्रयासों को सफल बनाने में रचनात्मक सुझाव और पूरा–पूरा सहयोग देने का आग्रह किया है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजे पत्र में प्रधानमंत्री ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने का अपना संकल्प दोहराते हुए कहा कि देश की जनता हमसे चाहती है कि हम विकास के मुद्दों पर अधिक ध्यान देने के साथ यह भी सुनिश्चित करें कि विकास का लाभ सभी को समान रूप से प्राप्त हो, हमारी सोच में सहानुभूति का भाव पैदा हो, और सार्वजनिक जीवन में कम होती जा रही आदर्श और बलिदान की भावना फिर से कायम हो सके।

उन्होंने कहा कि जहां एक ओर हमारे सामने कठिन चुनौतियां हैं वहीं दूसरी ओर हमारे लिए अनेक सुअवसरों के द्वार भी खुले हैं। हमारे देश में अपार क्षमता मौजूद है तथा हमारे कुछ उद्योग विश्व में उत्कृष्टता के मानक स्थापित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे सक्रिय लोकतंत्र की जड़ें गहरी होती गई हैं और फैलती गई हैं, और आज विश्व में इसकी सराहना की जाती है और इसके मूल्य विश्व को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए हमें अनेक मोर्चों पर संगठित होकर ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है।

केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों ही स्तरों पर आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि इस प्रक्रिया में कृषि पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, जिसके लिए सरकारी निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे कमजोर वर्गों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि विकास के खास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें विशिष्ट समय–सीमा निर्धारित करनी होगी और उनके प्रति हमारी सार्वजनिक रूप से जवाबदेही होनी चाहिए।

सरकारी संस्थाओं के सुधार की तरफ ध्यान देने की जरूरत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए अधिकारियों को कार्यकाल की स्थिरता अवश्य दें ताकि जनता को कुशल प्रशासन और समुचित सार्वजनिक सेवाएं मिल सकें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार धन तो जुटा सकती है, लेकिन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करना तो राज्य सरकारों के हाथ में है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे करोड़ों देशवासियों के जीवन–स्तर को ऊपर उठाने के लिए और उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आदर्शवादी नेताओं के रूप में अपनी भूमिका निभाएं। ❑

प्रधानमंत्री का आंध्र प्रदेश के किसानों को हर संभव सहायता का आश्वासन

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के सूखा प्रभावित किसानों को हर प्रकार की सहायता देगी। राज्य के कुरनूल जिले के सोमायाजुलापल्ली में पिछले दिनों एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सूखा प्रभावित किसानों की सहायता के लिए कई कल्याणकारी उपायों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आत्महत्या करने वाले परिवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जा रही प्रति परिवार 1.5 लाख रुपये की सहायता राशि के अलावा केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सहायता कोष से 50–50 हजार की धनराशि उन परिवारों को देगी।

किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने पांच रोजगार योजनाओं की घोषणा की। गांवों में 500 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए लघु सिंचाई ताल बनाने के वास्ते एक करोड़ रुपये, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को हाई स्कूल में बदलने के लिए 10 लाख रुपये, परेशान हाल परिवारों के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत 100 मकानों का निर्माण, जल निकासी और सीमेंट की पक्की सड़कों के निर्माण के लिए 20 लाख रुपये और पाइप लाइनों द्वारा सुरक्षित जलापूर्ति के लिए 10 लाख रुपये मंजूर किए गए।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी ने प्रधानमंत्री को किसानों के कष्टों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक प्रभावित परिवार से पूछा कि केंद्र से उन्हें किस तरह की मदद की जरूरत है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ सूचना और प्रसारण मंत्री एस. जयपाल रेड्डी, केंद्रीय मंत्री के.चंद्रशेखर राव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री पनाबका लक्ष्मी, राज्य मंत्री के.मारप्पा, सांसद जयराम रमेश और के.सूर्य प्रकाश रेड्डी के साथ–साथ जिले के सभी विधायक उपस्थित थे। ❑

पत्र सूचना कार्यालय

संपादकीय

कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत तभी फलीभूत हो सकता है जब देश के समग्र उद्यम का लाभालाभ समाज के सबसे पिछड़े वर्ग तक पहुंचे। हाल के समय में हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ा है और देश आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। ऐसे में केंद्र की नई संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार इस आर्थिक प्रगति को समाज के सबसे पिछड़े वर्गों तक पहुंचाने के लिए कृत-संकल्प दिखाई देती है। इसका सबसे प्रखर उदाहरण हाल ही में प्रस्तुत आम बजट और रेल बजट है।

वित्त मंत्री ने 8 जुलाई को संसद में वर्ष 2004-05 का आम बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर मुख्य फोकस किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, पानी और स्वच्छता जैसे बुनियादी मुद्दों को पर्याप्त महत्व देते हुए गांव में निवास करने वाले लोगों को ये सुविधाएं गांवों में ही उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया गया है। नए और अब तक वंचित इलाकों में ग्रामीण अस्पताल स्थापित करने और कर दायरे में आने वाले लोगों पर दो प्रतिशत का शिक्षा-कर लगाने का निर्णय इसी संकल्प का हिस्सा है। 15 साल बाद पहली बार ग्रामीण विकास का पहिया तेज करने का यह गंभीर प्रयास है। गरीबी-उन्मूलन और ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं में बढ़ोतरी और रोजगार के नए अवसरों पर विशेष बल दिया गया है। सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत बजट के सात आर्थिक उद्देश्य - विकास दर बनाए रखना, गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य को सर्वसुलभ बनाना, निवेश को बढ़ावा देना, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोज़गार सुनिश्चित करना, कृषि और आधारभूत सेवाओं पर जोर - वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। इनसे जहां विकास की गति तेज़ होगी वहीं गरीबी उन्मूलन और बेरोज़गारी समाप्त करने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं - बिल्कुल सच है।

दूसरी तरफ रेल बजट में यात्री किराए को ज्यों-का-त्यों रखते हुए रेलमंत्री ने नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जाने वाले बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क यात्रा करने की अनुमति देकर राहत दी है। इसके साथ ही प्लास्टिक के गिलासों की जगह कुल्हड़ों में चाय उपलब्ध कराने तथा सभी रेलगाड़ियों सहित रेलवे कार्यालयों/मंत्रालयों में खादी के पर्दों/कपड़ों का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इससे प्लास्टिक के बेतहाशा उपयोग से पर्यावरण को होने वाली क्षति पर अंकुश तो लगेगा ही, उन लाखों परिवारों को पुनः रोज़गार मिलेगा जो मिट्टी के बर्तन बनाने, सूत कातने, हथकरघा पर कपड़े बुनने के काम में लगे थे, किंतु सिमटती संभावनाओं के कारण अपना और अपने बच्चों का भविष्य असुरक्षित महसूस कर रहे थे। जाहिर है कि इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों के परंपरागत व्यवसाय में बड़ी संख्या में स्वरोजगार की संभावना बढ़ेगी। नई तकनीक, अच्छे ट्रैक, डिब्बों के डिजाइन, स्पीड यात्री सुविधा की ओर विशेष ध्यान देने का वायदा भी - यदि पूरा हो जाता है तो चामत्कारिक उपलब्धि होगी!

बजट के विभिन्न प्रावधानों, उनकी विशिष्टताओं आदि से अपने पाठकों को अवगत कराने तथा देश की आर्थिक दशा-दिशा की जानकारी देने के लिए हमने इस अंक में आम बजट, रेल बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पर अलग-अलग आलेख शामिल किए हैं। इनके अलावा, बजट की खास बातों की झलकी भी है, ताकि पाठक एक नज़र में इनकी खूबियों से अवगत हो सकें।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को जहां खाने को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं उन्हें जीवन-रक्षण सुविधाएं प्राप्त हो पाएंगी - चिंता का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने की एक ईमानदार कोशिश है, विभिन्न गांवों में गरीबी की सही पहचान करने उनके आर्थिक-सामाजिक विकास के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लाभ उन तक पहुंचाने में पंचायती राज संस्थाएं, ग्राम सभाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। स्थानीय स्वशासन द्वारा इन संस्थाओं की जड़ें मजबूत कर समाज के इस वर्ग को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का सराहनीय प्रयास होगा।

कोई भी शासन या प्रशासन हो प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही प्रशिक्षण उत्तम परिणाम प्रस्तुत कर सकता है। पंचायतों की निष्पक्ष भूमिका सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। पढ़े-लिखे, ईमानदार महिला-पुरुष सामने आएं, प्रशिक्षित हों तो निश्चय ही पंचायती राज को एक आदर्श विकल्प के रूप में कारगर साबित कर सकते हैं।

इनके अतिरिक्त, प्रस्तुत अंक में अन्य रोचक और लोकोपयोगी आलेख हैं जिनके माध्यम से हमने जहां एक ओर अब तक हुए ग्रामीण विकास की पड़ताल करने की कोशिश की है, वहीं कृषि बीमा के प्रसार, उसकी खूबियों-खामियों, खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण और उनमें रोजगार की संभावनाओं, स्वरोजगार के लिए स्वयं-सहायता समूहों की भूमिका और उपलब्धियों की जानकारी देने का प्रयास भी किया है। स्वतंत्रता की 57वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 'सफरनामा राष्ट्रीय ध्वज का' लेख में आपको तिरंगे की दिलचस्प कहानी बताने की कोशिश की है, स्वास्थ्य, सफलता की कहानी और पुस्तक समीक्षा के स्थायी स्तंभ तो हैं ही।

अंक आपको कैसा लगा, हमें बताना न भूलें। आप सबको देश की स्वतन्त्रता की 57वीं वर्षगांठ पर 'कुरुक्षेत्र' परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं!

बजट 2004-2005

ग्रामीण विकास को प्राथमिकता

हरवीर सिंह

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने 8 जुलाई को संसद में पेश चालू वर्ष (2004-05) के आम बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यस्था को केंद्र में रखते हुए ग्रामीण विकास को गति देने का गंभीर प्रयास गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं में बढ़ोतरी और रोजगार के नये अवसर पैदा करने का रहा है। सही मायने में देखा जाए तो 1989 से 15 साल बाद पहली बार ग्रामीण विकास का पहिया तेज करने को यह गंभीर प्रयास है।

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने 8 जुलाई को संसद में पेश चालू वर्ष (2004–05) के आम बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यस्था को केंद्र में रखते हुए ग्रामीण विकास को गति देने का गंभीर प्रयास किया है। ज्यादा जोर गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं में बढ़ोतरी और रोजगार के नये अवसर पैदा करने का रहा है। सही मायने में देखा जाए तो 1989 से 15 साल बाद पहली बार ग्रामीण विकास का पहिया तेज करने का यह गंभीर प्रयास है। यह बात अलग है कि वित्तीय संसाधनों के आवंटन में कोई भारी बढ़ोतरी नहीं की गई है लेकिन बजट में सबसे ज्यादा जोर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर होना इस बात का संकेत है कि सरकार इस मामले में गंभीर है।

बजट में घोषित योजनाओं के पहले आवंटन पर निगाह डालना उचित होगा। चालू वर्ष के बजट में ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न मदों के तहत 16,021.83 करोड़ रुपये की राशि ग्रामीण विकास विभाग के तहत, 1264.48 करोड़ रुपये की राशि भूमि संसाधन विभाग के तहत और 3301.39 करोड़ रुपये की राशि पेय जल आपूर्ति विभाग के तहत आवंटित की

गई है। हालांकि यह राशि पिछले साल के संशोधित अनुमानों से कुछ कम है लेकिन कई दूसरे ऐसे कदम उठाए गए हैं जो इस कमी की भरपाई करने में सक्षम हैं। वित्त मंत्री ने बजट के शुरू में ही स्पष्ट किया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार का एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम है।

इसके उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) तैयार किया है और बजट में इसी के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। बजट के सात आर्थिक उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि निरंतर अवधि के लिए सात से आठ फीसदी की विकास दर बनाए रखना, गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य को सर्वसुलभ बनाना शामिल है। इसके साथ ही कृषि, विनिर्माण एवं सेवाओं में लाभकारी रोजगार उत्पादन करना और निवेश को बढ़ावा देने के साथ ही प्रत्येक परिवार में न्यूनतम मजदूरी दर पर आजीविका कमाने वाले को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना, कृषि और आधारभूत सुविधाओं पर जोर देने के साथ ही राजकोषीय मजबूती और सुधार में तेजी लाना है वहीं सबसे अहम मकसद गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी को समाप्त करना है। इसके साथ ही एक अहम बात यह है कि स्वयं प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है इसलिए इस क्षेत्र को यूपीए सरकार सबसे अधिक प्राथमिकता देगी।

बजट में वित्त मंत्री ने ग्रामीण विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें एक बड़ा कदम है शिक्षा की स्थिति में सुधार करना। आठ साल तक सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा सुलभ कराने के उद्देश्य से वित्त ने प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए 4910 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने का कदम उठाया है। यह राशि सभी केंद्रीय करों पर लगाये गए दो फीसदी शिक्षा अधिभार से हासिल होगी। यह काम इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार का मकसद शिक्षा पर व्यय को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के छह फीसदी तक ले जाना है। इसी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं

पर भी खर्च को जीडीपी के तीन फीसदी तक ले जाना है जो फिलहाल एक फीसदी से भी कम बना हुआ है। इस खर्च में बढ़ोतरी होने से सामाजिक सेवाओं के इस अहम क्षेत्र में सुधार हो सकेगा। इसका सबसे अधिक फायदा ग्रामीण क्षेत्र को मिलेगा क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की सीधा अर्थ इन क्षेत्रों की उत्पादकता में बढ़ोतरी होना और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होने के साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर आय में बढ़ोतरी होना है। गरीबी उन्मूलन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कारगर कदम माना जा सकता है।

स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी ग्रामीण क्षेत्र की एक सबसे बड़ी दिक्कत रही है। जहां पिछले कई दशकों से स्वास्थ्य सुविधाओं पर सार्वजनिक व्यय जीडीपी के एक फीसदी के आसपास बना रहा है वहीं निजी क्षेत्र ने भी इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। इस बजट में पहली बार एक ऐसा कदम उठाया गया जो निजी क्षेत्र को इस दिशा में बढ़ावा दे सकता है। चालू साल के बजट में ग्रामीण क्षेत्र में 100 बिस्तर के अस्पताल स्थापित करने वाले लोगों को पांच साल के लिए कर छूट का प्रावधान किया गया है। अगर निजी क्षेत्र इस दिशा में पहल करता है तो उसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र को भी फायदा होगा। इसके चलते उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधाएं लोगों को अपने करीब ही उपलब्ध हो सकेगी। वहीं दूरगामी रूप में अस्पतालों को वित्तीय फायदा होने के साथ ही गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए लागू की जा रही सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना से भी अतिक्ति रोजगार मिल सकेगा क्योंकि आने वाले समय में इस तरह के चिकित्सालयों को इस योजना के तहत शामिल किया जाना संभव है। साथ ही एक कटु सत्य यह भी है कि प्रति व्यक्ति स्तर पर ग्रामीण जनता शहरी व्यक्ति से अधिक पैसा निजी चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च करती है। इसलिए निजी क्षेत्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं स्थापित करना व्यावसायिक रूप से घाटे का सौदा भी नहीं है।

दूसरा बड़ा कदम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा है। इसके लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया जाएगा जिसके लिए संसद के अगले सत्र में श्रम मंत्री द्वारा विधेयक पेश किए जाने की घोषणा बजट में की गई है। इसका उद्देश्य प्रत्येक निर्धन परिवार के एक स्वस्थ्य व्यक्ति को एक साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान करना है। इस नए कानून के अस्तित्व में आने तक देश के 150 पिछड़े जिलों को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत दूसरी चालू रोजगार योजनाओं के तहत 6,000 करोड़ रुपये के संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इसका दोहरा फायदा यह होगा कि जहां एक ओर जरूरतमंद लोगों को रोजगार

मिल सकेगा वहीं इससे स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन भी हो सकेगा और जिसका फायदा सारे ग्रामीण समुदाय हो सकेगा।

एक बड़े कदम के तहत अंत्योदय अन्न योजना के तहत कमजोर वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा का दायरा बढ़ाया गया है और चालू साल से यह सुविधा दो करोड़ लोगों को मिल सकेगी। इस कदम से 50 लाख अतिरिक्त लोग फायदा उठा सकेंगे। सरकार इसके तहत हर माह 35 किलो गेहूं की कीमत दो रुपये किलो निर्धारित की गई है। चालू साल में इसके चलते कुल खाद्य सब्सिडी का प्रावधान इस वर्ष में 25,800 करोड़ रुपये किया गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूरा फायदा जरुरतमंद लोगों को मिल सके इसके लिए इस प्रणाली में सुधार का वादा भी बजट में किया गया है। जिसके तहत प्रायोगिक स्तर पर फूड स्टाम्प की योजना शुरू की जाएगी। जिसमें लोगों को एक निश्चित कीमत के स्टाम्प दे दिए जाएंगे और उनके बदले वह कहीं से भी खाद्यान्न खरीद सकेंगे।

गांवों में पीने की पानी की उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से राजीव गांधी पेयजल मिशन को मिशन मोड के रूप में कार्यान्वित करने की बात करते हुए वित्त मंत्री ने त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए इस वर्ष में 2,610 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकारों के परामर्श से ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं बनाने और कार्यान्वित करने के लिए इस राशि का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही इंदिरा आवास योजना के तहत चालू साल में 2,247 करोड़ रुपये को प्रावधान किया गया है। सरकार का प्रयास है कि इस योजना के तहत सालाना ढाई लाख ग्रामीण आवास इकाइयों का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

ग्रामीण विकास और कृषि एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता है क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है और इसीलिए दोनों को बजट में एक साथ रखा गया है। इस बजट में सरकार की कोशिश रही है कि कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाए। यह निवेश सार्वजनिक और निजी दोनों स्तरों पर किया जाना है। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम

कृषि क्षेत्र को मिलने वाले ऋणों को तीन साल में बढ़ाकर दोगुना करने की कोशिश है। इसी के मद्देनजर 18 जून को कृषि ऋण संबंधित एक व्यापक नीति की घोषणा वित्त मंत्री ने की थी। इसी का जिक्र वित्त मंत्री ने बजट में किया है। चालू साल में कृषि ऋणों के स्तर को मौजूदा 80,000 करोड़ से बढ़ाकर 1.05 लाख रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। वहीं सहकारी बैकों की स्थिति में सुधार के लिए एक कार्यदल गठित करने की घोषणा भी बजट में की गई है क्योंकि कृषि ऋण व्यवस्था में सहकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है।

ग्रामीण क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं को बढ़ावा देने की पहल एक बार फिर इस बजट में की गई है। पूर्व राजग सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना निधि (आरआईडीएफ) को बंद कर दिया था। चिदंबरम ने चालू साल के बजट में इसे फिर से शुरू कर दिया है और इसके तहत 8,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने नरसिंह राव सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए इस निधि की स्थापना 1994–95 में की थी और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए राज्यों को ऋण उपलब्ध कराना है। नाबार्ड द्वारा संचारित इस विधि में व्यावसायिक बैकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण स्तर का निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं करने की स्थिति में लक्ष्य और वास्तविक आवंटन के बीच की राशि को इस निधि में देना पड़ता है।

इसके साथ ही सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए चिदंबरम द्वारा संयुक्त मोर्चा सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए 1996–97 के बजट में शुरू किए गए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष के बजट में 2,800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 1996–97 में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पहचान की गई थी लेकिन अभी तक इनमें से केवल 28 परियोजनाएं ही पूरी हो सकी हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विकास और वहां की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक जल निकायों की पुनर्स्थापना के लिए एक बड़ी पहल इस बजट में की गई है। बजट के मुताबिक इस तरह के दस लाख से अधिक झील, तालाब, पोखर और प्राकृतिक व मानव निर्मित जल निकाय देश में हैं। इनमें से पांच लाख का उपयोग कृषि सिंचाई के लिए किया जाता है। इनमें से अधिक की स्थिति खराब हो चुकी है और उनकी मरम्मत की आवश्यकता है। इसकी शुरुआत देश के पांच क्षेत्रों से एक–एक जिले में प्रायोगिक स्तर पर की जाएगी और उसके लिए इस साल के बजट में 100 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम को निर्देश दिया गया है कि सालाना 3,000 करोड़ रुपये की राशि का निवेश जल संबंधी कार्यक्रमों में करे। जिसका फायदा यह होगा कि जहां इन जल निकायों की मूल गरिमा लौटेगी वहीं जल निकायों की भंडारण क्षमता में 100 फीसदी का इजाफा हो सकेगा। इसके साथ ही

राष्ट्रव्यापी स्तर पर जल संचयन योजना लागू कर किसानों की मदद का कदम इस बजट में उठाया गया है जिसके तहत एक लाख सिंचाई यूनिटें शामिल की जाएंगी और इन 25,000 रुपये की लागत वाली यूनिटों पर नाबार्ड के माध्यम से सरकार 50 फीसदी पूंजी सब्सिडी देगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान इस साल के बजट में किया गया है।

ग्रामीण विकास के लिए सरकार कृषि विविधिकरण को भी एक हथियार बनाना चाहती है। इसलिए सबसे अधिक जोर कृषि प्रसंस्करण उद्योग पर दिया जा रहा है। इसके चलते यह इकाईयां ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हो सकेंगी। उससे जहां वहां पर रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध हो सकेंगे वहीं किसानों को उनके उत्पादों का सही दाम भी मिल सकेगा। यही वजह है कि इस साल के बजट में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करने के लिए प्रोत्सहित करने के उद्देश्य से आय कर में छूट दी गई। यह इकाईयां पांच साल तक शत प्रतिशत लाभ को कर दायरे से बाहर रख सकेंगी। इसके साथ ही डेयरी उद्योग के लिए काम आने वाले उपकरणों पर उत्पाद शुल्क को समाप्त करने के साथ ही दूसरे कई कृषि उपकरणों पर उत्पाद शुल्क समाप्त किया गया है। साथ ही ट्रैक्टर को भी उत्पाद शुल्क से मुक्त कर किसानों के लिए एक बड़ी राहत इस बजट में दी गई है। इन सभी का मकसद ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है।

देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी घटकर 22 फीसदी रह गई है लेकिन अभी भी 60 फीसदी से अधिक आबादी इसी कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक बड़ा बाजार भी है जो देश के अन्य उद्योगों के लिए मांग पैदा करता है। अगर ग्रामीण विकास में तेजी आती है तो उसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिलता है। यही वजह है कि मौजूदा यूपीए सरकार के पहले बजट में कृषि और ग्रामीण विकास को केंद्र में रखा गया है क्योंकि गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और मजबूत अर्थव्यस्था का रास्ता इसी क्षेत्र से होकर जाता है। ❑

(लेखक दैनिक हिंदुस्तान के विशेष संवाददाता हैं)

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/ चाहती हूं/ चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 70 रुपये, दो वर्ष के लिए 135 रुपये, तीन वर्ष के लिए 190 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....

पता .....

.....

पिन .....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग,
पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066

*कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर **निदेशक, प्रकाशन विभाग** को नई दिल्ली में देय हो।*

बजट 2004-2005

पिछड़े राज्यों के विकास पर बल

अनन्त मित्तल

देश के आधे से ज्यादा राज्य पिछड़ा बहुल हैं। ये राज्य यदि केंद्र सरकार की आर्थिक और सामाजिक सोच में आए महत्वपूर्ण परिवर्तन के अनुरूप अपनी नीतियों और उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया में परिवर्तन लाना शुरू कर दें तो अपनी उस 80 फीसदी आबादी का भविष्य सुधारने की बुनियाद रख सकते हैं जो आज भी उपेक्षित गावों में जी रही है। पिछड़े राज्यों के लिए वित्तमंत्री की कृषि ऋण वितरण के लक्ष्य को 69,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,05,000 करोड़ रुपये किए जाने की घोषणा कोई कम उत्साहजनक नहीं।

देश के आधे से ज्यादा राज्य पिछड़ा बहुल है और ये राज्य यदि केंद्र सरकार की आर्थिक और सामाजिक सोच में आए महत्वपूर्ण परिवर्तन के अनुरूप अपनी नीतियों और उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया में परिवर्तन लाना शुरू कर दें तो अपनी उस 80 फीसदी आबादी का भविष्य सुधारने की बुनियाद रख सकते हैं, जो आज भी उपेक्षित गांवों में जी रही है। जिसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास जैसी बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या तो साधन नहीं हैं और यदि साधन हैं तो उसे ये उपलब्ध ही नहीं हैं। इन राज्यों की अधिकतर आबादी आज भी प्रकृति, वन और वर्षा की मुहताज है।

बजट में ग्रामीण हित के लिहाज से सबसे अधिक राशि ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए आबंटित की गई है यह राशि 40,000 करोड़ रुपये है। ये बात दीगर है कि इसमें राज्य सरकार की बहुचर्चित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी तमाम छोटी–बड़ी ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास योजनाएं

फोटो : सर्वेश

समाहित की जा रही हैं। इसके बावजूद मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य, जहां जलों–नदियों पर पुलिया और पुलों, सिंचाई के लिए नहरों एवं तालाबों आदि का नितांत अभाव है, इस एकीकृत शेष का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इन राज्यों में अधिकतर आबादी वनों, दियारों, मरुस्थल, पहाड़ों और दूरदराज क्षेत्रों में बसे छोटे–छोटे गांवों में रहती है। इसलिए उन तक बुनियादी जीवन सुविधाओं को पहुंचाना राज्य सरकारों के लिए हमेशा चुनौती रही है। चालू बजट का यह प्रावधान इस दिशा में खासा उपयोगी हो सकता है। इन राज्यों में आदिवासी और दलितों तथा गरीबों की बहुतायत है। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता उनका पेट भरना है। ऐसे में ज़ाहिर है कि शिक्षा और साक्षरता की दर उनमें औसतन 25 प्रतिशत भी नहीं है। केंद्रीय बजट में सभी केंद्रीय करों पर दो प्रतिशत जो अधिभार लगाया गया है उससे मिलने वाले करीब 5,000 करोड़ रुपये का फायदा ये राज्य सरकारें अपने इन सबसे पिछड़े और उपेक्षित तबकों को शिक्षित करने के लिए उठा सकती हैं। बुनियादी शिक्षा के साथ ही साथ स्कूल में दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था होने से ज़ाहिर है कि इन वर्गों के बच्चों का पोषण स्तर सुधरेगा। साथ ही परिवार पर उनका पेट भरने का बोझ भी घटेगा।

पिछड़े राज्यों के लिए वित्तमंत्री की कृषि ऋण वितरण के लक्ष्य को 69,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,05,000 करोड़ रुपये किए जाने की घोषणा भी कोई कम उत्साहजनक नहीं। ज़ाहिर है कर्ज की राशि बढ़ने का फायदा उन निम्न मध्यम किसानों को भी मिलेगा, जिनकी जोत छोटी है और अपने परिवार के गुजारे का अनाज फसल में से निकाल लेने के बाद बाज़ार तक बहुत कम अनाज बचा कर ले जा पाते हैं। बीज, पानी, बिजली, कीटनाशक आदि के लिए मुनासिब दर ये मुनाफा कर सकते हैं।

अन्त्योदय अन्न योजना के तहत केंद्रीय बजट में दो करोड़ सबसे गरीब परिवारों को समेटने का इरादा जताया गया है। यह सुविधा सिर्फ डेढ़ करोड़ ऐसे परिवारों को ही मिल रही थी। इसके तहत इन सबसे गरीब परिवारों को प्रति परिवार मासिक 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न

अत्यंत रियायती दर पर मिलता है। यह योजना आर्थिक सुधारों को मानवीय मुलम्मा पहनाने के प्रयास के अंतर्गत तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंह राव ने शुरू की थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले इन परिवारों के लिए इस योजना में गेहूं की दर दो रुपये प्रति कि.ग्रा. और चावल की दर तीन रुपये प्रति कि.ग्रा. है। इस मद में चालू बजट में बाकायदा 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हालांकि इस राशि खाद्यान्न पर इस साल दी जाने वाली कुल सब्सिडी 25,800 करोड़ रुपये की राशि में ही शामिल किया गया है। यह राशि आम जनता के हित पर खर्च की जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी मद है। खाद्यान्न पर इस भारी–भरकम सब्सिडी का फायदा किसानों और गरीबों दोनों को ही मिलता है, क्योंकि इसमें न्यूनतम खरीद मूल्य की सब्सिडी, राष्ट्रीय खाद्यान्न भंडार के रख–रखाव का खर्च और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सब्सिडी भी शामिल है।

अन्त्योदय अन्न योजना और खाद्यान्न पर इस भारी भरकम सबसिडी का भी पिछड़े राज्यों

की सरकारें अपने सबसे गरीब लाखों लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए सदुपयोग कर सकती है। उनके पोषण, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल का इंतजाम करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में ला सकती हैं। इन बुनियादी मानवीय जीवन स्थितियों के अभाव में राज्य की लगभग एक–तिहाई आबादी नारकीय जीवन जी रही है। इससे बचने के लिए उन्हें अक्सर पलायन का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि पलायन और राज्य के बाहर दिहाड़ी रोजगार पा लेने के बावजूद उन्हें शोषण से निजात नहीं मिलती। इसके बावजूद वे उस दौरान दो जून की रोटी के साथ ही साथ तन ढकने के कपड़े और साल के बाकी दिन अपने परिवार के लिए नून–तेल खरीदने लायक पैसे का जुगाड़ कर लेते हैं। ऐसे लोगों को राज्य सरकार केंद्रीय संसाधनों की मदद से राज्य में ही आजीविका दिला सकती है।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास के लिए बजट में क्रमशः 1,180 करोड़ रुपये और 1,146 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अकेले छत्तीसगढ़ में इन दोनों वर्गों के लोगों की संख्या कुल आबादी में करीब 45 प्रतिशत है। राज्य सरकार चाहे तो इन वर्गों के विकास की ठोस कार्ययोजना के जरिए इस राशि में से लंबा हाथ मार सकती है। वैसे आदिवासियों की सर्वाधिक संख्या सवा करोड़ मध्य प्रदेश में और दलितों की साढ़े तीन करोड़ सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। इनके अलावा इन दबे–कुचले तबकों की आबादी महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी खासी तादाद में है। इन राज्यों की सरकारें चाहें तों बजट प्रावधानों का फायदा उठाकर इनका जीवनस्तर सुधार सकती है।

ग्रामीण महिलाओं के स्वयंसहायता समूहों के लिए भी बजट में खास प्रावधान किए गए हैं। वित्तमंत्री के बजट भाषण के अनुसार चालू साल में कुल 5.85 लाख स्वयं सहायता समूहों को पैसा मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया गया है। इन मामलों में इस योजना के तहत लोगों ने काम तो किया मगर उसके बदले अनाज के बजाय उन्हें सिर्फ कागज के कूपन ही मिले और उन पर अनाज न मिल पाने के कारण फिलहाल वे भुखमरी के शिकार होकर सुर्खियों में हैं। हालांकि सच यह भी है कि ऐसे मामले अपवाद ही हैं, मगर फिर भी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटनाओं पर त्वरित लगाम कसा जाना और इनकी पुनरावृत्ति न होने देना ही श्रेयस्कर है। इस सबके बावजूद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा अपने साझा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार में किसी एक व्यक्ति को कार्य में कम से कम

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास के लिए बजट में क्रमशः 1,180 करोड़ रुपये और 1,146 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अकेले छत्तीसगढ़ में इन दोनों वर्गों के लोगों की संख्या कुल आबादी की करीब 45 प्रतिशत है। राज्य सरकार चाहे तो इन वर्गों के विकास की ठोस कार्ययोजना के जरिए इस राशि में से लंबा हाथ मार सकती है। वैसे आदिवासियों की सर्वाधिक संख्या सवा करोड़ मध्य प्रदेश में और दलितों की साढ़े तीन करोड़ सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। इनके अलावा इन दबे–कुचले तबकों की आबादी महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी खासी तादाद में है। इन राज्यों की सरकारें चाहें तो बजट प्रावधानों का फायदा उठाकर इनका जीवनस्तर सुधार सकती है।

100 दिन रोजगार मुहैया कराये जाने के संकल्प को मूर्त रूप देने का मुख्य आधार काम के बदले अनाज योजना को बनाया जाना तमाम पिछड़े राज्यों के लिए डूबते को तिनके का सहारा है। बजट में देश के 150 सबसे पिछड़े जिलों में काम के बदले अनाज का नया कार्यक्रम लागू भी छत्तीसगढ़ सरकार चाहे तो अपने पिछड़े हुए जिलों के लिए भरपूर फायदा बटोर सकती है। इसके लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन योजना आदि करीब आधा दर्जन योजनाओं को एकीकृत करके उनकी मद के कुल 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्तमंत्री की बात मानें तो आवश्यकतानुसार यह प्रावधान समय–समय पर बढ़ा भी दिए जाएंगे। इतनी लचीली और उपयोगी योजना का जाहिर है कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और ऐसे ही अन्य राज्य बढ़–चढकर अपनी गरीब पिछड़ी और उपेक्षित जनता को लाभ दिलाने के साथ ही गांवों में बेहतर बुनियादी ढांचा और सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण भी करवा सकते हैं। जरूरत सिर्फ सामयिक और समुचित नियोजन तथा क्रियान्वयन की है।

इस दिशा में महिलाओं को एकजुट करके छत्तीसगढ़ सरकार उनके स्वयं–सहायता समूहों की न सिर्फ संख्या बढ़ा सकती है, बल्कि उनका आधार मजबूत बनाकर उन्हें अपने पांवों पर खड़ा करने में भी केंद्रीय बजट के प्रावधानों का दोहन कर सकती है। इसी तरह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के स्वास्थ्य बीमा और एड्स निवारण संबंधी बजटीय प्रावधान भी छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की गरीब और अपने अधिकारों से अनभिज्ञ जनता के लिए बड़ा सहारा सिद्ध हो सकते हैं। इसके लिए भी राज्य सरकार को अपने नागरिकों की आवश्यकता के अनुरूप मांग लेकर केंद्र सरकार की चौखट पर दमदार थपकी देनी होगी।

काम के बदले अनाज योजना को वित्तमंत्री ने और विस्तृत तथा मजबूत बनाने का जिक्र अपने बजटीय भाषण में किया है। यह एक चमत्कारी योजना है और इसकी गूंज पूरे दक्षिण एशिया में ही नहीं बल्कि अफ्रीकी और लातिनी अमरीकी देशों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की सहयोगी संस्थाओं ने पहुंचाई है। भारत जैसे – प्राकृतिक, भौगोलिक और आर्थिक उतार–चढ़ाव वाले देश ने तो खैर पिछले 26 साल में इसका गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन के प्रयासों में प्रत्यक्ष और सकारात्मक योगदान देखा ही है। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

रेल बजट : मुख्य आकर्षण

देश की मुख्य परिवहन व्यवस्था के रूप में एक ही प्रबंधन के अंतर्गत काम करने वाली भारतीय रेल को दुनिया की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। देश की प्रगति में इसके योगदान को मापा नहीं जा सकता और इसे वाणिज्यिक संगठन के साथ–साथ सामान्य तौर पर समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली संस्था की दोहरी भूमिका भी निभानी पड़ती है। परोक्ष् रूप से रोजगार उपलब्ध कराने की अपार क्षमता रखते हुए भारतीय रेल व्यापार, उद्योग और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है। इसे ध्यान में रखते हुए जैसा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लेख किया गया है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार रेल अवसंरचना के विकास और विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। पिछले कुछ वर्षों में रेलवे ने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, विशेषकर संरक्षा के क्षेत्र में, उन्हें दूर करने की जरूरत है। महामहिम राष्ट्रपतिजी का संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित भाषण सरकार के आर्थिक और सामाजिक दोनों आयामों को ध्यान में रखते हुए रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाने संबंधी इरादों को दिखलाता है।

आधुनिकीकरण

पुल इंजीनियरिंग संबंधी अनुसंधान परियोजनाएं

भारतीय रेल पुल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अग्रणी रेल प्रणालियों, विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और विदेशों के उत्कृष्ट अनुसंधान संस्थानों से संपर्क में है। भूकंप से बचाव और पुलों के पुनर्स्थापन, कंक्रीट और मैसॉनरी पुलों की रिजुडुअल लाइफ एनालिसिस, हाई परफारमेंस वाली कंक्रीट तथा पुलों के लिए कोरोजन प्रोटेक्शन सिस्टम के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को आरंभ करने का प्रस्ताव है।

आर्च ब्रिज का पुनर्स्थापन

भारतीय रेल पर बड़ी संख्या में आर्च मौजूद हैं। हाल ही में पुलों में सुधार और उनके पुनर्स्थापन संबंधी कई उपायों को हाथ में लिया गया है। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय रेल संघ (यूआईसी) के सहयोग से नई तकनीक अपनाकर आर्च ब्रिज की उपयोगिता अवधि करीब 25 वर्ष और बढ़ाने का प्रस्ताव है।

जंगरोधी मालडिब्बे

पारंपरिक वैगनों में जंग लगने से उनकी उपलब्धता तथा उत्पादकता प्रभावित होती है और उनकी आयु कम हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए स्टेनलेस स्टील के वैगनों के फील्ड परीक्षण किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, एल्यूमिनियम ढांचे वाले वैगन भी शुरू करने एवं उनका फील्ड परीक्षण करने का प्रस्ताव है। इससे पारंपरिक वैगनों की तुलना में टेयर भार में कमी और वैगन आय भार में बढ़ोत्तरी होगी।

चालक दल के अनुकूल ड्राइवर केबिन और ब्रेकवैन

थकान होने से ड्राइवरों और गार्डों द्वारा दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे कर्मचारियों की चालन के दौरान थकावट को कम करने की दृष्टि से उनकी कार्य संबंधी स्थितियों में सुधार लाना भारतीय रेल के लिए एक प्राथमिकता का विषय है। कई सुधारों को मानक बना दिया गया है और उन्हें ड्राइवर के केबिन तथा गार्ड के ब्रेक वैन में चरणबद्ध आधार पर शामिल किया जा रहा है जिससे चालक दल को बेहतर परिवेश मिल सके और उनकी दक्षता बढ़ सके। नए डीजल रेल इंजनों और गार्ड की ब्रेक वैनों में इन बेहतर विशिष्टताओं को मुहैया कराया जाएगा।

ई.एम.यू. तथा विद्युत रेल इंजनों का आधुनिकीकरण

मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में ई.एम.यू. गाड़ियों में सबसे आधुनिक **इनसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर** (आईजीबीटी) टेक्नोलॉजी पर आधारित थ्री–फेज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम शुरू करने का प्रस्ताव है। यह प्रणाली अधिक विश्वसनीयता और उन्नत ऊर्जा दक्षता प्रदान करती है। आगे चलकर इस तकनीक को उच्च अश्व शक्ति वाले थ्री–फेज विद्युत रेल इंजनों के लिए भी विकसित करने का प्रस्ताव है।

सामरिक प्रबंधन संस्थान (स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट)

रेल परिचालनों में भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए रेल प्रबंधकों को तैयार रहने की आवश्यकता है। इसके लिए पूरी दुनिया में उपलब्ध प्रशिक्षण संबंधी संसाधनों को इकट्ठा करना आवश्यक है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय रेल संघ (यूआईसी) के तत्वावधान में एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है।

कंप्यूटर आधारित केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण

सुरक्षा और परिचालन को बेहतर बनाने के लिए गाजियाबाद–कानपुर हाई स्पीड, हाई डेंसिटी वाले मार्ग पर पहली बार जर्मन डेवलपमेंट बैंक (केएफडब्ल्यू) द्वारा वित्तपोषित एक परियोजना के अंतर्गत आधुनिक कंप्यूटर आधारित केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण (सीटीसी) प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है।

ई–प्रोक्योरमेंट

रेलवे ई–प्रोक्योरमेंट को अपनाने की दिशा में काम कर रही है। उत्तर रेल पर शुरू की गई पायलट परियोजना के अंतर्गत सभी खरीद संबंधी गतिविधियां इंटरनेट पर डाल दी गई हैं, जिनमें टेंडर जारी करना, बोलियां प्राप्त करना, निविदाएं जारी करना आदि कार्य ऑन–लाइन होंगे। इस प्रणाली के शुरू करने से पारदर्शिता आएगी और खरीद में लगने वाले समय में कमी होने तथा आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान में तेजी आने से कार्य कुशलता बढ़ेगी। उत्तर

रेल पर पायलट परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर ई–प्रोक्योरमेंट पद्धति अन्य जोनल रेलों पर भी लागू की जाएगी।

रियायतें

आतंकवादियों/उग्रवादियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को रियायतें

आतंकवादियों/उग्रवादियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में मारे गए पुलिस वालों और अर्ध सैनिक कर्मियों की विधवाएं इस समय द्वितीय और शयनयान श्रेणी में 75 प्रतिशत रियायत की पात्र हैं। यद्यपि, ऐसी ही परिस्थितियों में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को यह रियायत उपलब्ध नहीं है। आतंकवादियों/उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई मे मारे गए सैनिकों के बलिदान को सम्मान देते हुए सैनिकों की विधवाओं को भी वही रियायत देने का प्रस्ताव है जो पुलिस और अर्ध सैनिकों की विधवाओं को दी जाती है।

मूक/बधिर व्यक्तियों को रियायतें

मूक और बधिर व्यक्ति को प्रथम, द्वितीय, शयनयान श्रेणियों और सीजन टिकटों में 50 प्रतिशत की रियायत अनुमेय है। लेकिन, मूक और बधिर व्यक्ति के साथ यात्रा करने वाले सहयात्री को कोई रियायत देने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो मूक और बधिर हैं, के साथ एक सहयात्री की आवश्यकता पर विचार करते हुए ऐसे सहयात्री को भी रियायत देने का प्रस्ताव है जो मूक और बधिर व्यक्ति को मिलती है।

हीमोफीलिया रोगियों को रियायत

हीमोफीलिया रोग के गंभीर अथवा मध्यम रूप से पीड़ित व्यक्ति को मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज अथवा जांच करने के लिए रेल द्वारा यात्रा करने पर रियायत देने का प्रस्ताव है। यह रियायत द्वितीय/स्लीपर, प्रथम, वातानुकूलित कुर्सीयान और वातानुकूलित 3–टियर श्रेणियों में 75 प्रतिशत होगी। यदि कोई सहयात्री रोगी के साथ यात्रा करता है तो वह भी उसी रियायत का हकदार होगा।

बेरोजगार युवकों के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा

1998–1999 के बजट भाषण में यह घोषणा की गई थी कि केंद्र सरकार की नौकरियों में चयन हेतु साक्षात्कार देने के लिए जाने वाले बेरोजगार युवकों को कॉल लेटर और आवेदन की प्रमाणित प्रति पेश करने पर दूसरे दर्जे में पूरी रियायत दी जाएगी। लेकिन अपरिहार्य कारणों से उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका। जैसी कि पहले घोषणा की गई थी, अब पूरी रियायत देने के उस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

परियोजनाएं

वर्ष 2003–04 के दौरान रेल सिस्टम में 1,222 किलोमीटर बड़ी लाइन जोड़ी गई थीं। जम्मू–ऊधमपुर परियोजना जो बहुत समय से लंबित थी, पूरी हो गई है। इससे जम्मू एवं कश्मीर राज्य के समग्र विकास में दूरगामी सहायता मिलेगी। ऊधमपुर– श्रीनगर–बारामूला नई लाइन परियोजना की प्रगति में भी तेजी लाई गई है और ऊधमपुर–कटरा और काजीगुंड–बारामूला के बीच लाइनें बिछाने का कार्य वर्ष 2005–06 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

जहां तक वर्तमान वर्ष की परियोजनाओं का पूरा करने के लक्ष्य का संबंध है, देश के सभी क्षेत्रों को समान महत्व किया जा रहा है। तदनुसार, जिरीबाम से इम्फाल (टुपुल) तक नई लाइन का कार्य, जिसे पिछले वर्ष स्वीकृत किया गया था, को शुरू किया जा रहा है। लमडिंग–सिलचर मीटर लाइन के आमान परिवर्तन और कुमारघाट से अगरतला तक नई लाइन में तेजी लाई जाएगी और इन्हें समय पर पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाएगा।

केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों और उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों, जहां पर रेल विकास कार्यों के प्रति उपेक्षा की भावना अनुभव की जाती रही है, की मांगों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा और चालू वर्ष में चल रहे कार्यों में संतोषजनक प्रगति लाने के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया कराई जाएगी।

वर्ष 2004–05 के दौरान बड़ी लाइनों में लगभग 1,650 किलोमीटर की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन)

वर्ष 2003–04 के दौरान न्यू जलपाईगुड़ी–समुखतला रोड, बांदीकुई–भरतपुर, जसई–मुनाबाव, कबाकापुत्तुर–सुब्रमंय रोड, विल्लुपुरम–पांडिचेरी, राजपालयम–तेनकासी, वडालुर–कड्डालोर, तंजावुर–कुंबाकोनम, जूनागढ़–वेरावल और ढोला–भावनगर के आमान परिवर्तन पूरे हो गए हैं।

वर्ष 2004–05 के दौरान, 1,000 किलोमीटर आमान परिवर्तन पूरा करने के लक्ष्य प्रस्ताव है।

महिला यात्रियों के लिए विशेष कदम

जोनल रेलों के कुछ सेक्शनों पर महिला टिकट जांचकर्त्ता दलों की तैनाती से रेल यात्रा करने वाली महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा हुई है। भारतीय रेल द्वारा प्रायोगिक आधार पर किए गए उपाय से प्रेरित होकर सभी रेलों पर, जहां भी आवश्यक है, ऐसे महिला जांचकर्त्ता दलों को तैनात करने का निर्णय लिया गया है।

महिला यात्रियों को होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि उपनगरीय गाड़ियों में महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में अप्राधिकृत फेरीवालों के जाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा हेल्पलाइन के फोन नंबरों के स्टिकर डिब्बों में प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे।

आम आदमी के लिए "विलेज–ऑन–व्हील्स" टूरिस्ट ट्रेन

भारतीय रेल उच्च वर्ग के पर्यटकों के लिए पैलेस ऑन व्हील्स, रॉयल ओरिएंट जैसी गाड़िया चला रही है। आम लोगों, विशेषकर छोटे शहरों और गांवों के लिए ऐसी कोई सुविधा मौजूद नहीं है। सामान्य शयनयान श्रेणी के डिब्बों वाली टूरिस्ट स्पेशल गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है जो पूर्व–निधारित कार्यक्रम के अनुसार चलेंगी। ये गाड़िया एक क्षेत्र से पर्यटकों को एकत्रित करेंगी और उनके द्वारा वहन करने योग्य किराए पर धार्मिक और एतिहासिक महत्व के महत्वपूर्ण स्थानों पर ले जाएंगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा साधारण जनता के लिए भारत दर्शन सुगम हो सकेगा। ❑

पत्र सूचना कार्यालय

भारत में ग्रामीण विकास-एक सिंहावलोकन

बलकार सिंह पुनिया

भारत में महात्मा गांधी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद ग्रामीण विकास दृष्टिकोण को विशेष बल मिला। गांधीजी के 1920 असहयोग तथा स्वदेशी आंदोलनों व खादी के प्रयोगों ने ग्रामीण आत्मनिर्भरता एवं आत्म विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। गांधी के खादी ग्रामोद्योग, ग्रामीण उद्योगों की उन्नति, अस्पृश्यता उन्मूलन, बुनियादी एवं प्रौढ़ शिक्षा, शराबबंदी, स्त्री उत्थान, राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीयता के विकास संबंधी विचारों तथा नारों ने ग्रामीण विकास का विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर दिया। गांधीजी के ग्रामोत्थान आंदोलन ने ग्रामीण विकास संबंधी अनेक स्वैच्छिक संगठनों, समाज सुधारकों और सरकारी अफसरों को ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित किया।

स्वतंत्रता से पहले भारत में ग्रामीण विकास के लिए कोई विशेष नीतिगत प्रयत्न नहीं किए गए। ब्रिटिश काल में विदेशी सरकार का उद्देश्य तो केवल अपने हितों की रक्षा के लिए शासन करना था न कि जनता के आर्थिक व सामाजिक हितों की सुरक्षा करना व उत्थान करना। ब्रिटिश सरकार सामाजिक और आर्थिक हस्तक्षेप की नीति पर काम करती थी। हालांकि देश में भीषण अकालों की परिस्थिति ने विदेशी सरकार को भी कुछ नीतिगत निर्णय लेने के लिए विवश कर दिया। सन् 1866 तथा 1880 के अकाल प्रयोगों ने अकालों को कम करने के लिए भूमि सुधार, कृषि सुधार, सिंचाई कार्य, यातायात विस्तार तथा प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान देने के सुझावों पर जोर दिया। इन सुधारों की दिशा में उठाए गए कदमों को ग्रामीण विकास की शुरुआत कहा जा सकता है।

दूसरे, भारत में महात्मा गांधी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद ग्रामीण विकास दृष्टिकोण को विशेष बल मिला। गांधीजी के

1920 असहयोग तथा स्वदेशी आंदोलनों व खादी के प्रयोगों ने ग्रामीण आत्मनिर्भरता एवं आत्म विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। गांधी के खादी ग्रामोद्योग, ग्रामीण उद्योगों की उन्नति, अस्पृश्यता उन्मूलन, बुनियादी एवं प्रौढ़ शिक्षा, शराबबंदी, नारी उत्थान एवं राष्ट्रीय भाषा एवं राष्ट्रीयता के विकास संबंधी विचारों व नारों ने ग्रामीण विकास का विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर दिया। गांधीजी के ग्रामोत्थान आंदोलन ने ग्रामीण विकास संबंधी अनेक स्वैच्छिक संगठनों, समाज सुधारकों व सरकारी अफसरों ने ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित किया।

तीसरे, भारत में ग्रामीण विकास की दिशा में 1947 से पहले कोई मुख्य प्रयास नहीं किया गया था बल्कि कुछ व्यक्तियों द्वारा कुछ प्रयोग अवश्य किए गये थे, जो गरीब जनता के उत्थान के लिए कृतसंकल्प थे। इस कार्यक्रम में बहुत कम विकास हो सका, इनका क्षेत्र सीमित था और इनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था, ये कार्यक्रम मुख्यता उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रहे जहां उन्होंने शुरू किए गए थे और उनका क्षेत्र सीमित होने के कारण व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा हांलाकि ये कार्यक्रम ज्यादा सफल तो नहीं हुए परन्तु कुछ कमियों के बावजूद भी भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम शुरू करने की नींव अवश्य पड़ी।

स्वतंत्रता–पूर्व ग्राम विकास कार्यक्रम

श्रीनिकेतन परियोजना – रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में श्रीनिकेतन ग्रामीण पुनर्निर्माण परियोजना शुरू की। यह परियोजना ग्रामीण लोगों के प्रति उच्च वर्ग के व्यक्तियों में विद्यमान उदासीनता के विरोध में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान पैदा करना था। इस परियोजना के मुख्य कार्य कृषि विकास ग्राम कल्याण, ग्रामीण उद्योग व शिक्षा सुधार थे। इस परियोजना द्वारा लोगों को स्वयं अपने विकास के लिए संसाधन पैदा करने तथा अपनी संपत्ति को बनाए रखने के लिए जागृत किया जाता था।

मार्तांडम परियोजना – डॉ. स्पेन्सर हैच के नेतृत्व में यंगमैन क्रिश्चियन एसोसिएशन (वाई.एम.सी.ए.) द्वारा मार्तांडम जो कन्याकुमारी जिले में स्थित है 1921 में यह परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों के आत्मिक, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं का पूरा विकास करना था। गांव वालों को ऐसी सहायता व सलाह प्रदान करना था जिससे वे अपनी सहायता स्वयं कर सके। संपूर्ण ग्रामीण समाज विशेषकर निर्धन वर्ग के विकास के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कुटीर उद्योग, कृषि, पशुपालन आदि के लिए नए तरीकों का प्रदर्शन करने वास्ते अनेक प्रदर्शन केंद्र चलाना मुख्य कार्य थे। इस योजना की सफलता का मुख्य कारण प्रयत्न की संगठनात्मक शक्ति थी।

सेवाग्राम परियोजना – राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आजादी के साथ–साथ ग्रामीण विकास भी चाहते थे। सेवाग्राम परियोजना महात्मा गांधी ने वर्धा के पास सेवाग्राम गांव में 1936 में शुरू की थी। यह परियोजना गांधीजी ने ग्रामीण जीवन के सभी अंगों के विकास के लिए शुरू की थी। महात्मा गांधी विकसित देश की तस्वीर की शुरुआत ग्रामीण विकास से ही देखना चाहते थे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य लोगों में स्वयं सहायता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, अस्पृश्यता निवारण व कमजोर वर्गों की सेवा करना, ग्रामीण जरूरतों के अनुसार ग्रामीण संस्थानों का प्रयोग करके गांवों के पुनर्निर्माण की चेतना पैदा करना। गांधीजी ने आत्म–निर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा स्व–शासन पर जोर दिया। इसके प्रचार व प्रसार के लिए उन्होंने सेवाग्राम में प्रशिक्षित स्वैच्छिक–कार्यकर्त्ताओं की राष्ट्रीय सेना तैयार करने का कार्यक्रम चलाया ताकि प्रत्येक गांव में एक कार्यकर्ता नियुक्त किया जा सके जो लोगों को अपने तथा गांव के संपूर्ण विकास के लिए चेतना भर सके।

गुड़गांव परियोजना – सन् 1927 में गुड़गांव जिले के उपायुक्त एफ.एल. ब्रायन ने गुड़गांव के नाम से महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए। वे गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति अपने प्रेम के लिए मशहूर थे। उन्होंने लोगों के सामने श्रम की गरिमा का उदाहरण भी प्रस्तुत किया क्योंकि वे अपना अधिकतर काम अपने ही हाथों से करते थे। जिसका उद्देश्य कड़े परिश्रम, बचत, आत्म–नियंत्रण आत्म एवं पारस्परिक सहायता तथा आत्म एवं पारस्परिक सम्मान के आधार पर ग्रामीण पुनर्निर्माण करना था। ब्रायन के ग्रामीण विकास के चार मुख्य सिद्धांत थे – ग्राम संगठन की आवश्यकता, सार्वजनिक शिक्षा, विशिष्ट वर्ग के लोगों द्वारा नेतृत्व के उदाहरण प्रस्तुत करना और देशवासियों के प्रति सेवा और कर्तव्य की भावना। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को महिला और शिशु कल्याण के विषय में प्रशिक्षण, ग्राम गाइडों को प्रशिक्षित करना, स्वास्थ्य संघ व स्वास्थ्य केंद्र चलाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। ब्रायन का विश्वास था कि ग्रामीण संगठन, व्यापक शिक्षा, सेवा भाव एवं कर्तव्य परायणता से ही ग्रामीण विकास संभव है।

बड़ौदा परियोजना– बड़ौदा परियोजना की शुरुआत तो 19वीं शताब्दी से है, राजा माधवराज ने जो बड़ौदा रियासत के दीवान थे उस समय राज्य में कुछ कल्याणकारी उपाय शुरू किए थे। इस परियोजना को बड़ौदा रियासत के तत्कालीन दीवान बी.टी. कृष्णचारी ने प्रयत्न के डा. स्पेंसर हैंच की सहायता से ग्राम पुनर्निर्माण केंद्र शुरू किए। पहला ग्राम पुनर्निर्माण केंद्र 1932 में कोसाला में स्थापित किया गया जो कि मार्तांडम के मॉडल पर आधारित था। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास के काफी बड़े प्रयोगों में था। ग्रामीण जीवन में सुधार करने तथा ग्रामीणों की आत्म–सहायता एवं आत्म–निर्भरता तथा अच्छा जीवन जीने की इच्छा पैदा करना व विकसित करने के उद्देश्य से चलाई गई यह एक महत्वपूर्ण परियोजना थी। इस परियोजना के मुख्य कार्य प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, जलापूर्ति की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, घरेलू बागवानी, मुर्गीपालन, मधुमक्खीपालन की व्यवस्था व बिक्री की व्यवस्था, घरेलू उद्योग तथा सहकारी समितियां स्थापित करना थे।

निलोखेड़ी परियोजना–इस परियोजना को शरणार्थी पुनर्वास परियोजना भी कहा जाता है क्योंकि यह परियोजना पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापितों के पुर्नवास के लिए एक नई बस्ती विकसित करने के लिए शुरू की गई थी। यह परियोजना 1949 में एस.के.डे. के नेतृत्व में शुरू की गई थी। इसके तहत हरियाणा के निलोखेड़ी नामक स्थान पर नया

मजदूर मंजिल नाम से नई बस्ती बनाई गई और वहां बसे शरणार्थियों को अपने श्रम एवं कौशल का प्रयोग करने की सुविधा देकर अपनी जरूरतें स्वयं पूरी करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए। शरणार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण–सह–उत्पादन केंद्र शुरू किए गए। हर बस्ती में अस्पताल, स्कूल, प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक व तकनीकी संस्थाएं, पशु चिकित्सा, कृषि विस्तार और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उजड़े हुए लोगों में आत्मविश्वास पैदा करना था और यह प्रयोग पूर तरह सफल रहा। इसकी सफलता ने सिद्ध कर दिया कि सीमित साधनों से भी आपसी सहयोग द्वारा विभिन्न कार्यों का संचालन करके ग्रामीण विकास संभव है और बेकार भूमि का विकास करके गरीबों का उत्थान किया जा सकता है।

इटावा परियोजना–इसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की मार्गदर्शी परियोजना भी कहा जाता है। क्योंकि यही मॉडल भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आधार था। यह परियोजना 1948 में अलबर्ट जिले के मेहवा गांव से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य एक आदर्श गांव बनाने के लिए कृषि, पशु पालन में वृद्धि करना, सामाजिक कल्याण, आत्मविश्वास तथा लोगों में सहयोग की भावना पैदा करना था। अन्य परियोजनाओं की अपेक्षा इस का प्रशासनिक ढांचा अच्छी तरह संगठित था। इस योजना में विशेषज्ञों की सलाह व सहायता से उत्तम खाद, बीज व सिंचाई साधनों का विकास, पशुपालन मुख्य कार्यक्रम थे। जिनके लिए सहकारी समितियों द्वारा साख एवं बाजार सुविधाएं प्रदान करना तथा सामान्य विकास के लिए सड़कें, पानी आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और आवास सुधार, शिक्षा व प्रशिक्षण देना मुख्य कार्यक्रम अपनाए गए थे।

इस परियोजना ने प्रारंभ में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना तथा कृषि का आधुनिकीकरण मुख्य सफलता थी। लेकिन इसके संचालक अलबर्ट मेययर के चले जाने के बाद इन सफलताओं को बनाए नहीं रखा जा सका। इस परियोजना में कृषि एवं उद्योग के अंतः संबंधों की कमी थी।

इस प्रकार भारत में स्वतंत्रता से पहले ग्रामीण विकास के अनेक प्रयोग किए गए। लेकिन ये कार्यक्रम अलग–अलग प्रयत्न के थे जो साधनों एवं विस्तृत योजना की कमी के कारण सीमित क्षेत्रों में सीमित व्यक्तियों तथा सीमित कार्यक्रमों तक ही सीमित रहे। लेकिन परियोजनाओं की इन छुट–पुट कमियों के बावजूद भी भारत की ग्रामीण विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों की आधारशिला कहा जा सकता है। इन प्रयत्नों का मुख्य लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन रहा है जिसे आजादी के बाद योजनाकारों ने वैज्ञानिक विधि से अपनाया तथा अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रम अपनाए गए।

स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम

सामुदायिक विकास योजना – अब तक विभिन्न परियोजनाएं सीमित क्षेत्रों को ध्यान में

रखकर बनाई गई थीं। इसलिए वे कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहने के कारण व्यापक प्रभाव नहीं डाल पाईं। स्वतंत्रता के पश्चात् ग्रामीण समुदाय के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत अधूरी 1952 में 55 परियोजनाओं को चालू किया गया। इसका उद्देश्य जाति उन्मुख परंपरागत समाज को समुदाय उन्मुख समाज में बदलना था। प्रारंभ में राष्ट्रीय विस्तार सेवा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में से कुछ को सामुदायिक विकास के अंतर्गत ले लिया गया। अप्रैल 1958 में सामुदायिक विकास व राष्ट्रीय विस्तार सेवा में अंतर नहीं रहा। प्रथम अवस्था से पूर्व तक की विस्तार पूर्व अवस्था भी रखी गई थी जिसमें कृषि की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया गया। सामुदायिक परियोजना के मुख्य चार उद्देश्य – 1. ग्रामीण जनता में प्रगतिशील दृष्टिकोण पैदा करना। 2. सहकारी तरीके से काम करने की आदत डालना। 3. उत्पादन बढ़ाना। 4. रोज़गार में वृद्धि।

सामुदायिक विकास का अभिप्राय संपूर्ण समाज का विकास करने और उसे आत्मनिर्भर बनाने से है। सामुदायिक विकास एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा ग्रामीण समुदाय के लोग अपने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा सर्वांगीण विकास के लिए सरकार के साथ मिलकर सहयोग करते हैं, सामुदायिक विकास को एक सामूहिक प्रयत्न माना गया है और इसके संचालन में पहल स्वयं समुदाय के लोगों द्वारा होनी चाहिए। सामुदायिक विकास परियोजनाओं एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों से यह अपेक्षा की गई कि कृषि संबंधी एवं औद्योगिक पिछड़ेपन, अशिक्षा, निर्धनता, कुपोषण, अस्वस्थ–परिस्थितियों को दूर करने एवं ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करने में समर्थ हो सकेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर डाला गया है जिलों में कार्यक्रम लागू करने के लिए जिला परिषदों की स्थापना की गई। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियों का निर्माण किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम सेवक जैसे बहुउद्देशीय कार्यकर्ता को नियुक्त किया गया।

सामुदायिक विकास की दृष्टि से संपूर्ण देश को 5,256 सामुदायिक विकास खंडों में बांटा गया था। बाद में पुनर्गठन के बाद इसकी संख्या घटकर 5,011 रह गई। प्रारंभ में एक सामुदायिक विकास के अंतर्गत 300 गांवों को रखा गया था जिनकी जनसंख्या लगभग 2 लाख थी। एक खंड के क्रियांवयन का क्षेत्र 1300 कि.मी. था। किंतु 1 अप्रैल 1958 को इस आधार में परिर्वतन कर दिया गया। वर्तमान में एक खंड में लगभग 100 गांव हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख के लगभग है तथा जिसका क्षेत्रफल 620 वर्ग किमी है।

एक विकास खंड का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी खंड विकास अधिकारी होता है विकास अधिकारी के अतिरिक्त 8 विस्तार अधिकारी होते हैं जो सामुदायिक विकास खंडों की श्रृंखला में सहकारिता, पशुपालन,

ग्रामोद्योग, कृषि, सामाजिक शिक्षा आदि विषयों के विशेषज्ञ होते हैं। इन सभी की सहायता के लिए प्रत्येक विकास खंड में 10 ग्राम सेवक (वर्तमान में कृषि विकास अधिकारी) तथा 2 ग्राम सेविकाएं होती हैं। सामुदायिक विकास खंडों में होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया था। इस समय यह कार्यक्रम देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रांतों में लागू हैं। जिसके अनुसार 5,011–विकास खंड हैं जिसमें 63,2500 गांव शामिल कर लिए गए हैं जोकि जनता की सेवा कर रहे हैं केवल घोषणा करने से ग्रामीण विकास संभव नहीं है इसके लिए सतत इच्छा शक्ति जरूरी है।

स्वतंत्रता के बाद सामुदायिक कार्यक्रम के अलावा सरकार ने अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम क्रियांवित किए – सामुदायिक विकास परियोजना (1952), राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम (1953), खादी एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम (1957), ग्रामीण आवासीय परियोजना (1957), बहुउद्देशीय अनुसूचित जनजाति विकास खंड कार्यक्रम (1957), ग्रामीण आवासीय परियोजना (1957), विशेष पैकेज कार्यक्रम (1960), गहन जिला कृषि कार्यक्रम (1960), व्यावहारिक आहार कार्यक्रम (1962), ग्रामीण उद्योग परियोजना (1962), गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (1964), कृषक प्रशिक्षण एवं शिक्षा कार्यक्रम (1966), कुआं निर्माण कार्यक्रम (1966), ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम (1989), सूखा क्षेत्र पीड़ित कार्यक्रम (1970), ग्रामीण रोजगार नकदी योजना (1971), लघु कृषक विकास एजेंसी (1971), जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम (1972), ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (1972), न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (1972), सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (1973), विशेष दुग्ध उत्पादक कार्यक्रम (1975), बीस सूत्रीय कार्यक्रम (1977), स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसम–1979), राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम (1981), नया बीस सूत्रीय कार्यक्रम (1982), ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विकास कार्यक्रम (1983), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (1989), इंदिरा आवास योजना (1993), दस लाख कुंओं की योजना (1993), गहन जवाहर रोजगार योजना (1993), ग्रामीण कारीगरों का उन्नत औजार किटों की आपूर्ति कार्यक्रम (1992), सुनिश्चित रोजगार योजना (1993), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (1993), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (1993), गंगा कल्याण योजना (1997) स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना (1999), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (2001), प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (2000), जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (1999), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (2001), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (2000)।

अन्य रोजगार योजनाएं

ग्रामीण विकास के संदर्भ में क्रियांवित उपर्युक्त योजनाओं के अलावा ग्रामीण स्वच्छता, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, वनारोपण कार्यक्रम, पर्यावरण सुधार, सामूहिक बीमा योजना, फसल बीमा योजना, कुटीर ज्योति कार्यक्रम शुरु किए गए हैं। भारत सरकार के अलावा विभिन्न राज्यों में भी ग्रामीण विकास के लिए अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम शुरु किए गए हैं। इनको प्रभावशाली तरीके से सफल बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था से जोड़ने की योजना है। मध्य प्रदेश व हरियाणा में तो ज्यादातर योजनाएं पंचायतों के अधीन कर दी गई हैं। तो ग्रामीण सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों ने गांवों की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है फिर भी यही कहा जा सकता है कि कुछ कारणों से ग्रामीणों को इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों से अपेक्षित काम नहीं मिल पाया है। देश में अधिकांश गांव अभी तक भी वैज्ञानिक तकनीक एवं औद्योगिक प्रगति का समुचित लाभ नहीं उठा पाए हैं।

कुछ उपयोगी सुझाव

ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की यदि अभी तक की उपलब्धियों का दृष्टिगत मूल्यांकन किया जाए तो यही निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ ग्रामीणों तक अभी भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है जिसके बारे में अभी गहन शोध एवं अनुसंधान आवश्यक है। ग्रामीण विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए निम्न सुझाव हैं –

पूर्ण जानकारी का अभाव – ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। ग्रामीण विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्राथमिक शिक्षा के साथ जोड़कर प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक एक विषय में पढ़ाया जाता है।

कर्मचारियों की निष्ठा – ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियांवयन में ब्लॉक अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी एवं बैंक तथा अन्य सभी संबंधित संस्थाएं अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि इन संस्थाओं के कर्मचारी इन कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संबंध में अपने उत्तरदायित्व को निष्ठापूर्वक निभाएं।

निगरानी एवं मूल्यांकन – ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सतत निगरानी एवं मूल्यांकन की आवश्यकता है।

अच्छे गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करना – गैर–सरकारी संगठन ग्रामीण जनता के काफी करीब होते हैं अतः गैर–सरकारी संगठनों को सक्रिय भागीदार करके कार्यक्रमों एवं योजनाओं को काफी हद तक सफल बनाया जा सकता है।

तालमेल – अधिकतर योजनाओं एवं कार्यक्रमों में ग्रामीण विकास योजनाओं से संबंधित कर्मचारियों एवं बैंक के अधिकारियों में तालमेल का अभाव रहता है जिससे उचित व्यक्ति को सही तरीके से लाभ नहीं मिल पता है।

राज्य सरकारों में इच्छा शक्ति का अभाव – केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को कई सरकारों में लागू करने की इच्छा शक्ति का अभाव होता है जिससे निर्धारित समय पर लाभार्थियों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता।

आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण विकास के साथ योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए ग्रामीणों को पूरी जानकारी के साथ–साथ सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, नेताओं तथा जनता में राष्ट्रीय चरित्र विकसित किया जाए। कागजों में योजना बनाना एवं लागू करने की घोषणा करने से ग्रामीण विकास संभव नहीं है इसके लिए सतत इच्छा शक्ति जरूरी है। ❑

(लेखक इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के अध्ययन केंद्र हिसार, हरियाणा में ग्रामीण विकास स्नात्कोत्तर डिप्लोमा के काउंसलर हैं)

कृषि बीमा : अतीत और वर्तमान

डा. सत्यपाल सिंह

कृषि बीमा एक ऐसी बीमा योजना है जिसके अंतर्गत कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा प्रीमियम की राशि प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप उसकी फसल के नष्ट हो जाने अथवा पशुओं के मर जाने से उत्पन्न ऋणग्रस्तता एवं बर्बादी से रक्षा करती है। फसल बीमा के अंतर्गत कृषकों को फसलों से होने वाली हानि से रक्षा करने के लिए प्रीमियम की राशि का भुगतान करके जोखिम को बीमा कंपनी पर स्थानांतरित कर दिया जाता है।

कृषि व्यवसाय प्रकृति की अनिश्चितताओं जैसे – बाढ़, सूखा, आग, ओलावृष्टि तूफान, कीड़े–मकोड़े एवं अन्य विभिन्न रोगों से समय–समय पर गंभीर रूप से प्रभावित होता रहता है। इन अनिश्चितताओं से कृषि उत्पादन तथा कृषकों की आय में भी अनिश्चितता बनी रहती है। ऐसी दशा में किसान कभी–कभी अपनी उत्पादक लागत को भी नहीं निकाल पाते हैं। प्राकृतिक आपदा एवं अन्य कारणों से फसल खराब या नष्ट होने की स्थिति में कृषकों को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण जाल में फंस जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में कृषकों को राहत दिलाने के लिए भारत में कृषि बीमा योजना लागू करने की आवश्यकता महसूस की गई। कृषि बीमा एक ऐसी बीमा योजना है जिसके अंतर्गत कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा प्रीमियम की राशि प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप उसकी फसल के नष्ट हो जाने अथवा पशुओं के मर जाने से उत्पन्न ऋणग्रस्तता एवं बर्बादी से रक्षा करती है।

कृषि बीमा के प्रकार : कृषि बीमा दो प्रकार के होते हैं :– 1. फसल बीमा 2. पशु बीमा

फसल बीमा : प्राकृतिक एवं दैवी आपदाओं के परिणामस्वरूप फसलों को होने वाली हानि से रक्षा करने तथा किसानों को वित्तीय सुविधा

प्रदान कर अगले मौसम में उनकी ऋणपात्रता बनाए रखने के लिए बीमा योजना चलाई जा रही है। फसल बीमा के अंतर्गत कृषकों को फसलों से होने वाली हानि से रक्षा करने के लिए प्रीमियम की राशि का भुगतान करके जोखिम को बीमा कंपनी पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। फसलों का बीमा कराने के पश्चात् प्राकृतिक प्रकोपों से यदि फसलों को किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति कृषक को बीमा कंपनी करती है। अपने देश में फसल बीमा की प्रकृति दो प्रकार की होती है:–

ऐच्छिक बीमा :– यह बीमा किसानों की इच्छा पर निर्भर करता है। किसान चाहे तो अपनी फसल का बीमा कराए अथवा न कराए।

अनिवार्य बीमा :– इस बीमा के अंतर्गत सभी किसानों को अपनी फसल का बीमा कराना अनिवार्य होता है।

भारत में फसल बीमा योजना

भारत में फसल या पशु बीमा योजना लागू करने का सुझाव सर्वप्रथम 1939 में राष्ट्रीय नियोजन समिति द्वारा बनाई गई भूमि नीति, कृषि श्रम एवं बीमा उप–समिति ने दिया था। मध्य प्रदेश के देवास गांव में सर्वप्रथम अनिवार्य फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई, परंतु कुछ समय पश्चात् यह योजना स्थगित कर दी गई। वर्ष 1946 में नारायण स्वामी नायडू की अध्यक्षता में गठित ग्रामीण ऋण जांच समिति ने फसल बीमा योजना को अमेरिका की फेडरल फसल बीमा पद्धति के अनुरूप लागू किए जाने का सुझाव प्रस्तुत किया। इसके पश्चात सहकारी नियोजन समिति ने राज्य स्तर पर फसल एवं पशु बीमा योजना को संचालित करने की संस्तुति की जिसे वर्ष 1947 में सहकारी समितियों के निबंधकों के सम्मेलन में अनुमोदित किया गया। 1948 में कृषि एवं खाद्य मंत्रालय ने कुछ चुने हुए क्षेत्रों में फसल एवं पशु बीमा लागू करने में आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन व सुझाव प्रस्तुत करने के लिए डा.जी.एस. प्रियोल्कर को नियुक्त किया। डा. प्रियोल्कर ने कुछ चुनी हुई फसलों तमिलनाडु में धान एवं कपास, महाराष्ट्र में कपास, मध्य प्रदेश में गेहूं व चावल तथा उत्तर प्रदेश में चावल, गेहूं व गन्ना में फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन का सुझाव प्रस्तुत किया। इस सुझाव पर विशेषज्ञों ने अपना मत व्यक्त किया कि फसल बीमा का 50 प्रतिशत व्यय केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाए, पर राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में रुचि न लेने के कारण फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन संभव न हो सका। वर्ष 1947 के दिल्ली में हुए एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन तथा खाद्य एवं कृषि संगठन की कार्यकारी समिति ने भी अपनी 1956 की बैठक में फसल बीमा योजना लागू करने का सुझाव प्रस्तुत किया। पर इन सभी सुझावों व प्रयासों के पश्चात् भी फसल बीमा योजना की दिशा में कोई प्रगति संभव न हो सकी।

तालिका–1

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का कार्य निष्पादन

विवरण	रबी 1999–2000	खरीब 2000	रबी 2000–01	खरीफ 2001	रबी 2001–02	योग
1. सम्मिलित किसान (लाख में)	5.80	84.09	20.91	85.68	20.83	21731
2. बीमाकृत राशि (करोड़ रु.)	356.40	6803.38	1602.78	7300.90	1698.39	17861.75
3. प्रीमियम (करोड़ रु.)	5.42	206.74	27.79	256.95	34.72	531.63
4. शामिल क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)	780	132.20	31.11	127.58	32.73	331.42
5. दावे (करोड़ रु.)	7.69	1222.91	59.50	468.82	64.39	1823.31
6. भुगतान किए गए दावों की राशि (करोड़ रु.)	7.68	1222.77	59.04	258.82	17.91	17.91

1960 से 65 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप फसलों के उत्पादन में आई गिरावट से फसल बीमा योजना को बल प्राप्त हुआ, परिणामस्वरूप 1968 में केंद्रीय खाद्य व कृषि मंत्रालय द्वारा अनिवार्य फसल बीमा योजना का प्रस्ताव राज्य सरकारों को इस अपेक्षा के साथ प्रेषित किया गया कि सभी सरकारें इसे अपने प्रदेश में लागू करें पर राज्य सरकारों की उपेक्षापूर्ण नीतियों के चलते यह योजना व्यवहार में नहीं लाई जा सकी। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि भारत में फसल बीमा योजना के कार्यांवयन के लिए समय–समय पर अनेक प्रयास किए गए हैं। जनवरी, 1973 के पूर्व एक फसल बीमा योजना गुजरात राज्य में जीवन बीमा निगम द्वारा कपास की संकर किस्म 4 के लिए चलाई गयी थी। वर्ष 1974–75 में भारतीय सामान्य बीमा निगम ने 10 प्रायोगिक फसल बीमा योजनाएं आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्यों में कपास, गेहूं व मूंगफली की फसलों के लिए प्रारंभ की गई। भारतीय सामान्य बीमा निगम को वर्ष 1973 से 1976 के दौरान फसल बीमा योजनाओं से मात्र 3.38 लाख रुपये की प्रीमियम राशि प्राप्त हुई जबकि निगम द्वारा इस काल में 36.06 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। इस प्रकार योजना के परिणाम उत्साहवर्धक नहीं रहे। देश में अब तक संचालित कृषि बीमा योजनाएं निम्न प्रकार से हैं:–

पायलट फसल बीमा योजना : 1979 में राज्य सरकारों के सहयोग से भारतीय सामान्य बीमा निगम ने पायलट फसल बीमा योजना प्रारंभ की। यह योजना वर्ष 1982–83 की खरीफ मौसम में 9 राज्यों – आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश में लागू की गई। सामान्य बीमा निगम ने इन राज्यों में खरीफ की फसल के लिए वर्ष 1982–83 में 4 करोड़ रुपये की बीमा अभिरक्षा धान, ज्वार, मूंगफली, कपास व मक्का के उत्पादक किसानों को प्रदान की। प्रति किसान बीमे की अधिकतम सीमा 2,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 5,000 रुपये व कम जोखिम वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त मध्यम जोखिम वाले क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए योजना में आवश्यक संशोधन किया गया जिससे योजना किसानों में अधिक लोकप्रिय हो सके। संपूर्ण देश में बीमाकृत राशि 6.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 12 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई। वर्ष 1981–82 तक समाप्त तीन वर्षों के दौरान

तालिका–2

भारत में पशुधन बीमा

वर्ष	बीमित पशुओं की संख्या (मिलियन)	संगृहीत प्रीमियम (करोड़ रु.)	व्यय की गई दावा राशि	दावे और प्रीमियम का अनुपात
1993–94	17.7	103.83	63.71	61
1994–95	14.3	106.87	71.50	66
1995–96	15.3	113.39	74.05	65
1996–97	14.7	122.54	74.83	61
1997–98	22.83	137.06	102.75	75
1998–99	23.50	145.47	105.69	73
1999–2000	17.10	131.19	125.26	91
2000–2001	15.35	144.70	131.71	66
2001–2002	16.49	135.38	107.70	80

प्रीमियम की धनराशि 20 लाख रुपये थी जबकि इस काल में निपटाए गए दावों की धनराशि 16 लाख रुपये थी। वर्ष 1983–84 तक इस योजना को 12 राज्यों ने स्वीकार किया फिर भी देश के मात्र 600 प्रखंडों में ही लागू की जा सकती है।

व्यापक फसल बीमा योजना : सन् 1985 में खरीफ मौसम से देश में व्यापक फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई। इस बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से कृषकों को होने वाली हानि से राहत दिलाने तथा संस्थागत अभिकरणों से प्राप्त ऋणों का समय से भुगतान सामर्थ्य बनाए रखना है। इस योजना में बीमित राशि फसल ऋण के बराबर होती है जो प्रति किसान अधिकतम 10 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इस योजना के प्रारंभ वर्ष 1985 से 1997–98 के रबी मौसम तक लगभग 6.45 करोड़ किसानों को इस योजना में शामिल किया गया। संदर्भित समय के अंतर्गत लगभग 313 करोड़ रुपये संग्रहीत प्रीमियम की तुलना में 1.623 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया।

भारतीय सामान्य बीमा निगम केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से इस योजना को संचालित करता है। प्रीमियम एवं दावों में भारत सरकार व संबंधित राज्य सरकार का हिस्सा 2:1 के अनुपात में होता है। उल्लेखनीय है कि 1.623 करोड़ रुपये के अखिल भारतीय दावों में से अकेले गुजरात राज्य ने एक अकेली फसल मूंगफली के लिए दावों की क्षतिपूर्ति के रूप में 972 करोड़ रुपये प्राप्त किए जो कुल दावों के भुगतान का 48.8 प्रतिशत है।

प्रयोगात्मक फसल बीमा योजना : वर्ष 1997–98 में रबी की फसल के दौरान भारत सरकार द्वारा एक प्रतियोगिता फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई जिसके अंतर्गत कुछ चुने हुए जिलों में विशिष्ट फसल उगाने वाले ऋणी छोटे व सीमांत किसानों को शामिल किया गया। यह योजना 5 राज्यों के 14 जिलों में कार्यान्वित की गई। प्रीमियम और दावे दोनों में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के हिस्से का अनुपात 4:1 निर्धारित किया गया। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1997–98 में रबी के मौसम में लगभग 4.78 लाख किसानों को सम्मिलित कर 172 करोड़ रुपये का बीमा किया गया। इस दौरान कुल 2.86 करोड़ रुपये का प्रीमियम एकत्र किया गया और इसमें दावों की कुल राशि लगभग 39.78 करोड़ रुपये थी। यह योजना वर्ष 1998 की खरीफ फसल से स्थगित कर दी गयी।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना : पूर्व संचालित व्यापक फसल बीमा योजना को प्रतिस्थापित करते हुए 22 जून 1999 (रबी 1999–2000) से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूखे, बाढ़ चक्रवात, आग व ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा कीट व बीमारियों के कारण फसल को हुई क्षति से किसानों को संरक्षण प्रदान करना है। यह योजना जोत के आकार पर ध्यान दिए बिना ऋणी व गैर–ऋणी सभी किसानों के लिए स्वीकार की गई है। इस नई योजना में सभी खाद्यान्न फसलों यथा मोटे अनाज, ज्वार बाजरा व दाल, तिलहन तथा वाणिज्यक फसलों जिनके संबंध में कई वर्षों के पिछले उत्पादन संबंधी आंकड़ों उपलब्ध हैं, को सम्मिलित किया गया है। वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों में गन्ना, आलू, कपास, अदरक, प्याज, हल्दी तथा मिर्च जैसी सात फसलों को इस योजना में शामिल किया गया है। अन्य सभी फसलों को पिछले उत्पादन आंकड़ों की उपलब्धता की शर्त पर तीसरे वर्ष में बीमा कवच के अधीन रखा जाएगा। नई योजना के अंतर्गत सम्मिलित होने वाले प्रत्येक राज्य/संघ से यह उम्मीद की गई है कि तीन वर्षों के अंतर्गत इस बीमा योजना को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर तक विस्तरित कर देंगे।

कार्य निष्पादन :– वर्तमान समय में यह योजना 21 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कायान्वित की जा रही है, ये राज्य/संघ क्षेत्र–आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी हैं। इस योजना के अधीन कार्य निष्पादन को तालिका–1 की सहायता से दर्शाया जा सकता है :

पशुधन बीमा योजना

पशुपालन भारतीय कृषि का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग है, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का एक विशिष्ट स्थान है। अतः पशुधन बीमा भी फसल बीमा के समान ही महत्वपूर्ण है। पशुधन बीमा का महत्व लघु एवं सीमांत किसानों के लिए फसल बीमा से भी अधिक है। भारत में बीमा नीति के अंतर्गत बीमा की गई राशि अथवा मृत्यु के समय पशु बाजार मूल्य जो भी कम हो के लिए कवच प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में पशुधन बीमा कार्यक्रम जिसमें मुख्यतः पशु बीमा शामिल है, चार सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों यथा नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा क्रियांवित किया जा रहा है। देश में वर्ष 1974 से पशु बीमा

की विभिन्न योजनाओं को संचालित किया गया है। पशु बीमा की सामान्य योजनाओं के अतिरिक्त एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं जिनमें लाभार्थियों द्वारा खरीदे गए दुधारू पशुओं, बैलों, संकर गायों को बीमा द्वारा आच्छादित करने की व्यवस्था है। वर्ष 1993–94 से पशुधन बीमा के अंतर्गत हुई प्रगति को तालिका–2 की सहायता से प्रदर्शित किया गया है।

तालिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विगत तीन वर्षों में बीमित पशुओं की संख्या में ह्रास हुआ है, जिसका प्रमुख कारण बछड़ों, भेड़ों व बकरियों जैसे कम कीमत वाले पशुओं की बीमित संख्या में आने वाली कमी है, जो इस समय आच्छादित पशुओं की लगभग 25 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि पशु–बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 1974 में मात्र 29,570 पशु ही बीमाशुदा थे जिनकी संख्या 1983 में बढ़कर 1.06 करोड़ व 1991 में 1.83 करोड़ हो गई। बीमित पशुओं की संख्या वर्ष 1997–98 में 228 लाख, 1998–99 में 235 लाख, 1999–2000 में 171 लाख, 2000–01 में 153 लाख व 2001–02 में लगभग 165 लाख रही।

फसल बीमा व पशु बीमा योजना के कार्यान्वयन में कठिनाइयां

फसल बीमा व पशुधन बीमा योजना के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख कठिनाइयां निम्न प्रकार से हैं:–

- भू–स्वामित्व के सही अभिलेख प्राप्त न होने के कारण फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कठिनाई।
- विभिन्न फसलों के उत्पादन में होने वाली क्षति की मात्रा का ठीक–ठीक एवं क्षेत्रवार ब्योरा उपलब्ध न होने के कारण प्रीमियम की सही राशि के निर्धारण में कठिनाई।
- देश में लघु व सीमांत जोतों की अधिकता, जोतों का बिखरा होना, अलग–अलग किसानों द्वारा भिन्न–भिन्न फसलचक्र अपनाए जाने के कारण बीमा किस्त की सही राशि का निर्धारण में कठिनाई।
- भारतीय किसानों की अशिक्षा व अज्ञानता के कारण योजना के किसानों के बीच लोकप्रिय न होना।
- देश में पाए जाने वाले पशुओं की संख्या अधिक है पर इन पशुओं में अधिकांश पशु आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं हैं जिससे कृषक अधिकांश पशुओं का बीमा नहीं कराते हैं।
- देश में पशुओं की मृत्युदर में अधिकता तथा मृत्युदर से संबंधित सही आंकड़ों की अनुपलब्धता।
- पशु बीमा के कार्यान्वयन में एक प्रमुख कठिनाई मृतक पशु की पहचान की होती है। क्या मृत पशु वही है जिसका कंपनी ने बीमा किया है। यह पता करना बीमा कंपनी के लिए अत्यंत ही कठिन होता है।
- पशु चिकित्सा सुविधा में विकास की कमी के कारण कभी–कभी संक्रामक बीमारियों के कारण भारी संख्या में पशुओं की मृत्यु हो जाती है जिससे बीमा कंपनियों को बहुत हानि उठानी पड़ती है।
- किसानों एवं पशुपालकों की आर्थिक दशा खराब होने के कारण वे बीमा किस्तों का समय से भुगतान नहीं कर पाते हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता।
- फसल बीमा व पशु बीमा योजना को कार्यान्वित करने वाले दक्ष व कुशल कर्मचारियों का अभाव।
- बीमा कंपनियों को प्रारंभ में फसल व पशु बीमा लागू करने से होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त धन की व्यवस्था न करना।
- पशु बीमा योजना के कार्यान्वयन में प्रबंध लागत की अधिकता।

फसल एवं पशु बीमा योजना विस्तार हेतु आवश्यक सुझाव

भारतीय कृषि की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कृषि आयोग ने फसल बीमा योजना को आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य बताया है। फसल बीमा योजना व पशु बीमा योजना के विस्तार हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं :–

- फसल बीमा के संदर्भ में सभी वस्तुओं के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में पायलट योजनाएं प्रारंभ की जानी चाहिए जिससे सभी फसलों एवं क्षेत्रों में फसल बीमा योजना की पूरी तस्वीर सामने आ सके।
- उन क्षेत्रों में जहां अनिश्चितता अधिक होने के कारण किसान बीमा किस्त का भुगतान करने में समर्थ नहीं हैं वहां किस्त का निर्धारण समाज कल्याण की दृष्टि से न्यूनतम स्तर पर किया जाए।
- किसानों के पशुओं के मर जाने के कारण उन्हें उचित ब्याज की दर पर समय से ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिससे वे गैर–संस्थागत संस्थाओं से ऋण लेने को बाध्य हो जाते हैं परिणामस्वरूप वे ऋणग्रस्तता के स्थाई शिकार हो जाते हैं। अतः अनिवार्य रूप से पशु बीमा योजना को लागू किया जाए।

इस प्रकार भारतीय किसान की मानसून पर निर्भरता व अन्य अनिश्चितताओं के कारण जो गरीबी का पर्याय बना हुआ है उसके होठों पर मुस्कान लाने, बेबसी व लाचारी से मुक्ति दिलाकर देश की समृद्धि में उसकी हिस्सेदारी दिलाने व 2020 तक देश को समृद्धिशाली राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने के सपनों को साकार करने के लिए यह परमावश्यक है कि पूरे देश में एक साथ फसल व पशु बीमा की योजना को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। ❑

(प्रवक्ता, अर्थशास्त्र
कुंवर सिंह पी.जी. कॉलेज, बलिया (उ.प्र.)

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार व्यवस्थापक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड–4, लेवल–7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110066

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रैवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

आपका डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर **निदेशक, प्रकाशन विभाग** को **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

भारत में ऋणग्रस्तता कारण, प्रभाव और समाधान

डा. गणेश कुमार पाठक

भारत में ऋणग्रस्तता की समस्या बेहद पुरानी है। भारतीय किसान प्रारंभ से ही ऋण की जंजीरों में इतनी बुरी तरह जकड़ा रहा है कि न तो वह अपना विकास कर सका और न ही कृषि में आशानुकूल उन्नति कर सका है। शाही कृषि आयोग के अनुसार "भारतीय कृषक ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में ही जीवित रहता है एवं ऋण में ही मर जाता है।" श्री वुतफ के अनुसार "देश महाजन के चंगुल में फंसा है एवं ऋण की जंजीरों ने कृषि को जकड़ रखा है।" एक सर्वेक्षण के अनुसार 43 प्रतिशत ग्रामीण परिवार आज भी ऋणग्रस्त हैं। यह ग्रामीण ऋणग्रस्तता आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान एवं तमिलनाडु राज्यों में भारत की औसत ग्रामीण ऋणग्रस्तता से अधिक है।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण

किसान के ऋणी होने का एक मुख्य कारण यह है कि यह ऋण उसे पूर्वजों से विरासत में मिला है जिस पर ब्याज इतना अधिक होता है कि मूल की कौन कहे, सूद ही अदा नहीं हो पाता। अतः भारतीय किसान ऋण में ही जन्म लेता है, जन्म भर ऋणी रहता है एवं ऋण में ही मर जाता है। भारतीय किसान अपना यह नैतिक कर्तव्य समझता है कि उसे अपने पूर्वजों का ऋण चुकाना ही चाहिए।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:–

भूमि पर बढ़ती हुई जनसंख्या का भार : देश की आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है किंतु उद्योग–धंधे विकसित होने के बजाए पिछड़ते जा रहे हैं। किसान के पास भूमि कम रह गई है और उसकी आय घट गई है। इस कारण देश में गरीबी बढ़ती जा रही है और किसान के पास उपभोग कार्यों के लिए भी ऋण लेने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है।

खेतों का छोटा एवं दूर–दूर होना : किसान के पास जमीन बहुत थोड़ी है और छोटे–छोटे खेतों में बंटी है। खेती करने के ढंग भी पुराने हैं। अतः खेतों का आकार में छोटा होना एवं खेत दूर–दूर होने के कारण किसान की आय बहुत कम है तथा उसका भरण–पोषण भी भली–भांति नहीं हो पाता है और उसे बाध्य होकर ऋण लेना पड़ता है।

बाढ़, अकाल आदि : भारतीय खेती अनिश्चित है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पांच वर्षों के अंदर एक फसल अच्छी, दो फसल साधारण एवं दो फसल खराब होती हैं। कभी अतिवृष्टि होती है तो कभी अनावृष्टि, कभी टिड्डियों का प्रकोप होता है तो कभी पाला पड़ जाता है, कभी फसल को कीड़ा लग जाता है। अतः इन सब कारणों से फसल खराब हो जाती है। जिसके चलते किसान को महाजन की शरण लेनी पड़ती है और किसान ऋण के जाल में फंस जाता है।

शारीरिक कमजोरी : उचित एवं संतुलित आहार न मिलने के कारण भारतीय किसान निर्बल हो जाता है। वह प्रायः बीमार रहता है एवं खेती का कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पाता। उसकी कुशलता कम हो जाती है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसे ऋण लेना ही पड़ता है।

अपव्यय : सामाजिक एवं धार्मिक अवसरों पर गरीब से गरीब किसान अपनी बिसात से अधिक व्यय कर देता है। मुंडन, जन्म, विवाह, मृत्यु आदि अवसरों पर वह बिरादरी व रस्मों–रिवाज के कारण वर्षभर की कमाई को चंद घंटों में तबाह कर देता है एवं पुनः दैनिक कार्यों के लिए उसे ऋण लेना पड़ जाता है। भारतीय किसान शिक्षित न होने के कारण मुकदमेबाजी के शौकीन होते हैं और जरा–जरा सी बात पर लड़ाई–झगड़ा करने को तैयार रहते हैं तथा झगड़े के परिणामों पर ध्यान नहीं देते हैं। वे मुकदमा जीतने की लालसा में अपनी आर्थिक स्थिति से भी ऋण लेकर मुकदमेबाजी में व्यय कर देते हैं।

मालगुजारी एवं लगान की नीति : कृषकों से मालगुजारी तथा लगान उगाहने की सरकारी नीति के संबंध में कुछ विद्वानों का मत है कि भारत में लगान एवं मालगुजारी बहुत अधिक है और उनके वसूल करने का तरीका इतना सख्त है कि किसान उसे ऋण लेकर ही अदा कर पाता है।

ब्याज की ऊंची दर : गांव में ब्याज की दर बहुत ऊंची है। साथ ही साथ लेन–देन की व्यवस्था भी दोषपूर्ण है। अधिकतर गांवों में महाजनों एवं साहूकारों के अतिरिक्त और कोई संस्था ऐसी नहीं है जो किसानों को ऋण दे सके। साहूकार इस स्थिति का लाभ उठाता है और मनमानी दर पर रुपया उधार देता है।

महाजन–चंगुल : महाजन ब्याज की ऊंची दर लेने के अतिरिक्त किसानों को धोखा भी खूब देता है। कभी–कभी कोरे पन्नों पर अंगूठा लगवा लेता है और उसमें मूलधन व ब्याज की दर मनमाने ढंग से लिख देता है। किसान को कुछ पता भी नहीं चलता है। वसूली के समय बेचारा किसान गिड़गिड़ाता है किंतु निराश होकर अंततः उसे वही देना पड़ता है जितना महाजन कहता है।

शिक्षा का अभाव : भारतीय किसान उचित व आवश्यक शिक्षा के अभाव से ग्रस्त है। वह अज्ञानी एवं प्रायः निरक्षर होता है जिसके कारण वह बाहर तथा घर दोनों स्थानों पर ठगा जाता है। इन दोनों कारणों से वह महाजन के चंगुल में फंसा रहता है और ऋण के बोझ से दबा रहता है।

सहायक धंधों का अभाव : किसान वर्ष में लगभग 5 माह खाली रहता है। इस खाली समय में जीविकोपार्जन की दृष्टि से उसके पास कोई कार्य नहीं होता। दूसरे कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण भूमि से उत्पत्ति नहीं हो पाती। अतः खाली दिनों में गुजर–बसर करने के लिए उसके पास एक पैसा भी नहीं होता और उसको महाजन की शरण लेनी पड़ती है।

एक अर्थशास्त्री के अनुसार "यह ऋण की जंजीरें हैं जिन्होंने भारतीय कृषि को छिन्न–भिन्न कर दिया है"। किसान की आर्थिक स्थिति पर ऋण के निम्न प्रभाव पड़ते हैं :

कृषि की कुशलता में ह्रास : किसान के भारी ऋण बोझ से लदा होने के कारण कृषि की कुशलता में ह्रास हो जाता है अर्थात् उत्पाद घट जाता है। जब किसान यह देखता है कि वह चाहे कितना परिश्रम करे उसे कोई लाभ नहीं मिलता है तो वह भाग्यवादी हो जाती है और उसकी रुचि कृषि से हट जाती है। दूसरे, ऋण को चुकाने के बाद उसके पास कृषि की उन्नति के लिए कुछ भी नहीं बचता। इस प्रकार कृषि की उपज कम होने लगती है जिसका आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

किसान से भूमिहीन मजदूर होना : किसान अपनी भूमि को ऋण के कारण खो देता है और वह भूमिहीन मजदूर बन जाता है। किसान अपनी भूमि को गिरवी रखकर महाजन या जमींदार से रुपया उधार लेता है। रुपये का समय पर भुगतान न करने के कारण उसकों भूमि बेचनी पड़ती है। इससे भूमि किसान के पास से खेती न करने वाले व्यक्तियों के पास चली जाती है जिसका दोहरा प्रभाव पड़ता है– एक तो किसान भूमिहीन हो जाता है, दूसरे जिसके पास खेत चला जाता है वह उस खेत से उतना उत्पादन भी नहीं ले पाता, जितना किसान ले पाता था अतः उपज पहले से अधिक घट जाती है जिसका आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऋणग्रस्त किसान को अपनी फसल महाजन के हाथ सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती है जिससे कृषि लाभकारी धंधा नहीं रहता और इसका प्रभाव कृषक के आर्थिक विकास पर पड़ता है और वह आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता जाता है।

बेगार लेना : महाजन किसान से बेगार करवाता है। उससे नकद, सेवा या पदार्थों के रूप में अनेक व्यय लिए जाते हैं जो न्यायसंगत नहीं है। इससे किसान को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। जिस समय वह कमाना चाहता है उस समय उसे बेगार करनी पड़ती है जिसका आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव है।

ऋणग्रस्तता का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ने के साथ ही साथ सामाजिक एवं नैतिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है।

ऋण के कारण सामाजिक बंधन टूट जाते हैं। किसान और महाजन के बीच बहुत से झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। एक–दूसरे के प्रति ईर्ष्या व द्वेष बढ़ जाता है तथा गांवों में अवगति एवं असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। यह वातावरण समाज के लिए घातक होता है।

ऋण से किसान का नैतिक स्तर गिर जाता है। उसे अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं रहता। उसकी दासता की प्रवृत्ति हो जाती है। वह ऋण लेने के लिए इतना मजबूर हो जाता है कि वह महाजन की उचित–अनुचित हर बात मानने को तैयार हो जाता है। वह महाजन का गुलाम हो जाता है। उसके लिए वह आधी रात को भी बेगार करने के लिए तैयार रहता है।

समाधान

सरकार ने ग्रामीण ऋणग्रस्तता से मुक्ति दिलाने हेतु अनेक कारगर कदम उठाए हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं–

पुराने ऋणों की समाप्ति या कमी : राज्य सरकारों ने समय–समय पर पुराने ऋण को समाप्त करने या उनमें कमी करने के उद्देश्य से कानून बनाए हैं। 1889 में 'दक्षिण कृषक सुविधा अधिनियम' पास किया गया। 1934 में पंजाब में 'ऋणग्रस्तता को कम करने का सबसे प्रभावशाली उपाय बीससूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अपनाया गया। इसके अंतर्गत ऋण का भुगतान यथासंभव समाप्त या स्थगित कर दिया गया। निजी ऋणपतियों द्वारा दिए गए ऋणों के भुगतान न करने पर न तो मुकदमे चलाए जा सकेंगे और न ही किसी बिक्री पर अमल होगा।

साहूकारों पर नियंत्रण : विभिन्न राज्यों में साहूकारों और महाजनों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ब्याज की दरें निश्चित कर दी गई हैं। साहूकारों और महाजनों का पंजीकरण तथा उचित लेखा खाता अनिवार्य कर दिया गया है।

सहकारी संस्थाओं का विस्तार : इस शताब्दी के प्रारंभ से ही सहकारी संस्थाओं के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करने के सरकारी प्रयास चल रहे हैं। इसके लिए सरकार इनकी पूंजी में हिस्सा लेती है, ऋण देती है और मार्गदर्शन करती है।

व्यावसायिक बैंकों का विस्तार : सरकार की यह नीति रही है कि व्यावसायिक बैंक – जितनी नई शाखाएं खोलें, शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य खुलनी चाहिए। इस प्रकार 38.4 प्रतिशत शाखाएं अब ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना : दो अक्तूबर, 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे, जिनकी संख्या वर्तमान समय में 14,500 पहुंच चुकी है। ये बैंक आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं।

लघु व सीमांत कृषक एजेंसियां : छोटे एवं सीमांत कृषकों को वित्तीय सहायता देने के लिए 46 लघु कृषक विकास संस्थाएं एवं सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक विकास संस्था भी स्थापित की गई है।

उपर्युक्त उपायों के फलस्वरूप ग्रामीण ऋणग्रस्तता की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है किंतु मात्र वर्तमान ऋणों को समाप्त करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसे उपायों पर भी जोर दिया जाना चाहिए जिनसे ऋणमुक्त कृषक पुनः ऋण के बंधन में जकड़ने न पाए। ❑

रीडर, भूगोल विभाग
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दूबेछपरा
बलिया (उ.प्र.)–277205

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण की भूमिका

डा. सुरेंद्र कटारिया

प्रशिक्षण किसी भी प्रयोजन से दिया या लिया जाए, एक तथ्य हमेशा अभिभावी रहता है। वह है- बेहतर संचार। जितने बेहतर या श्रेष्ठतम तरीके से सूचना, ज्ञान या कौशल का संप्रेषण होगा, प्रशिक्षण भी उतना ही प्रभावी सिद्ध होगा। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला ऐसा विकासशील देश है जहां लोकतंत्र से लेकर लोक प्रशासन तक सभी संस्थाएं संक्रमणकाल से गुजर रही हैं अत: नीति, कानून, योजना तथा परियोजना के साथ-साथ इनके बेहतर क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण अत्यावश्यक है।

प्रशिक्षण अर्थात् किसी विशिष्ट विषय या क्षेत्र में ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्ति सहित व्यवहार में लाने योग्य प्रवृत्तियों को विकसित करने का प्रयास। यह प्रयास कई रूपों में हो सकता है। अनौपचारिक रूप से व्यक्ति जीवनभर कुछ न कुछ सीखता रहता है तो औपचारिक रूप से विद्यालय से लेकर किसी प्रशिक्षण संस्थान या कार्यस्थल पर स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त करता रहता है। विज्ञान एवं

प्रौद्योगिकी के प्रसार के कारण आज के युग में न केवल प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकताएं बढ़ी हैं बल्कि प्रशिक्षण प्रदान करने की नई प्रविधियां भी विकसित हुई हैं।

वस्तुतः प्रशिक्षण किसी भी प्रयोजन से दिया या लिया जाए, एक तथ्य हमेशा अभिभावी रहता है। वह है– बेहतर संचार। जितने बेहतर या श्रेष्ठतम तरीके से सूचना, ज्ञान या कौशल का संप्रेषण होगा, प्रशिक्षण भी उतना ही प्रभावी सिद्ध होगा। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला ऐसा विकासशील देश है जहां लोकतंत्र से लेकर लोक प्रशासन तक सभी संस्थाएं संक्रमणकाल से गुजर रही हैं अतः नीति, कानून, योजना तथा परियोजना के साथ–साथ इनके बेहतर क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण भी अत्यावश्यक है। एक कहावत है– "आप किसी को एक मछली दीजिए, वह अपना पेट भर लेगा किंतु यदि किसी को मछली पकड़ने की कला सिखा दी जाए तो अपने परिवार का पेट भर लेगा।" प्रबंधशास्त्री मानते हैं कि किसी भी संगठन या सेवा में उच्च स्तरीय प्रबंधकों में मानवीय कौशल जरूरी है तथा निम्न स्तरीय कार्मिक चूंकि कार्य को स्वयं क्रियान्वित करते हैं अतः उनमें तकनीकी कौशल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए देश के शीर्ष एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान अपने–अपने कार्यक्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संरचना एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के क्षेत्र में देश के शीर्ष प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा परामर्शकारी निकाय के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी), सन् 1965 से हैदराबाद में स्थापित है। यह संस्थान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का संगठन है जो भारत सहित अन्य विकासशील देशों के लिए ग्रामीण विकास के प्रशिक्षण, नीति निर्माण, अनुसंधान तथा संदर्भ केंद्र के रूप में सेवाएं देता है। इसी प्रकार 28 राज्यों में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एस.आई.आर.डी.) भी मौजूद हैं जो राज्य स्तरीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास

भारत में पंचायती राज संस्थाएं

(मार्च, 2003 की स्थिति)

क्र.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ग्राम पंचायतें	पंचायत समितियां (मध्य स्तर)	जिला परिषदें
1.	आंध्र प्रदेश	21,913	1,095	22
2.	अरुणाचल प्रदेश	2,012	78	13
3.	असम	2,153	187	20
4.	बिहार	8,471	531	38
5.	छत्तीसगढ़	9,139	146	16
6.	गोवा	189	–	2
7.	गुजरात	13,715	225	25
8.	हरियाणा	6,032	114	19
9.	हिमाचल प्रदेश	3,037	75	12
10.	झारखंड	3,748	211	22
11.	जम्मू एवं कश्मीर	2,683	*	*
12.	कर्नाटक	5,659	175	27
13.	केरल	991	152	14
14.	मध्य प्रदेश	22,029	313	45
15.	महाराष्ट्र	28,553	349	33
16.	मणिपुर	166	–	4
17.	उड़ीसा	6,234	314	30
18.	पंजाब	12,369	140	17
19.	राजस्थान	9,189	237	32
20.	सिक्किम	159	–	4
21.	तमिलनाडु	12,618	385	29
22.	त्रिपुरा	537	23	4
23.	उत्तर प्रदेश	52,029	809	70
24.	उत्तरांचल	7,219	95	13
25.	पश्चिम बंगाल	3,360	333	18
26.	अंडमान एवं निकोवार	67	7	1
27.	चंडीगढ़	17	1	1
28.	दादरा एवं नागर हवेली	11	–	1
29.	दमण एवं दीव	10	–	1
30.	लक्षद्वीप	10	–	1
31.	पांडिचेरी	98	–	–
	कुल	**2,34,415**	**6,005**	**534**

(नोटः मेघालय, मिजोरम तथा नगालैंड में पारंपरिक परिषदें कार्यरत हैं)

* सूचना उपलब्ध नहीं। गोवा, मणिपुर, सिक्किम, दादरा एवं नागर हवेली, दमण एवं दीव, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी में द्विस्तरीय संरचना है।

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संपादित करते हैं। इन राज्य स्तरीय ग्रामीण विकास संस्थानों के अधीन 88 क्षेत्रीय या विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (ईटीसी) कार्यरत हैं।

वस्तुतः राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) के दौरान इस उद्देश्य को लेकर की गई थी कि ये राज्य स्तरीय ग्रामीण विकास संस्थान पंचायती राज जन प्रतिनिधियों एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के अधिकारियों सहित ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। इसी प्रकार सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) के दौरान देशभर में विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों (ईटीसी) की स्थापना की गई ताकि ग्राम स्तरीय कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु राज्यों की राजधानी तक न आना पड़े तथा राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों का कार्य बोझ कम हो सके। भारत सरकार द्वारा इन प्रशिक्षण संस्थानों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विगत वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को 14 करोड़ रुपये, राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों को 10.3 करोड़ रुपये तथा विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों को आयोजना मद में 3.6 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए थे ताकि प्रशिक्षण के माध्यम से धारित विकास एवं क्षमता निर्माण के लक्ष्य पूरे हो सकें।

73वें संविधान संशोधन के पश्चात अब देश के अधिसंख्य राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रवर्तित है। देश के 534 जिलों में 12,089 जिला परिषद सदस्य, 6,005 मध्यस्तरीय पंचायतों में 83,767 सदस्य तथा 2,34,415 ग्राम पंचायतों में 17 लाख से भी अधिक वार्ड पंच एवं सरपंच जनता द्वारा चुने गए हैं। इन सभी पंचायती राज जन प्रतिनिधियों के अतिरिक्त 6.3 लाख सरकारी कर्मचारी भी राज्यों के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभागों में कार्यरत हैं। स्पष्ट है इतनी बड़ी संख्या में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्य मुख्यालय या जिला मुख्यालय पर प्रशिक्षण देना संभव नहीं है अतः राजस्थान में अपनाए गए "कासकैड मॉडल" को प्रचारित करना होगा। इस मॉडल में लगभग 100 मास्टर ट्रेनर्स राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में तथा इन मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जिला स्तर पर प्रत्येक पंचायत समिति (मध्य स्तरीय पंचायत) के हिसाब से 4 ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर चार–पांच प्रशिक्षकों के दल ने एक साथ सभी पंचों, सरपंचों तथा ग्राम पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

चूंकि पंचायती राज संस्थाओं में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं अतः पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण की भूमिका और अधिक गंभीर हो जाती है। देश में लगभग 6.5 लाख महिला जनप्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं में चुनी जाती हैं। इनमें से लगभग 5 लाख प्रतिनिधि निरक्षर तथा पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं। सदियों से गुलामी, शोषण, पर्दा प्रथा तथा पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता से जूझती महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए सुनियोजित एवं सुविचारित प्रशिक्षण ही एक मात्र प्रभावी पद्धति है। राजस्थान में यह प्रभाव इस रूप में स्पष्टतः देखा जा सकता है कि 1995–2000 के कार्यकाल में 3,400 महिला सरपंचों में से लगभग 2,700 महिला सरपंच चैक भुगतान, स्वीकृति पत्र तथा ग्रामसभा कार्यवाही में अंगूठा लगाती थीं लेकिन।

इसी तरह राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों द्वारा नियमित रूप से आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद एवं पंचायत समिति स्तरीय समितियों से सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परियोजना अधिकारी, पंचायत प्रसार अधिकारी तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं से जुड़े स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एवं विशिष्ट कार्यक्रमानुसार शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, भू एवं जल संरक्षण विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्व विभाग तथा अन्य विभागों जैसे– नेहरू युवा केंद्र से भी प्रशिक्षण सहयोग लिया–दिया जाता है। वस्तुतः भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रावधानों तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों तक संबंधित लोक सेवकों तथा स्पष्ट रूप से पहुंचाए बिना इन कार्यक्रमों की सफलता संदिग्ध है। प्रति पांच वर्ष पर निर्वाचित होने वाले पंचायती राज जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं संस्थानों की है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा भारत सरकार की उप परियोजनांतर्गत भी इन संस्थानों को क्षेत्रीय संदर्भ केंद्र घोषित किया हुआ है जो एकाधिक राज्यों हेतु पंचायती राज सशक्तिकरण के शैक्षिक प्रयास करते हैं।

दरअसल, प्रशिक्षण वह माध्यम या मंच है जहां बैठे–बिठाए दूसरों के अनुभवों का स्वतः लाभ मिल जाता है बशर्ते कि प्रशिक्षु के कान एवं मस्तिष्क के कपाट खुले हुए हों। विगत कुछ वर्षों के अनुभव यह सिद्ध करते हैं कि राज्य के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हुई चहुंमुखी प्रगति के कारकों में एक कारक प्रशिक्षण भी रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान सहभागियों से प्राप्त हुए सुझाव प्रायः सरकार की नीतियों एवं निर्देशों में भी सार्थक सहायता करते हैं। एकमात्र समस्या इन संस्थानों के पास वित्तीय संसाधनों की कमी है। इस हेतु यह सुझाव दिया जाता है कि ग्रामीण विकास योजनाओं के कुल बजट का 2 प्रतिशत प्रशिक्षण हेतु आरक्षित कर देना चाहिए ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को गति मिल सके। साथ ही राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों को प्रशासनिक अकादमियों के साथ संयुक्त नहीं रखा जाना चाहिए। जैसा कि महाराष्ट्र, जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा में है। इन संस्थानों का अस्तित्व ही ग्रामीण विकास के हित में है। ❑

(लेखक इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं)

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोज़गार की संभावनाएं

अजय वर्मा

तेजी से बढ़ते शहरीकरण, बढ़ती साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय के कारण प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ है और खान-पान में बदलाव आया है जिससे एक बड़े अप्रछन्न बाजार के दोहन के नए अवसर सामने आए हैं। प्रसंस्कृत एवं सुविधा खाद्यों की मांग लगातार बढ़ रही है। आने वाले समय में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बढ़ते प्रचलन की उम्मीद विभिन्न शोध कार्यों ने भी दर्शायी है।

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने अनुमान लगाया है कि विकासशील देशों में मांग और आपूर्ति, खाद्यान्न अंतर अगले 25 वर्षों में दोगुने से अधिक हो जाएगा। आबादी बढ़ने का दुष्परिणाम है कि विश्व में अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता निरंतर घटती जा रही है। अधिकतर देश किसी न किसी रूप में भोजन की आपूर्ति के लिए खाद्यान्न आयात करते हैं। अधिकतर आयात तो अनाजों का होता है लेकिन दूध और उसके उत्पाद, खाने का तेल, फल, सब्जी, मांस, समुद्री खाद्य इत्यादि भी आयात किए जाते हैं। कृषि प्रधान देश होने के कारण निर्यातित आय में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। कुल कृषि निर्यात 1997–98 में 39.97 लाख टन से बढ़कर 2001–02 में 75.07 लाख टन तक पहुंचा है। देश के कृषि निर्यात का करीब 19 प्रतिशत हिस्सा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ द्वारा दिया जाता है पिछले साल यह करीब 30 प्रतिशत था। प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों की कुल प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के निर्यात में 27 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी। जबकि सबसे ज्यादा अन्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की भागीदारी देखी गई। देश ताजी सब्जी के साथ–साथ प्रसंस्कृत सब्जियों का निर्यात भी बड़ी मात्रा में करता है। वर्ष 2001–02 में 3.43 लाख टन से अधिक ताजी सब्जियों का निर्यात किया गया जिनका मूल्य 273.21 करोड़ रुपये था। साथ ही साथ 3.85 लाख टन प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों के निर्यात से किया गया जिनका मूल्य 243.21 करोड़ रुपये था। साथ ही साथ 3.85 लाख टन प्रसंस्कृत फल 1100.57 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई। 2.09 लाख टन सूखी एवं संरक्षित सब्जियों के निर्यात ने 537.15 करोड़ रुपये का व्यापार किया। कुल कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों की भागीदारी 5 प्रतिशत थी। जबकि कुल प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात में इनकी 15 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी सूखी एवं संरक्षित सब्जियों में पिछले पांच सालों में 5 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है। साथ ही साथ अपने हिस्से को कुल प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों के निर्यात में 9.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15.8 प्रतिशत कर लिया है। कुल प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों के निर्यात में करीब 30 प्रतिशत वृद्धि की है।

पिछले पांच सालों में कुल प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात ने 72.24 प्रतिशत हासिल कर विश्व बाजार में प्रसंस्कृत पदार्थों की बढ़ती खपत को प्रकट किया है। अन्य प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों ने सबसे ज्यादा 115.79 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त कर निर्यात बाजार में उनके बढ़ते उपयोग को बताया है। सूखी एवं संरक्षित सब्जियों की प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों में भागीदारी ने 75.43 प्रतिशत वृद्धि दर्ज कर अपनी बढ़ती हिस्सेदारी के महत्वपूर्ण होने का एहसास कराया है। विदेशों में ताजे फल एवं सब्जियों के साथ ही साथ उनके प्रसंस्कृत पदार्थों के बढ़ते प्रचलन को दिखाया है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अन्य प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों की भागिता में भी 25.28 प्रतिशत वृद्धि कर अपनी उपयोगिता को सिद्ध किया। वर्ष 2001–02 में 537.14 करोड़ रुपये की सूखी एवं संरक्षित सब्जियों का निर्यात किया गया। देश के कुल प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात में कुल प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों का हिस्सा लगभग 39 प्रतिशत था। जबकि कुल प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों ने 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा निर्यात द्वारा अर्जित की थी।

अन्य प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों ने सबसे ज्यादा 153.47 प्रतिशत वृद्धि कर अपनी उपयोगिता को देश के निर्यात में प्रदर्शित किया है उल्लेखनीय है कि विश्व बाजार में ताजे फल एवं सब्जियों की बढ़ती भागीदारी के साथ–साथ प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों का कारोबार बढ़ गया है। सूखी एवं संरक्षित सब्जियों की हिस्सेदारी 19 प्रतिशत तक कुल प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में रही। कुल प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों की 38 प्रतिशत भागिता देखी गई। साथ ही साथ अन्य प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों ने 75.38 प्रतिशत हासिल कि उनके बढ़ते निर्यात को, पिछले पांच सालों में दर्शाया है।

प्रसंस्कृत सब्जियों का निर्यात

मुख्य उत्पाद	मात्रा टन 1997–98	2001–02	प्रतिशत बदलाव	कीमत 1997–98	करोड़ रु. 2001–02	प्रतिशत बदलाव
सूखी एवं संरक्षित सब्जियां	200262.70	209157.90	4.44	479.89	537.15	11.932
अन्य प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां	28421.78	61332.36	115.79	79.59	201.74	153.474
कुल प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां	298931.30	385984.30	29.12	761.5	1100.57	44.527
कुल प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ	822915.80	1417429.00	72.24	2258.6	2881.93	27.598
कुल कृषि निर्यात	3997634.00	7507562.00	87.80	7270.71	10169.43	39.868
उत्पादों की भागीदारी						
कुल प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ/कुल कृषि निर्यात	20.59	18.88	−8.28	31.064	28.339	−8.772
कुल प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां/कुल कृषि निर्यात	7.48	5.14	−31.25	10.474	10.822	3.330
कुल प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां/कुल प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ	36.33	27.23	−25.04	33.716	38.189	13.267
सूखी एवं संरक्षित सब्जियां/कुल प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ	24.34	14.76	−39.37	21.247	18.639	−12.275
अन्य प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां/कुल प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ	3.45	4.33	25.28	3.524	7	18.638
सूखी एवं संरक्षित सब्जियां/कुल प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां	9.51	15.89	67.12	63.019	48.807	−22.552
अन्य प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां/कुल प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां	66.99	54.19	−19.11	10.452	18.331	75.383

सब्जी प्रसंस्करण उद्योग

सब्जियां मौसम विशेष की होने के कारण साल भर नहीं उगाई जा सकती हैं। अनुकूल मौसम में अधिक पैदावार होने के कारण बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है जिससे उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की भी हानि होती है। अपने देश की अधिकांश शाकाहारी जनसंख्या के हित के लिए इसको रोकना जरूरी है। सब्जियों को प्रसंस्कृत करना एक अच्छा तरीका है। इस तरह से सब्जियों का प्रचुर उत्पादन होने पर किसानों को मिलने वाले कम मूल्य पर भी नियंत्रण कर सकते हैं साथ ही साथ सब्जियों की उपलब्धता को उनके न उगने वाले मौसम में भी सुनिश्चित किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में फल तथा सब्जी प्रसंस्करण में दक्षता और उद्यमशीलता का विकास करने के लिए सन् 1992–93 से 1999–2000 के दौरान 325 खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों में 6,000 से अधिक प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कुछ ने अपनी स्वयं की बहुत छोटी/लघु क्षेत्रों में प्रसंस्करण यूनिटें लगाई हैं।

देश के प्रसंस्कृत खाद्य के प्रमुख निर्यातक देश

मुख्य उत्पाद	प्रमुख देश
सूखी एवं संरक्षित सब्जियां	बांगलादेश, अमेरिका, श्रीलंका, जर्मनी, इंग्लैंड
आम गूदा	सऊदी अरब, नीदरलैंड, यू.ए.ई., यमन, इंग्लैंड
अचार व चटनी	अमेरिका, इंग्लैंड, बेल्जियम, फ्रांस, यू.ए.ई.
अन्य प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां	अमेरिका, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, सऊदी अरब, इंग्लैंड
प्रसंस्कृत मांस	फिलीपीन्स, वियतनाम, कुवैत, यू.ए.ई.
अन्य प्रसंस्कृत खाद्य	अमेरिका, इंग्लैंड, बांगलादेश, मलेशिया, नेपाल, यू.ए.ई.

उदाहरण के तौर पर

1. टमाटर के उत्पाद

फास्ट फूड (जल्दी पकने/खाने वाले) का विस्तार बड़ी तेजी से हुआ है, टमाटर कैचअप और सॉस की मांग भी बढ़ रही है। विभिन्न उत्पादों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है और रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं।

2. निर्जलीकृत सब्जियां

मौसमी सब्जियां जल्दी खराब होने लगती हैं। निर्जलीकरण उन्हें सूखे रूप में रखने और पूरे साल उपलब्ध कराने का अच्छा तरीका है। निर्जलीकृत सब्जियों की ढुलाई करना आसान है। इनका उपयोग साल के किसी भी मौसम में विभिन्न व्यंजनों में किया जा सकता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर ने सब्जियों के निर्जलीकरण के लिए प्रौद्योगिकी का मानकीकरण किया है। निर्जलीकृत सब्जी इकाई की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में की जा सकती है जहां अन्य सुविधाओं के साथ–साथ कच्चे माल की सुनिश्चितता होती है।

3. अचार

भोजन में अचार का काफी महत्वपूर्ण स्थान

है। सब्जियों का अचार बनाना भारतीय घरों का एक मौसमी पारंपरिक कार्य है जिसे एक पारंपरिक घरेलू उपक्रम समझा जाता है। अब यह एक वाणिज्यिक उद्यम बन गया है। यह घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग को पूरा करता है। अचार और चटनी पर आधारित कुटीर इकाइयों की ग्रामीण क्षेत्रों में काफी गुंजाइश है। खासतौर से ग्रामीण पर्यावरण में साल के विभिन्न मौसमों में उपलब्ध सब्जियों जैसे टमाटर, गोभी, मूली, शलगम, गाजर, हरी मिर्च आदि को अन्य अवयवों के साथ मिलाकर अचार बनाया जा सकता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अचार की बिक्री के अवसर निरंतर बढ़ रहे हैं।

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को प्रोत्साहन

तेजी से बढ़ते शहरीकरण, बढ़ती साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय के कारण प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ है और खान–पान में बदलाव आया है जिससे एक बड़े अप्रछन्न बाजार का दोहन करने के नए अवसर सामने आए हैं। प्रसंस्कृत एवं सुविधा खाद्यों की मांग लगातार बढ़ रही है।

वर्तमान दौर में सुरक्षित रखे गए उत्पादों जैसे मुरब्बा, चटनी, अचार, एवं डिब्बाबंद वस्तुओं का बाजार है। ऐसी वस्तुओं की पश्चिमी देशों, मध्य पूर्व के देशों में तथा आसियान देशों में ज्यादा मांग है। देश ऐसे उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने की स्थिति में है। आवश्यकता केवल कृषि के विविधीकरण को प्रोत्साहित करने की है। इस समय ऐसे छः क्षेत्र चालू हैं जो कांडला (गुजरात), सांताक्रूज (मुंबई), कोचीन (केरल), मद्रास, फाल्टा (कोलकाता) और नोएडा (दिल्ली) में स्थित हैं। सातवां क्षेत्र विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में बन रहा है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बढ़ते निर्यात को देखते हुए सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में फूड पार्क की स्थापना को जरूरी महत्व दे रही है। जिनमें सरकारी और निजी कंपनियों के सहयोग से किसानों को हर तरह की सहूलियतें देकर देश के कृषि निर्यात को नई दिशा प्रदान करना है।

आने वाले समय में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बढ़ते प्रचलन की उम्मीद विभिन्न शोध कार्यों ने दर्शाई है। सरकार ने देश के कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए 48 कृषि निर्यात क्षेत्र 19 राज्यों में स्थापित किए हैं। ऐसी आशा है कि इन क्षेत्रों से करीब 10,300 करोड़ का निर्यात अगले पांच सालों में होगा साथ ही साथ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने की भी पूरी–पूरी संभावनाएं हैं। देश के 14 मुख्य सब्जी उत्पादक राज्यों में सब्जियों से संबंधित 18 कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना से सब्जियों के प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण को उच्च प्राथमिकता दी है और उत्पाद के वाणिज्यीकरण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने, फसल क्षति को कम करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ वित्तीय प्रोत्साहन दिए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्वपूर्ण उप क्षेत्र हैं– फल और सब्जी प्रसंस्करण, मछली प्रसंस्करण, दूध प्रसंस्करण, मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण, पैकेज्ड/सुविधा खाद्य, शराब एवं मृदु पेय और अनाज प्रसंस्करण आदि। प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण एक प्रमुख उद्योग है और इसमें लाखों चावल मिलें, आटा–चक्की, दाल–चक्की और तिलहन मिलें हैं। असंगठित क्षेत्र में भी कई हजार बेकरी, परंपरागत खाद्य यूनिट और फल/सब्जी/मसाला प्रसंस्करण यूनिट हैं। संगठित क्षेत्र में 5,198 फल/सब्जी प्रसंस्करण यूनिट हैं।

सब्जी संबंधित कृषि निर्यात क्षेत्र

राज्य	कृषि निर्यात क्षेत्र	सब्जी संबंधित क्षेत्र	राज्य	कृषि निर्यात क्षेत्र	सब्जी संबंधित क्षेत्र
मध्य प्रदेश	तीन	एक	असम	दो	दो
बिहार	एक	एक	हिमाचल प्रदेश	एक	–
गुजरात	दो	दो	उड़ीसा	एक	एक
सिक्किम	एक	एक	महाराष्ट्र	छः	एक
झारखंड	एक	एक	आंध्र प्रदेश	चार	दो
पश्चिम बंगाल	पांच	एक	त्रिपुरा	एक	–
उत्तरांचल	चार	–	जम्मू कश्मीर	दो	–
कर्नाटक	तीन	दो	उत्तर प्रदेश	चार	एक
तमिलनाडु	तीन	–	पंजाब	तीन	एक
केरल	एक	एक	कुल	अढ़तालीस	अटठारह

नए आयाम

आर्थिक उदारीकरण के परिदृश्य में निजी, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में अपनी सार्थक भूमिका निभानी होगी। खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों के लिए पेश किए गए 5,133 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन, गैर शहरी क्षेत्रों के लिए थे। इनमें से लगभग 39 प्रतिशत निवेश पिछड़े इलाकों के लिए है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक है किंतु मुश्किल से 02 प्रतिशत उत्पाद का प्रसंस्करण किया जाता है। प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों के विश्व व्यापार में देश का हिस्सा अभी भी एक प्रतिशत से कम है। बढ़ते हुए विश्व बाजार में निर्यात के काफी अवसर हैं। ऐसा अनुमान है कि बाजार विकास प्रयासों से नए उत्पादों को अधिक निर्यात बाजार में स्वीकार किया जाएगा। आयात–निर्यात नीतियों में परिवर्तनों तथा विनिमय दर में समायोजन से निर्यात संभावनाओं में सुधार लाने में काफी सहायता मिली है। कुछ प्रसंस्कृत उत्पादों की अन्य देशों में अच्छी मांग है। भारत में तुलनात्मक रूप से उपलब्ध सस्ते श्रम का इस्तेमाल घरेलू और निर्यात बाजार के वास्ते कम लागत वाले विस्तृत उत्पादन बेस लगाने के लिए कारगर ढंग से किया जा सकता है। ❑

(लेखक, भारतीय सब्जी अनुसंधान, वाराणसी में वैज्ञानिक हैं)

कृषकों की आर्थिक, सामाजिक उन्नति में चंबल सिंचित क्षेत्र विकास परियोजना की भूमिका

प्रमिला श्रीवास्तव

चंबल सिंचित क्षेत्र विकास परियोजना क्षेत्र के किसानों एवं ग्रामीणों के आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुई है। चंबल क्षेत्रीय विकास परियोजना के अंतर्गत प्रारंभ किए गए कार्यों के फलस्वरूप न केवल सिंचित क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, वरन् फसलीय क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई तथा फसलों के औसत उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। चंबल की नहरों के विकास से यहां कृषि विकास क्षेत्र में वृद्धि के द्वार खुल गए हैं। खेत सुधार के साथ-साथ कृषि जिन्सों के उत्पादन में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है।

चंबल परियोजना विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से चलाई जा रही उन परियोजनाओं में से एक है, जो जून, 1974 से राजस्थान में चलाई जा रही है। चंबल नदी पर बांध बनाकर चंबल क्षेत्र में सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु प्रयास वर्ष 1954 में प्रारंभ किया गया तथा वर्ष 1960 में कोटा बैराज से दो मुख्य नहरें दाईं एवं बाईं निकालकर सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया गया। सिंचाई हेतु नहरों द्वारा जल उपलब्ध करा दिए जाने के पश्चात् यह आशा की गई थी कि इस क्षेत्र के कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने के साथ–साथ इस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा, किंतु यह आशा पूर्णरूपेण फलीभूत नहीं हो सकी। इसके विपरीत इस क्षेत्र में सिंचाई एवं कृषि संबंधी अनेक नई समस्याएं सामने आईं, जिनके निराकरण हेतु विश्व बैंक के सहयोग से चंबल क्षेत्र में 'चंबल सिंचित क्षेत्र विकास परियोजना' के नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में नहरों को पक्का करना, जलोत्सरण व्यवस्था, भूमि सुधार, सड़क निर्माण, वृक्षारोपण एवं कृषि विस्तार आदि मुख्य हैं।

इस परियोजना द्वारा 2,29,800 हैक्टेयर भूमि राजस्थान की तथा लगभग इतना ही क्षेत्र मध्य प्रदेश का सिंचित होता है। राजस्थान के 2.29 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में दाईं मुख्य नहर द्वारा 1.27 लाख हैक्टेयर एवं बाईं मुख्य नहर द्वारा 1.02 लाख हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है। चंबल सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान में दाईं एवं बाईं मुख्य नहरों एवं वितरिकाओं की कुल लंबाई 1376 किमी. है। जिसमें से बाईं मुख्य नहर 2.74 किमी. एवं दाईं मुख्य नहर 124 किमी. की है। चंबल सिंचित क्षेत्र विकास परियोजना में कोटा जिले की लाडपुरा, इटावा व सुल्तानपुरा बारां जिले की अंता तथा बूंद जिले की तालेड़ा व केशवरायपाटन पंचायत समिति समेत छः पंचायत समितियां शामिल हैं। सिंचित क्षेत्र विकास परियोजना के मुख्य संभाग हैं– (क) खेत विकास कार्यक्रम (ओएफडी) जिसमें धोरों का निर्माण जमीन का समतलीकरण तथा जल निकास एवं सड़क निर्माण शामिल है। (ख) अभियांत्रिक कार्य जिनमें नहर एवं अन्य संबंधित चक्र निकास तथा मुख्य नालियों का निर्माण। (ग) कृषि सहायता सेवा, विशेष रूप से फसलों, पशुओं तथा वानिकी से संबंधित शोध विस्तार, सर्वेक्षण, खेतों का संगठन साख आदि का विकास करना है।

सिंचित क्षेत्र व उत्पादन में वृद्धि

चंबल सिंचित क्षेत्र विकास परियोजना क्षेत्र के किसानों एवं ग्रामीणों के आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुई है। चंबल क्षेत्रीय विकास परियोजना के अंतर्गत प्रारंभ किए गए कार्यों के फलस्वरूप न केवल सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है, वरन् फसलीय क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई तथा फसलों के औसत उत्पादन में भी वृद्धि हुई। चंबल की नहरों के विकास से यहां कृषि विकास क्षेत्र में वृद्धि के द्वार खुल गए हैं। खेत सुधार के साथ–साथ कृषि जिन्सों के उत्पादन में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। गेहूं, चावल, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, उड़द, चना आदि की उन्नत फसलों के कारण जहां, यहां के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, वहीं कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योग भी पनपे हैं। चंबल क्षेत्रीय विकास परियोजना के अंतर्गत सिंचाई सुविधाओं के कारण जहां वर्ष 1984–85 में सोयाबीन फसल का क्षेत्र 14409 हैक्टेयर था, वर्ष 1994–95 में बढ़कर 109137 हैक्टेयर हो गया तथा वर्ष 2000–2001 में और बढ़कर 152775 हैक्टेयर हो गया। इसी प्रकार रबी की फसल में सरसों का क्षेत्र वर्ष 1984–85 में 71318 हैक्टेयर था, जो वर्ष 1994–95 में बढ़कर 123031 हैक्टेयर हो गया तथा वर्ष 2000–2001 में 127602 हैक्टेयर हो गया। वर्ष 1984–85 में सोयाबीन का उत्पादन क्षेत्र में 20115 मैट्रिक टन था, जो वर्ष 1995–96 में 135238 मैट्रिक टन हो गया तथा वर्ष 2000–2001 में सोयाबीन का उत्पादन बढ़कर 204640 मैट्रिक टन हो गया। इसी प्रकार सरसों का उत्पादन भी बढ़ा। वर्ष 1984–85

में सरसों का उत्पादन 81374 मैट्रिक टन था, जो वर्ष 2000–2001 में बढ़कर 127602 मैट्रिक टन हो गया। वर्ष 1984–85 रबी, खरीफ का कुल क्षेत्र 450538 हैक्टेयर तथा रबी खरीफ का कुल उत्पादन 719089 मैट्रिक टन था। वर्ष 2000–2001 में रबी, खरीफ का कुल क्षेत्र 567378 हैक्टेयर हो गया तथा रबी, खरीफ फसल का कुल उत्पादन बढ़कर 1263044 मैट्रिक टन हो गया। तिलहनी फसलों के कारण जहां इस क्षेत्र के किसानों की आय में वृद्धि हुई, वहीं इन्हीं तिलहनी फसलों पर आधारित तेल संयंत्रों की स्थापना से यहां रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

चंबल क्षेत्रीय विकास परियोजना के अंतर्गत प्रारंभ किए गए कार्यों के फलस्वरूप यहां चावल की अच्छी किस्म की विशेष उपज होती है, जिसका विदेशों में निर्यात किया जाता है। इसके अलावा जानवरों के लिए फॉडर (रजका) बोया जाता है, जिससे पशुपालन, दूध उत्पादन, मुर्गी पालन आदि छोटे–छोटे उद्योग पनप रहे हैं। यह विकास प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से यहां के किसानों के आर्थिक उत्थान में सहायक सिद्ध हो रहा है।

भूमि सुधार कार्यक्रम

वर्ष 1987 में, चंबल सिंचित क्षेत्र विकास परियोजना द्वारा 0.03 किमी. नहरें पक्की की गईं। वर्ष 1997–98 में 1.26 किमी. नहरें पक्की की गईं तथा वर्ष 2000–2001 में 2.68 किमी. नहरें पक्की की गईं। वर्ष 1995 में 6036 हैक्टेयर क्षेत्र में बाराबंदी की गई तथा वर्ष 2000–2001 तक 107161 हैक्टेयर क्षेत्र में बाराबंदी की गई। परियोजना के अधीन कृषि विभाग की कृषि विस्तार इकाई द्वारा अन्य कार्यक्रमों, सिंचाई, जलोत्सरण, भूमि सुधार आदि के साथ–साथ कृषकों को अधिकतम सलाह प्रदान की गई।

कृषि विस्तार कार्यक्रम के प्रयासों के फलस्वरूप इस क्षेत्र में सोयाबीन एवं सरसों जैसी फसलों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में आशातीत वृद्धि हुई है। इन नकदी फसलों के उत्पादन से कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। चंबल क्षेत्रीय विकास परियोजना ने संपूर्ण हाड़ौती क्षेत्र के लिए समृद्धि और खुशहाली का द्वार खोल दिया है। फसल प्रतिरूप व फसलों में सकारात्मक बदलाव आया है। फसलों की उत्पादन लागत में कमी आई और उत्पादकता बढ़ी है। कृषक परंपरागत फसलों की अपेक्षा तिलहनी या नगदी फसलों के उत्पादन में अधिक रुचि लेने लगे हैं। निश्चित रूप से परंपरागत खाद्यान्न फसलों के तुलना में तिलहनी फसलें अधिक आय प्रदान करने वाली होती है। अतः कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ है, अपेक्षाकृत अधिक आय के कारण किसानों व ग्रामीणों के रहन–सहन व सामाजिक जीवन भी प्रभावित हुआ है। चंबल क्षेत्रीय विकास परियोजना के कारण कृषि क्षेत्र के ग्रामीणों की बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में कुछ मदद मिली है। इस प्रकार यह परियोजना इस क्षेत्र की सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान कर इस क्षेत्र के कृषिगत आर्थिक विकास व समृद्धि के लिए 'मील का पत्थर' साबित हो रही हैं। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने ठीक ही कहा था कि यह योजना मध्य प्रदेश व राजस्थान के करोड़ों लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं की चरम परिणति है। ❑

व्याख्याता (अर्थशास्त्र)
2 क 20, विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 324005

नेत्रदान : महादान

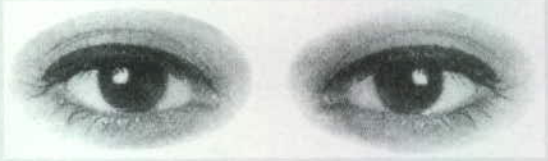

आंखें हमें ईश्वर से मिला बहुमूल्य उपहार हैं। ये ही दुनिया के साथ संपर्क का हमारा मुख्य माध्यम हैं। आंखों के बिना दुनिया कैसी होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। नेत्रदान एक ऐसा महादान है जिससे हम किसी की अंधेरी दुनिया में प्रकाश की किरणें फैला सकते हैं। अगर आपने अपनी आंखें दान कर दी हैं तो हो सकता है आपके इस दुनिया से जाने के बाद कोई आपकी दी आंखों से दुनिया देख सके।

आंखों की खराबी की वजह से करोड़ों लोग देख पाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे लोग कॉर्निया ट्रांसप्लांट आपरेशन के जरिए नेत्र ज्योति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जितनी संख्या में नेत्रों की आवश्यकता है उसकी तुलना में नेत्रदान करने वालों की संख्या बहुत कम है। अगर हम इस बात का संकल्प लें कि मृत्यु के बाद हमारी आंखें किसी जरूरतमंद को दान में दी जाएं तो यह भगवान के प्रति सबसे बड़ी प्रार्थना होगी। इससे किसी के जीवन में प्रकाश का संचार हो सकेगा। नेत्रदान की दर के लिहाज से श्रीलंका दुनिया में सबसे आगे है। निश्चय की नेत्रदान से अधिक महान कोई और कार्य नहीं हो सकता।

दान की जाने वाली आंखें जीते–जी दानदाता के शरीर से नहीं निकाली जातीं, बल्कि मृत्यु के बाद इन्हें निकाला जाता है। हालांकि निकालते समय समूची आंख निकालनी पड़ती है लेकिन इसमें से केवल कॉर्निया का ही जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपण किया जाता है। कोई भी व्यक्ति नेत्रदान का संकल्प ले सकता है और उसके निधन के बाद उसका कोई संबंधी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए कार्रवाई कर सकता है।

इस बारे में और जानकारी के लिए कृपया पास के नेत्र बैंक/अस्पताल में संपर्क करें।

उत्तरांचल के विकास में स्वयं-सहायता समूहों की भूमिका

प्रदीप भंडारी

स्वयं-सहायता समूहों की अवधारणा का आज देश में नवीन प्रयोग किया जा रहा है लेकिन प्राचीन काल से ही लोग एक-दूसरे से मिलकर और आपसी भावनाओं को अच्छी तरह समझकर कार्य करने की विधि अपनाते रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों की आधुनिक संरचना एक तरह से बांग्लादेश के प्रयोग और अनुभवों पर आधारित है जहां लोगों ने समूहों में सामूहिक बचत करके अपने दिन-प्रतिदिन के आर्थिक क्रियाकलापों को वित्तीय स्रोत प्रदान करने का साधन बनाया।

भारत में समूहों की उपयोगिता का सफलतापूर्वक प्रयोग महिलाओं के स्वरोजगार संगठन (सेवा) अहमदाबाद की इला बेन द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र में समूहों द्वारा डा. रामचंद्र भाऊसाहेब से प्रेरणा पाकर राजमाता जीजाऊ महिला सहकारी, पंतसंस्था (लिमिटेड) की स्थापना पानोली में की जिसमें किसान पेंशन जमाराशि, लखपति जमाराशि समेत अनेक योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में मझगवां गांव में 9 समूहों ने प्रथम ग्रेडिंग में सफल होने के बाद रिवाल्विंग फंड से पांच–पांच हजार रुपये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को साझेदारी के रूप में दिए। इस प्रकार 45,000 रुपये की कार्यशील पूंजी के साथ *मैकल सेल्फ हैल्प बैंक मझगवां* की स्थापना हुई जिसके सभी पदाधिकारी बीपीएल परिवार की श्रेणी में आते हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार एसजीएसवाई के माध्यम से स्वरोजगार के मौके बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने नौवीं योजनावधि में 9,611 करोड़ रुपये का ऋण ग्राम स्वरोजगार समूहों को देने का जो अनुमान लगाया था। उसके मुकाबले लगभग एक तिहाई राशि यानी 3,235 करोड़ रुपये के ऋणों की ही मांग आई। योजना आयोग के अनुसार इस नए कार्यक्रम को समझने और उसे असरदार ढंग से लागू करने में ग्रामीण विकास एजेसिंयों को वक्त लगा जिसके फलस्वरूप समूहों का अनुमानित संख्या में गठन न हो सका। इस कार्यक्रम में अब तक 14.5 लाख स्वयं सहायता समूह ही बनाए गए हैं और एक लाख से अधिक समूहों ने आर्थिक गतिविधियां आरंभ कर दी हैं। 37 लाख स्वरोजगारियों को सहायता प्रदान की गई। इस प्रकार लगभग 7,500 करोड़ रुपये की धनराशि का निवेश हुआ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित मौद्रिक नीति में स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु स्वयं सहायता समूहों को ऋणों में बढ़ोतरी के साथ–साथ इनकी देखभाल हेतु चार अनौपचारिक समूह गठित किए गए हैं। पहला समूह, समूहों के ढांचे व स्थायित्व के बारे में अध्ययन करेगा, जबकि दूसरा समूह उनके वित्त पोषण के तौर–तरीकों पर ध्यान केंद्रित करेगा। तीसरा समूह उनके नियमन पर और चौथा समूह उनके वित्त पोषण तंत्र की क्षमता में विस्तार पर सिफारिशें पेश करेगा। इनकी सिफारिशें आने के बाद उनका क्रियान्वयन किया जाएगा।

स्वयं सहायता समूहों तथा स्वरोजगारियों द्वारा उत्पादित सामान के विक्रय तथा उसका उचित दाम दिलाने हेतु विपणन तंत्र को मजबूत बनाया जाएगा। दस्तावेज के अनुसार इन उत्पादों की नुमाइश के लिए ग्रामीण हाट और तालुका/तहसील एवं जिला स्तर पर मंडियां बनाई जाएंगी। उत्पादों के मानकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए तकनीकी सहायता भी दी जाएगी।

उत्तरांचल में समूहों का स्वरूप

वर्ष 1999 में हुए सर्वेक्षण के अनुसार उत्तरांचल राज्य के लगभग 18,000 गांवों में 3,76,502 परिवार गरीबी रेखा से नीचे निवास करते थे। इसमें से भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार 30 फीसदी ग्रामीण जनसंख्या को सन् 2003–04 तक उक्त योजना से जोड़ा जाना था तथापि आपरेशन एसएचजी के माध्यम से मार्च 2003 तक 14091 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 124 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति की गई है। उत्तरांचल सरकार द्वारा लक्ष्य को 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी निर्धारित कर समूह गठन का कार्य शुरू किया गया। स्वयं सहायता समूहों द्वारा मार्च 2003 तक 285.50 लाख रुपये की धनराशि की बचत की गई तथा वर्ष 2002–03 में उत्पादित सामग्री से लगभग 15 लाख रुपये की बिक्री हुई।

राज्य में वर्ष 1999 से 2004 तक के निर्धारित लक्ष्यों में से मार्च 2003 तक 74 प्रतिशत समूहों का गठन हो चुका है। मार्च 2003 तक

तालिका–1

उत्तरांचल में एसजीएसवाई की भौतिक/वित्तीय प्रगति

जनपद	मार्च 03 तक गठित समूह	महिला समूह	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ग्रेडिंग		रिवॉ. फंड
					प्रथम	द्वितीय	
उत्तरकाशी	1696	806	215	3	801	191	774
चमोली	1354	418	170	70	360	163	349
पौड़ी	1416	364	81	3	558	215	497
रुद्रप्रयाग	662	310	90	–	254	68	215
हरिद्वार	872	323	332	6	426	146	426
टिहरी	1722	786	396	132	624	164	477
देहरादून	1066	524	115	221	573	123	554
नैनीताल	1028	491	224	–	634	157	619
पिथौरागढ़	987	233	135	16	324	106	324
ऊ. नगर	1318	415	130	266	293	120	275
बागेश्वर	558	196	183	7	264	54	230
अल्मोड़ा	1116	495	376	–	4699	145	410
चंपावत	296	139	44	–	127	46	127
कुल योग	14091	5500	2491	724	5707	1698	5277

स्रोत – ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल शासन

राज्य में गठित 14,091 समूहों में से 5,500 महिला समूह हैं और 4,409 मिश्रित समूहों में महिला सदस्यों की भागीदारी है। इसके अतिरिक्त 2,491 अनुसूचित जातियों के और 724 अनुसूचित जनजातियों के समूह गठित हैं। इसमें भी क्रमशः 724 और 231 समूह महिलाओं के हैं। इस प्रकार राज्य में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। मार्च 2003 तक 5,707 समूहों को प्रथम तथा 1,698 को द्वितीय ग्रेडिंग के पश्चात् 5,277 समूहों को 131.92 लाख रुपये का रिवाल्विंग फंड उपलब्ध कराया जा चुका है। कार्यक्रम को उचित ढंग से लागू करने हेतु केंद्रीय स्तर पर से उपभोग व रहन–सहन के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों का पुनर्सर्वेक्षण किया जा चुका है जिसकी रिपोर्ट आना शेष है। सरकार द्वारा समूहों के द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री हेतु 53 विपणन केंद्र बनाने की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें से 7 केंद्रों पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। समूहों के स्वरोजगार व आय वृद्धि हेतु 954 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत एकीकृत अंगोरा खरगोश उन विकास परियोजना के अंतर्गत 104 स्वरोजगारियों को प्रशिक्षित कर 75 खरगोश पालन इकाईयों की स्थापना की जा चुकी है। स्वरोजगारियों द्वारा 6.77 लाख रुपये के अंगोरा ऊनी उत्पाद तैयार कर 3.05 लाख रुपये के अंगोरा ऊनी उत्पाद विक्रय किए गए हैं। 9.5 करोड़ रुपये की कुशेलियर कुक्कुट पालन योजना भी केंद्र द्वारा स्वीकृत हो गई है जिसके लिए प्रारंभिक स्तर पर राजकीय कृषि फ. ि कालसी एवं पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर को पेरेंट फार्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तरांचल केसर उत्पादन एवं विपणन योजना के अंतर्गत चौबटिया गार्डन, रानीखेत में मदर यूनिट की स्थापना कर स्वरोजगारियों को तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है। मशरूम परियोजना के अंतर्गत मार्च 2003 तक 1,836 स्वरोजगारियों को प्रशिक्षित कर 171 मशरूम इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है। मशरूम कंपोस्ट निर्माण हेतु जी.बी. पंत विश्वविद्यालय पंतनगर, इंडो डच मशरूम खेती ज्योलीकोट तथा कुमांऊ मंडल विकास निगम के भवाली स्थित केंद्रों का चयन किया गया है। वर्तमान में केवल सहसपुर स्थित केंद्र से मशरूम खाद बनाने का कार्य होता था। प्रदेश के नैनीताल, हरिद्वार एवं देहरादून जनपदों में जैविक खाद के उत्पादन कार्यक्रम भी समूहों के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट पर स्वरोजगारियों के उत्पादों की जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है। स्वयं सहायता समूहों के फेडरेशन बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु राज्य में 20 शिल्प एंपोरियम निर्मित होंगे।

समूहों की ग्रेडिंग

समूहों की स्थापना के 6 माह उपरांत संबंधित ब्लॉक आफिस में आयोजित समूहों की प्रथम ग्रेडिंग होती है। समूहों को रिवाल्विंग फंड के अनुदान अंश की धनराशि प्रथम श्रेणीकृत समूह की निकाय निधि के बराबर अल्पमत 5,000 रुपये तथा अधिकतम 10,000 रुपये की सीमा तक देय है जबकि बैंक उक्त समूहों की सुपात्रता के आधार पर समूह की निकाय निधि के 1 से 4 गुना तक की धनराशि रिवाल्विंग फंड के ऋण अंश के रूप में प्रदान करेगा। समूह इसका उपयोग अपने उत्पाद हेतु कच्चा माल खरीदने तथा व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। रिवाल्विंग फंड मिलने के 6 माह बाद समूहों की द्वितीय

तालिका–2

देहरादून जिले में एसजीएसवाई की वित्तीय प्रगति

वर्ष	कुल उपलब्ध फंड (लाख रुपये में)	कुल उपभोग (प्रतिशत में)
1999–2000	192.19	84.60 (44.01)
2000–2001	109.861	67.305 (35.26)
2001–2002	161.326	142.732 (88.47)
2002–2003	182.55	104.607 (57.30)

स्रोत : डीआरडीए देहरादून

तालिका–3

एसजीएसवाई की भौतिक प्रगति–संख्या में

वर्ष	गठित समूह	प्रथम ग्रेडिंग प्राप्त समूह	रिवाल्विंग फंड प्राप्त समूह	द्वितीय ग्रेडिंग प्राप्त समूह	आर्थिक गतिविधियों में शामिल समूह
1999–2000	11(51)				
2000–2001	146(149)	30			
2001–2002	499	239	269	36	18
2002–2003	410	304	285	87	50
योग	1066	573	554	123	68

कोष्ठक में वर्ष में बने समूह तथा कोष्ठक के बाहर विघटन के पश्चात बचे समूह

स्रोत : डीआरडीए देहरादून

तालिका–4

माह जुलाई 2003 तक देहरादून जिले में गठित महिला समूहों की स्थिति (संख्या में)

क्र.सं.	विकास खंड का नाम	गठित समूह	महिला समूह	आर्थिक गतिविधियों में शामिल महिला समूह
1.	चकराता	135	4.6	0
2.	कालसी	121	19	1
3.	विकासनगर	269	148	2
4.	सहसपुर	279	189	1
5.	डोईवाला	175	82	0
6.	रायपुर	123	59	0
	योग	1102	543	4

स्रोत : डीआरडीए देहरादून

तालिका–5

सहसपुर में एसजीएसवाई की स्थिति

क्रियाकलाप	1999–2000	2000–01	2001–02	2002–03	योग
गठित समूह	2	48	90	131	271
प्रथम ग्रेडिंग प्राप्त समूह	–	33	76	17	126
रिवाल्विंग फंड प्राप्त समूह	–	33	76	17	126
सीसीएल	–	30	50	36	116
द्वितीय ग्रेडिंग प्राप्त समूह	–	–	7	14	21
आर्थिक गतिविधियों में शामिल एसएचजी	–	–	7	11	18

स्रोतः खंड विकास अधिकारी, कार्यालय सहसपुर

ग्रेडिंग होती है जिसमें समूह के द्वारा तैयार किए गए परियोजना प्रस्ताव के आधार पर परियोजना लागत की धनराशि डीआरडीए स्तर से अनुदान के रूप में तथा बैंक स्तर से ऋण को सम्मिलित किए हुए प्रदत्त की जाती है। डीआरडीए द्वारा परियोजना लागत के 50 प्रतिशत अथवा प्रतिस्वरोजगारी 10,000 रुपये की दर से अधिकतम 1.25 रुपये लाख की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। शेष धनराशि ऋण के रूप में बैंक से उपलब्ध कराए जाती है। अनुदान राशि डीआरडीए द्वारा समूहों के ऋण चुकाने के उपरांत उनके खाते में जमा की जाती है।

स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाई जा रही गतिविधियां

गढ़वाल में अचार, जैम, जैली, कैचप और स्क्वैश बनाने का काम समूह बड़े पैमाने पर करने लगे हैं। इनके उत्पादित सामान की खपत गांवों में ही आसानी से हो जाती है। रामनगर विकास खंड के कानिया चोरपानी और भवानीपुर में मसाला बनाने का काम भी खूब हो रहा है। बैंकों से सब्जी उत्पादन, बागवानी, सुगंधित वनस्पतियों, जड़ी–बूटी, मशरूम, रेशम उत्पादन, पशुपालन और जैविक खेती के लिए अधिकतर मामलों में ऋण दिलाए गए हैं। पतलिया गांव में मसाला पीसने की चक्की व चारा काटने की मशीनें भी खरीदी गई हैं। जैविक खेती से कोटबाग क्षेत्र में अदरक की फसल में होने वाली गलन की बीमारी को काफी हद तक नियोजित करने में सफलता मिली है। यही नहीं, इससे काफी हद तक उर्वरकों व कीटनाशक दवाइयों के खर्च में भी कमी आई है। कटाबाग तथा भीमताल प्रखंड में *मिल्क विद सिल्क* के नारे के तहत समूहों द्वारा शहतूत के पेड़ लगाने का सघन कार्यक्रम शुरू किया गया है।

स्वरोजगारियों द्वारा उत्पादित समान के विक्रय हेतु उत्तरांचल कृषि विविधीकरण परियोजना द्वारा 13 जुलाई, 2003 को कालसी में प्रथम बार कृषि व्यापार मेला आयोजित किया गया जिसमें विकासनगर ब्लॉक के 10 समूहों ने भाग लिया तथा स्टॉलों द्वारा उत्पादित वस्तुएं जैसे शाल, लोई, कपड़ा, कालीन, दरी,

क्रोशिये का स्वेटर, कढ़ाई, रेडिमेड गारमेंट्स, शहद, मोमबत्ती, हल्दी, मिर्च, दालें, बांस व रिंगाल की टोकरियां, उड़द व अरबी की बड़ी, पेंटिंग्स, मशरूम, जैविक दालें, जैविक खाद, तरल कीटनाशक इत्यादि का विपणन/प्रदर्शन भी किया। माह जून–जुलाई में प्रदेश के सभी 95 विकास खंडों के स्तर पर विभिन्न गांवों में समूहों के सदस्यों के ग्रेडिंग के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं और समूहों के प्रतिनिधियों के अलावा विकास विभाग कर्मियों ने भाग लिया। स्वरोजगारियों द्वारा 6.77 लाख रुपये के अंगोरा ऊनी उत्पाद तैयार कर 3.05 लाख रुपये के अंगोरा ऊनी उत्पाद विक्रय किए गए हैं।

समूहों की बीमा योजना

एसजीएसवाई के अंतर्गत स्वरोजगारियों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता होने पर भारत सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाते हैं। किंतु भारत में सर्वप्रथम उत्तरांचल राज्य में राष्ट्रीय बीमा कंपनियों के माध्यम से स्वरोजगारियों का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना द्वारा पांच वर्षों हेतु एक लाख रुपये का बीमा कराया जा रहा है। इसके लिए यूनाइटेड इंश्योरेंश कंपनी लि. द्वारा 228 रुपये तथा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा 195 रुपये एकमुश्त प्रीमियम राशि प्रति सदस्य से ली जा रही है। दुर्घटना के एक अंग (हाथ/पैर) अथवा एक आंख की हानि की दशा में बीमित राशि का 50 प्रतिशत भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। मृत्यु अथवा स्थाई एवं पूर्ण अपंगता की दशा में एक लाख रुपये मृतक के परिवार को बीमा सहायता के रूप में प्रदान किए जाते हैं। सामान्यतः प्रथम ग्रेडिंग उत्तीर्ण समूह के सदस्यों का ही बीमा होता है। मार्च 2003 तक उत्तरांचल में 51 समूहों का बीमा कराया गया है।

स्वयं सहायता समूहों का प्रभाव

ग्रामीणों द्वारा संगठित रूप से कार्य करने के कारण उनमें आत्मविश्वास का संचार हुआ है। महिलाएं भी घूंघट छोड़कर ग्रामसभा व ग्राम सम्मेलनों में अपनी बात आसानी से व्यक्त करती हैं। समूह के सदस्य प्रशासन के सामने अपनी समस्याएं खुलकर व्यक्त करते हैं जिसके कारण उनके गांव में कई विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं।

एसजीएसवाई का देहरादून जिले में क्रियान्वयन

एसजीएसवाई की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का देहरादून जिले में अध्ययन किया गया। उपलब्ध फंड का उपयोग 1999–2003 तक बहुत धीमी गति से हुआ है तथा 2002–03 में भी यह केवल 57 प्रतिशत था। जिले में 30,890 बीपीएल परिवार निवास करते हैं जिनमें से 50 प्रतिशत परिवारों को एसजीएसवाई से जोड़ने हेतु एसएचजी के गठन का लक्ष्य 1999–2004 तक 1,545 निर्धारित किया गया है। जिले में वर्ष 2003–04 हेतु समूह गठन का लक्ष्य 479 निर्धारित हुआ है तथा जुलाई 2003 तक 36 समूह गठित हो चुके थे।

इसी क्रम में समूहों के गठन व उनको रिवाल्विंग फंड के रूप में सहायता देने तथा समूहों द्वारा प्रारंभ आर्थिक गतिविधियों पर भी अध्ययन किया गया।

जिले में आर्थिक गतिविधियों में शामिल 68 एसएचजी में से 54 समूहों द्वारा डेयरी, समूहों द्वारा मुर्गीपालन, 2 समूहों द्वारा रेडिमेड गारमेंटस, 1 समूह द्वारा डेयरी एवं हथकरघा, 3 समूहों द्वारा बकरी पालन, 1 समूह द्वारा स्पीकर काइल व 2 समूहों द्वारा हथकरघा का कार्य शुरू किया गया है। राज्य में 2002–03 में समूहों के गठन के लक्ष्य से पिछड़ते हुए केवल 68 प्रतिशत समूह गठित किए गए हैं। एसजीएसवाई को लागू करने में कई व्यावहारिक समस्याएं भी हैं जिन्हें जिले के सहसपुर विकास खंड के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है।

सहसपुर ब्लॉक में क्रियान्वयन

सहसपुर ब्लॉक में 5,820 बीपीएल परिवार निवास करते हैं। देहरादून जिले के 6 विकास खंडों में से मार्च 2003 तक सर्वाधिक 271 समूहों का गठन इसी ब्लाक में हुआ है।

विकासखंड में 18 समूह (6.6 प्रतिशत) आर्थिक गतिविधियों में शामिल हैं जिनमें से 16 समूहों द्वारा डेयरी, 1 समूह द्वारा मुर्गीपालन तथा अन्य समूहों द्वारा मशरूम एवं भैंस पालन पर कार्य शुरू किया गया है। उत्तरांचल में केवल सहसपुर विकासखंड में ही स्वरोजगारियों द्वारा सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन, नई दिल्ली एवं एग्रीसूड इंटरनेशनल, फ्रांस के सहयोग से 93.12 लाख रुपये की इस परियोजना का संचालन उत्तरांचल सरकार के माध्यम से किया जा रहा है।

समूहों में उत्पन्न समस्याएं

ऐसा देखा गया है कि कुछ समूह प्रथम ग्रेडिंग प्राप्त करने के बाद भी निम्न कारणों से खाता बंद कर देते हैं:

- आपसी मेलजोल की कमी।
- अशिक्षित अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर न कर सकने के कारण धन निकासी हेतु बार–बार बैंक आना संभव न होना।
- समूहों के ज्यादातर सदस्यों का अशिक्षित होना।
- परिवार के अन्य सदस्यों के अनावश्यक दबाव की वजह से संभावित कर्जे से बचाव हेतु।
- ग्रेडिंग पश्चात प्रशिक्षण का अभाव होना।

बैंकर्सों की समस्याएं

सहसपुर ब्लॉक में समूहों के 145 खाते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित हो रहे हैं। जिनमें से 63 समूहों को प्रथम ग्रेडिंग व 13 समूहों को द्वितीय ग्रेडिंग प्रदान हुई है। 31 जुलाई, 2003 तक समूहों द्वारा बैंक में 5,54000 रुपये जमा किए गए हैं। उक्त बैंक के शाखा प्रबंधक से संपर्क करने पर निम्न मुद्दे उभरकर आए।

- समूहों में डिफाल्टर व्यक्तियों को भी सदस्य बनाया गया है।
- समूहों के सदस्यों के अशिक्षित होने के कारण नियमों एवं रिकार्डों के रखरखाव का पूर्ण ज्ञान नहीं है।
- ग्रेडिंग के समय समूह के सदस्य कम संख्या में आते हैं।

सुझाव

समूहों की संख्या बढ़ने के साथ–साथ इनसे जुड़ी समस्याओं में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है। फिर भी उक्त कार्यक्रम की

सफलता के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं :

- समूह गठन का लक्ष्य समूहों की संख्या के बजाय उनकी गुणवत्ता पर ज्यादा हो।
- प्रत्येक माह में कम से कम एक बार नॉन बैंकिंग दिवस पर बैंक व ब्लॉक के अधिकारी/कर्मचारी का फील्ड में जाकर स्वरोजगारियों की समस्या का निस्तारण करना।
- जिलेवार सफल समूहों के क्रियाकलापों का प्रचार–प्रसार किया जाना तथा यथा संभव इनके उत्पादन केंद्रों पर अन्य समूहों के सदस्यों को भ्रमण कराना।
- बैंकों द्वारा डिफाल्टर घोषित व्यक्तियों की ग्रामवार सूची ब्लॉक आफिस व स्वैच्छिक संगठनों को उपलब्ध कराना।
- विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं–जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, स्वयंसेवी संगठनों, बैंकों के मध्य समन्वय हेतु एसजीएसवाई की ब्लॉक व जिला स्तरीय समिति की प्रत्येक माह अनिवार्य बैठक होना।
- विभिन्न सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी संगठनों द्वारा विद्यालय/ऑफिस/उद्यानों इत्यादि की आवश्यकता हेतु चाक, स्टेशनरी, नर्सरी, खाद इत्यादि सामान समूहों द्वारा उत्पादित कर बेचना।
- समूहों से संबंधित विकास नीति तय करने में स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाना।
- ग्रेडिंग पश्चात् समूहों को प्रशिक्षण की धरातलीय स्तर पर मांग अनुसार दिया जाना।
- बैंकों द्वारा नियमों में शिथिलता लाना तथा कार्यदायी संस्था को समूह व बैंक के मध्य जोड़ना।
- बैंकों को भी स्कीम लागू करने के लिए उत्तरदायी बनाना।
- उत्तम समूहों, संस्थाओं व सुविधादाता को शासन स्तर पर पुरस्कृत करना।
- एक ही समूह को उनकी इच्छानुसार दो या अधिक गतिविधियों हेतु चुनना तथा लाभार्थियों को निशुल्क प्रशिक्षण देना।
- समूह की अशिक्षित सदस्यों की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु विशेष कार्यक्रमों का चयन।
- दुर्गम स्थानों पर छितरे परिवारों को समूह से जोड़ने हेतु सदस्य संख्या पांच तक करना।
- समय–समय पर संशोधित नियमों की जानकारी, संबंधित कार्यदायी एजेंसियों को उपलब्ध कराना।
- कार्य न कर पाने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को काली सूची में डालना।
- समूह गठन का कार्य करने वाली संस्थाओं में से ही एंकर एन.जी.ओ. का चयन करना।

ग्रामीणों को संगठित होकर गरीबी से लड़ने, उनके अंदर बचत की तथा लेन–देन की भावना पैदा करने, साहूकार के शोषण से मुक्ति पाने तथा अपनी उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करते हुए स्वरोजगार से जोड़ने में स्वयं सहायता समूहों की विशिष्ट भूमिका है। अतः विकास की प्रक्रिया में स्वयं सहायता समूहों का अपनाया जाना श्रेष्ठ होगा। ❑

416, अशोक विहार, कैनाल रोड,
देहरादून (उत्तरांचल)

प्रश्नोत्तरी

(1) पहला आम चुनाव हुआ था :
- (क) 1999
- (ख) 1950
- (ग) 1952
- (घ) 1953

(2) भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए
- (क) 35 वर्ष
- (ख) 40 वर्ष
- (ग) 30 वर्ष
- (घ) 25 वर्ष

(3) भारत के राष्ट्रपति राज्य सभा के लिए नामित कर सकते हैं :
- (क) 6 सदस्य
- (ख) 9 सदस्य
- (ग) 12 सदस्य
- (घ) 15 सदस्य

(4) सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति आयु है :
- (क) 60 वर्ष
- (ख) 65 वर्ष
- (ग) 62 वर्ष
- (घ) 70 वर्ष

(5) मतदान का अधिकार निम्न में से किस आधार पर प्रदान किया जाता है :
- (क) शिक्षा
- (ख) उम्र
- (ग) संपत्ति
- (घ) धर्म

(6) सिक्किम भारत का अभिन्न अंग इस संविधान संशोधन के तहत बनाः
- (क) 42वें संशोधन
- (ख) 40वां संशोधन
- (ग) 39वां संशोधन
- (घ) 36वां संशोधन

(7) निम्न में से कौन–सी संघ शाषित क्षेत्र की विधान सभा नहीं हैः
- (क) गोवा
- (ख) पांडिचेरी
- (ग) मिजोरम
- (घ) अंडमान और निकोबार

(8) संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है :
- (क) 5 वर्ष
- (ख) 6 वर्ष
- (ग) 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले लागू हो।
- (घ) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले लागू हो।

(9) यूनियन केबिनेट जवाबदेह हैः
- (क) राज्य सभा तथा लोकसभा के प्रति
- (ख) भारत के राष्ट्रपति के प्रति
- (ग) केवल लोकसभा के प्रति
- (घ) निर्वाचन के प्रति

(10) लोकसभा के दो सेशन के बीच की खाली अवधि नहीं होनी चाहिए।
- (क) 3 माह से अधिक
- (ख) 6 माह से अधिक
- (ग) 9 माह से अधिक
- (घ) एक वर्ष से अधिक

उत्तर

1) ग 2) क 3) ग 4) ख 5) ख

6) घ 7) घ 8) घ 9) ग 10) ख

बी.पी.एल. परिवार और जीवन-रक्षण सुविधाएं

कु. नीलिमा अग्रवाल

राजस्थान के संदर्भ में विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि राज्य की 5.65 करोड़ की आबादी का 23 प्रतिशत भाग बी.पी.एल. परिवारों की श्रेणी में आता है। देश की जनसंख्या में आठवां स्थान रखने वाले इस राज्य में 15 से 23 वर्ष की आयु के मध्य 43 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों वक्त भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता तो और भी दयनीय स्थिति में है।

गरीबी रेखा रहन–सहन के सापेक्ष स्तर को प्रकट करती है। यदि कोई व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता और प्रतिदिन निर्धारित मात्रा से कम कैलोरी प्राप्त करता है तो वह गरीबी रेखा से नीचे अर्थात् (Below Poverty Line) माना जाता है। भारत में लगभग 36 करोड़ लोग बी.पी.एल. परिवारों की श्रेणी में आते हैं। जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) की दृष्टि से 175 राष्ट्रों में भारत का 127वां स्थान है जो इस क्षेत्र में भारत की निम्नतम स्थिति को ही इंगित करता है।

राजस्थान के संदर्भ में विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि राज्य की 5.65 करोड़ की आबादी का 23 प्रतिशत भाग बी.पी.एल. परिवारों की श्रेणी में आता है। देश की जनसंख्या में आठवां स्थान रखने वाले इस राज्य में 15 से 23 वर्ष की आयु के मध्य 43 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों वक्त भरपेट भोजन भी अप्राप्य है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता तो और भी दयनीय स्थिति में है। राजस्थान को 'बीमारू' राज्यों की श्रेणी में रखा गया है जहां अन्य समस्याओं के अतिरिक्त कुपोषण तथा बीमारी सबसे बड़ी चुनौती है।

सरकार ने गरीब जनता को ध्यान में रखते हुए *स्वास्थ्य सबके लिए* के संकल्प को साकार करने का निश्चय किया है। इस हेतु जीवन–रक्षण से जुड़ी अनेक परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया। ग्रामीण तथा शहरी बी.पी.एल. परिवारों के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की व्यवस्थाओं को दो स्तरों पर देखा जा सकता है :प्रथम – केंद्र सरकार के स्तर पर, और द्वितीय – राज्य सरकार के स्तर पर।

समाज के गरीब तथा पिछड़े तबके के जीवन–रक्षण हेतु केंद्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। 13 जुलाई, 2003 को बी.पी.एल. परिवारों के लिए *वरिष्ठ पेंशन बीमा* तथा *सार्वभौम स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम* की शुरुआत की गई। इन नवीन स्वास्थ्य योजनाओं में 70 लाख परिवारों को समेटने का लक्ष्य है जिससे गरीब वर्ग को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। सरकार ने अगले तीन वर्षों में पिछड़े राज्यों में 'एम्स' जैसे छः नवीन अस्पताल खोलने तथा जरूरतमंद कामगारों के लिए *अंशदायी बीमा योजना* प्रारंभ करने का भी लक्ष्य रखा है।

इसके अलावा विभिन्न अन्य परियोजनाएं भी इस दिशा में विशेष–रूप से चलाई जा रही हैं। *समेकित बाल विकास सेवा परियोजना–III* के अंतर्गत 132 परियोजनाओं में 190.68 करोड़ रुपयों के व्यय का लक्ष्य रखा गया जिससे बच्चों और महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार के प्रयास हो सकें। विश्व बैंक द्वारा पोषित *आई.पी.पी. नवम्* योजना में स्वास्थ्य प्रबंधन तथा स्वास्थ्य संसाधनों की आपूर्ति इत्यादि की समुचित व्यवस्था हेतु वर्ष 2001–02 में 66 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। इसी प्रकार यू.एन.एफ.पी.ए. द्वारा संचालित *एकीकृत जनसंख्या विकास परियोजना* में 42.62 करोड़ की लागत से प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य से जुड़े मसलों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

केंद्र की भांति राज्य सरकार ने भी अपनी नई जनसंख्या नीति के अंतर्गत चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया है। *'सेक्टर रिफॉर्म सेल'* के गठन के द्वारा 20 लाख रुपये की राशि समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए दी गई है। राजस्थान के 10 जिलों में *सुरक्षित मातृत्व परियोजना* की भी शुरुआत की गई जिससे मातृ मृत्यु दर में कमी आ सके। इसी प्रकार *राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना* यह व्यवस्था करती है कि बी.पी.एल. परिवारों में किसी भी प्रकार की मृत्यु की दशा में 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देय है। बी.पी.एल. परिवारों के लिए *राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना* भी चलाई जा रही है जिसमें पहले दो जीवित बच्चों तक प्रत्येक गर्भ पर 500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। गरीब परिवारों की स्वास्थ्य रक्षा

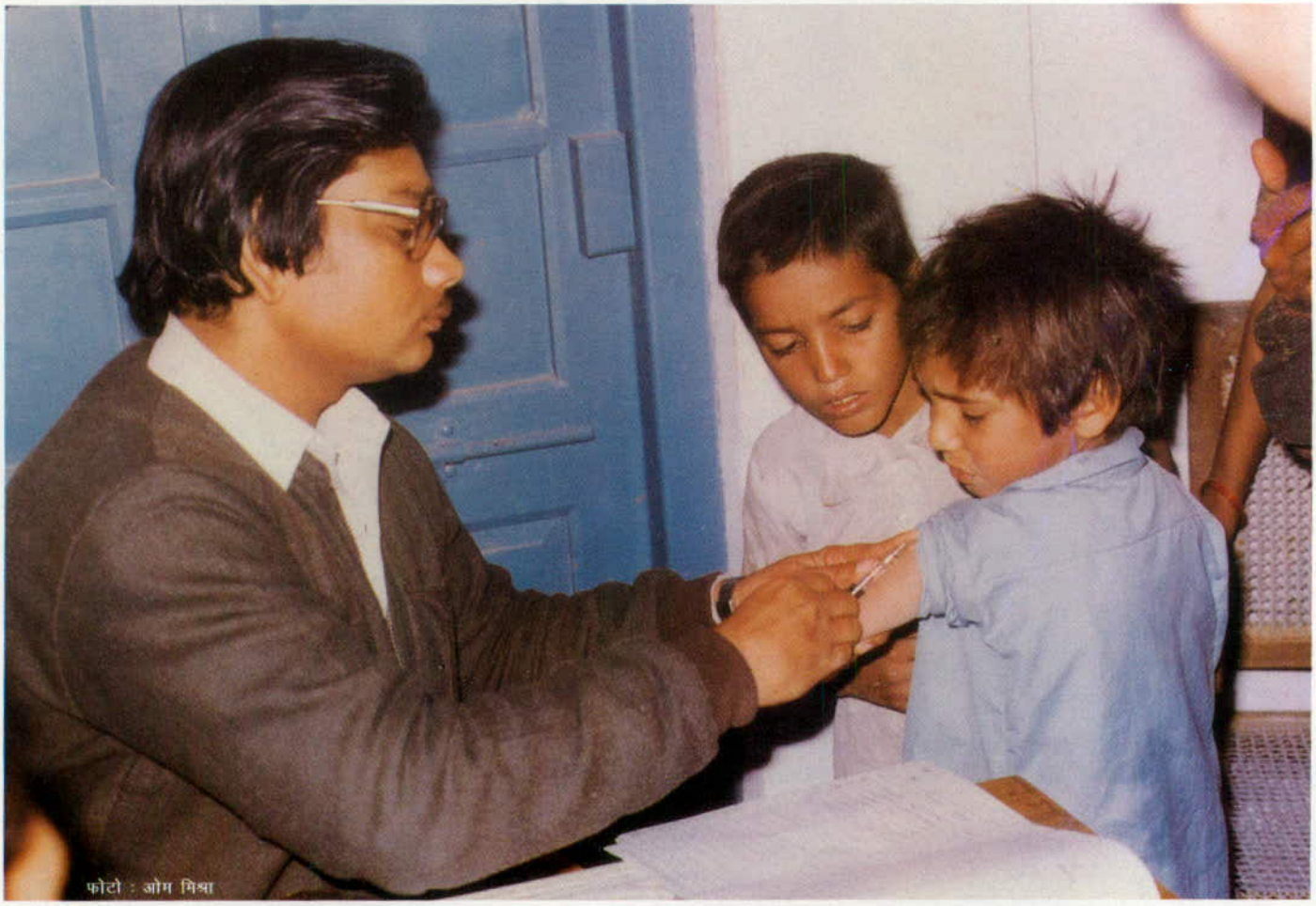

फोटो : ओम मिश्रा

के लिए *मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष* तथा *मेडीकेयर रिलीफ कार्ड* भी प्रारंभ किया गया है जिससे असहाय लोगों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था हो सके।

सरकार ने स्वच्छता हेतु जनचेतना अभियानों की भी शुरुआत की है। *आदर्श स्वच्छ ग्राम परियोजना* निर्धन जनता को सफाई तथा बीमारियों से बचाव के विभिन्न उपायों से अवगत करवाने से संबंधित परियोजना है जिससे गांवों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो सके। राज्य में यूनिसेफ के सहयोग से जल तथा सफाई कार्यक्रमों को संचालित करके रोगग्रस्तता और कुपोषण को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान की सफलता के बाद इसी प्रकार के शहरी कार्यक्रम 'प्रशासन शहरों के संग' में (26 जनवरी से 28 फरवरी, 2002 तक) पर्यावरण सुधार तथा सफाई के संदर्भ में विभिन्न जन चेतना कार्यक्रमों का संचालन किया गया।

उपर्युक्त सुविधाओं के उपरांत भी राजस्थान में बी.पी.एल. परिवारों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की अत्यंत आवश्यकता है। आज भी राज्य में शिशु मृत्युदर प्रति 1,000 शिशुओं पर 70 है। टीकाकरण कार्यक्रमों का कवरेज मात्र 40 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में चिकित्सालयों तथा दवाइयों का अभाव है। मंहगा इलाज तथा पर्याप्त जानकारी की कमी बी.पी.एल. परिवारों की मुख्य समस्या है। यही कारण है कि प्रदेश में प्रजनन योग्य उम्र की आधी महिलाएं रक्ताल्पता (एनीमिया) से पीड़ित हैं तथा संस्थागत प्रसव मात्र 8 प्रतिशत है। यद्यपि सरकार ने भ्रमणशील चिकित्सक ईकाइयों के द्वारा जन–जन तक पहुंचने का प्रयास किया है किंतु इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसी प्रकार शहरों में भी 12.06 लाख लोग ऐसी गंदी बस्तियों के निवासी हैं जहां स्वच्छता रखना एक चुनौती है। शिक्षा की कमी, रोजगार की अल्पता, आबादी में बेतहाशा वृद्धि, विषम भौगोलिक परिस्थितियां तथा पर्याप्त आर्थिक संसाधनों का अभाव आदि ऐसी प्रमुख कठिनाइयां हैं जिनके कारण विभिन्न जीवन–रक्षण परियोजनाएं अपेक्षित लक्ष्य की पूर्ति में असफल रही हैं।

बी.पी.एल. परिवारों के उत्थान हेतु भौतिक, वित्तीय तथा मानवीय संसाधनों को बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है। इसके लिए अलग–अलग स्तरों पर चल रहे सभी कार्यक्रमों के मध्य समन्वय बैठाना होगा। सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों की पारस्परिक सहभागिता से ही जन जागृति अभियान चलाए जा सकते हैं। वस्तुतः आज जरूरत इस बात की है कि सरकार के साथ–साथ जनता भी अपने उत्तरदायित्व को समझे क्योंकि *एक के लिए सब और सब एक के लिए* के सिद्धांत को अपनाने पर ही 'स्वास्थ्य सबके लिए' के लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। ❑

89, सोनाबाड़ी कॉलोनी,
गोपालपुरा बाई पास रोड
जयपुर–302015

स्वरोज़गार को बढ़ावा देता वर्मी कंपोस्ट

डा. विनोद कुमार सिंह

हमारे गांवों में परंपरागत खेती के अंतर्गत पहले किसानों द्वारा जो खेती की पद्धति उपयोग में लाई जाती थी उसमें गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद का उपयोग बहुतायत से किया जाता था, परंतु वर्ष 1967 में जब हमारे देश में हरितक्रांति का आगमन हुआ तो रासायनिक खादों का उपयोग एकाएक बढ़ गया। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग फसलों में अंधाधुंध रूप से बढ़ गया, फसलों को कीटों से मुक्ति तो मिली, परंतु उनकी गुणवत्ता एवं स्वाद में काफी फर्क पड़ गया तथा मित्र–कीटों की कमी भी खेतों में दिखाई पड़ने लगी।

जैसे धान की फसल में मित्र कीट–मेंढक, सांप, केंचुआ धीरे–धीरे नष्ट होने लगे। भूमि की दशा भी दिन–प्रतिदिन खराब होने लगी। आबादी के नजदीक वाले खेतों में केंचुए बहुतायत में पाए जाते थे, जिससे मिट्टी की पलटाई भलीभांति हो जाती है, परंतु वर्तमान स्थिति में मित्र कीट प्रायः विलुप्त से हो गए।

मृदा वैज्ञानिकों ने समय की मांग को देखते हुए और मिट्टी की उर्वरता को बचाने के लिए पुनः इस ओर सोचना प्रारंभ किया, जिससे कि कार्बनिक खादों का उपयोग अधिक से अधिक किया जाये तथा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जाए। ग्राम स्तर पर बेरोजगार नवयुवकों को वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन के लिए प्रशिक्षण देकर इस कार्य को आगे बढ़ा कर नवयुवकों में रोजगार का सुनहरा अवसर भी सृजित किया जा सकता है। साथ ही साथ राष्ट्र की उन्नति में युवकों का अमूल्य योगदान हो सकता है।

वर्मी कंपोस्ट के लिए आवश्यक सामग्री

कार्बनिक पदार्थ, जैसे–पुआल, खराब भूसा, सूखी घास, जलकुंभी, सब्जियों के छिलके, पशुओं का मल–मूत्र, सदाबहार के पत्ते एवं डंठल, सुगंधित फूलों के उपयोग के उपरांत अवशेष भाग से जो खाद तैयार होगी उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं :

वर्मी कंपोस्ट में पोषक–तत्वों की मात्रा

आर्गेनिक कार्बन	– 9.15–17.98 प्रतिशत
कुल नाइट्रोजन	– 0.5–1.5 प्रतिशत
फासफोरस	– 0.1–0.3 प्रतिशत
पोटेशियम	– 0.15–0.56 प्रतिशत
सोडियम	– 0.06–0.3 प्रतिशत
कैल्शियम व मैगनिशियम	– 22.67–70 मिली इक्यूलेट प्रति 100 ग्राम
कॉपर	– 2.95 पीपीएम
आयरन	– 2–9.3 पीपीएम
जिंक	– 5.7–11.5 पीपीएम
सल्फर	– 1280–5480 पीपीएम

वर्मी कंपोस्ट हेतु केंचुए

केंचुए मुख्य रूप से तीन प्रकार के पाए जाते हैं, ऊपरी सतह के एपीजेइक, मध्य सतह के एनेसिक और निचली सतह के इंडोजेइफ। ऊपरी सतह में पाए जाने वाले केचुओं से खाद तैयार की जाती है। ये सूखे पत्ते, गोबर, डंठल आदि को खाकर वर्मी कंपोस्ट की खाद बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने में केंचुओं की दो प्रजातियां एसीनियाफेटिडा और यूडीलसयूजनी ही ठीक पाई गई हैं। इंडोजेइफ प्रजाति (पेरिआनिक्स इक्स्टेस और पेरीआनिक्स सेंसीवेरिक्स) के केंचुओं को वर्मी कंपोस्ट बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। परंतु इनके द्वारा खाद धीरे–धीरे बनती है। एसीनिया फेटिडा केंचुआ की प्रजाति पूरे देश में वर्मी कंपोस्ट के उपयुक्त पाई गई है।

केंचुआ खाद तैयार करने की विधि

- इस खाद के उत्पादन हेतु किसी छायादार वृक्ष या छप्पर के नीचे जमीन पर 3 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा व 30 सेमी. ऊंचाई का गड्ढा बनाकर तैयार करते हैं। इस गड्ढे की आधारी सतह पर ईंट बिछाकर छिद्रों को बालू/सीमेंट से भर देते हैं। इसके बाद कार्बनिक पदार्थ के मिश्रण की तह बनाते जाते हैं।
- गड्ढे की भराई के लिए कूड़ा, पुआल, खरपतवार, जलकुंभी के टुकड़े, गोबर आदि गड्ढे में डालकर 1 से 2 किग्रा. केंचुआ डाल देते हैं। ध्यान रहे जो भी सड़ा–गला पदार्थ गड्ढे में डालें व दो–तीन सप्ताह तक घूरे में अवश्य सड़ा रहे। सड़े–गले पदार्थों का तापक्रम कम हो जाये तभी उसका प्रयोग गड्ढे में करना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बनाने में नमी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए समय–समय पर गड्ढे में हजारे से या पानी की फुहार डालकर नमी बनाए रखना चाहिए (विशेषकर गर्मी के महीनों में)। नमी की मात्रा 40–45 प्रतिशत तथा तापक्रम 20–30 डिग्री से.ग्रे. होना चाहिए तभी केंचुए वर्मी कंपोस्ट खाद अच्छी तरह तैयार करते हैं। डेढ़ टन मिश्रण से एक टन वर्मी कंपोस्ट की खाद तैयार हो जाती है। साथ ही तीन माह में एक हजार केंचुओं से लगभग नौ हजार केंचुए भी तैयार हो जाते हैं।

तैयार वर्मी कंपोस्ट का भंडारण

खाद को निकालने के दो–तीन दिन पूर्व पानी की फुहार देना बंद कर देना चाहिए इससे केंचुए तली में चले जाते हैं। खाद को निकालकर किसी छायादार सूखे स्थान पर ढेर लगाकर रखना चाहिए। खाद को 2 एमएल की छननी से छानकर 20–25 प्रतिशत नमी बनाये रखते हुए छायादार स्थान पर रखना चाहिए, अन्यथा खाद की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

वर्मी कंपोस्ट से स्वरोजगार

वर्तमान समय में वर्मी कंपोस्ट की खाद का बाजार मूल्य 5 रुपये प्रति कि.ग्रा. है। एक स्वरोजगारी एक गड्ढे से 45 से 60 दिनों में लगभग 5,000 रुपये की वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकता है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 6 टन वर्मी कंपोस्ट तैयार की जा सकती है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 25,000–30,000 रुपये होगा। इस प्रकार स्वरोजगार में लगा व्यक्ति एक माह में 2,000–2,500 रुपये की आमदनी कर सकता है। यदि इस रोजगार को स्वयं सहायता समूह से जोड़ दिया जाये तो 10–11 व्यक्तियों का एक समूह पूरे वर्ष में 66 टन वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकता है। जिसका बाजार मूल्य लगभग ढाई से तीन लाख रुपये होगा। ❑

प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (उद्यान),
दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ

सफरनामा राष्ट्रीय ध्वज का

कैलाश जैन

किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, वरन वह उस मुल्क के नागरिकों, देश की संस्कृति और सांस्कृतिक परंपराओं और समूची वतनपरस्ती व अस्मिता का केंद्रबिंदु होता है। दुनिया का इतिहास गवाह है कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा के लिए कई देशभक्तों ने अपने प्राणों की हंसते–हंसते आहुति दे दी है। आज भी कोई वतनपरस्त आदमी अपने देश के झंडे का अपमान बरदाश्त नहीं कर सकता।

राष्ट्रीय झंडा राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक माना जाता है। हर ध्वज के प्रतीकात्मक अर्थों की पृष्ठभूमि में परंपराओं का एक लंबा इतिहास छिपा होता है। हमारा वर्तमान तिरंगा राष्ट्रीय अभिव्यक्ति है। यह झंडा स्वतंत्रता संग्राम के उन अमर शहीदों की अनमोल यादगार है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष करते हुए अपना संपूर्ण जीवन होम कर दिया।

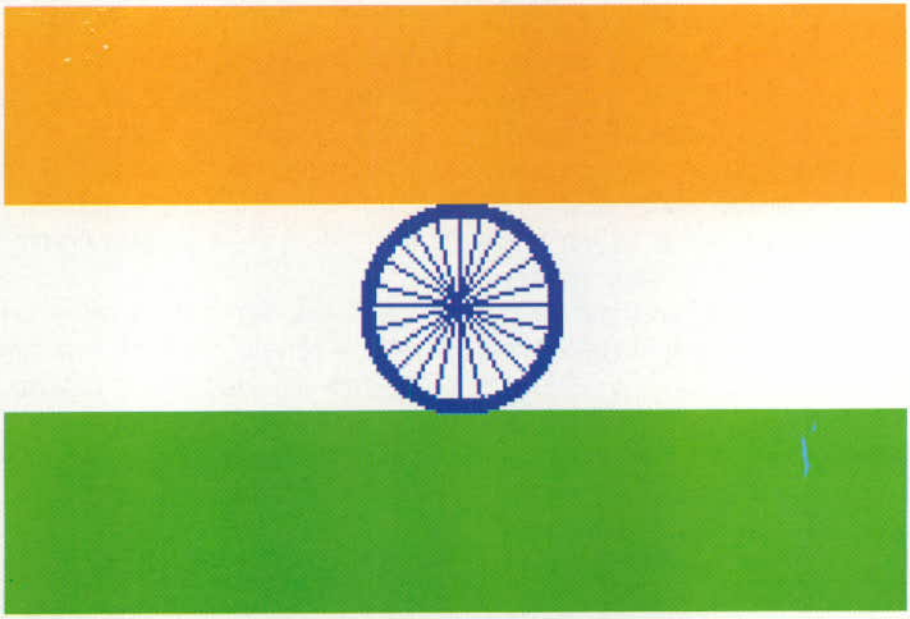

हमारे राष्ट्रीय झंडे के विकास का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम की कुर्बानियों का इतिहास है। ज्ञात इतिहास के अनुसार, प्रथम राष्ट्रीय ध्वज पारसी स्क्वेयर (ग्रीन पार्क) कलकता में फहराया गया। इस राष्ट्रीय झंडे में क्रमशः केसरिया, पीले तथा हरे रंग की तीन पट्टियां थीं। केसरिया पट्टी में भारत के तत्कालीन आठ राज्यों के प्रतीक के रूप में आठ कमल बने हुए थे। बीच की पीली पट्टी में देवनागरी लिपि में एक तरफ 'वंदेमातरम' लिखा हुआ था और नीचे वाली हरी पट्टी में एक ओर सूर्य और दूसरी ओर चंद्रमा को चित्रित किया गया था। इसके पश्चात् सन् 1907 में मादाम कामा और उनके प्रवासी क्रांतिकारियों के सहयोग से जर्मनी की राजधानी बर्लिन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 18 अगस्त, 1907 में हुई इस ध्वजारोहण–सभा में श्रीमति कामा ने आजादी के संग्राम का प्रथम ध्वज घोषित करते हुए लोगों से इसके अभिवादन की अपील की।

इसके पश्चात् सन् 1917 में लोकमान्य तिलक तथा कांग्रेस की संस्थापक एनी बेसेंट ने होम रूल के तहत एक और ध्वज बनाया, इसमें पांच लाल व चार हरे रंग की पट्टियां थीं। इसके मध्य में सात सितारे बने हुए थे। दाहिनी ओर अर्द्धचंद्र के साथ एक सितारा था और बाएं कोने में इंग्लैंड का राष्ट्रीय ध्वज 'यूनियन जैक' बना हुआ था। राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं ने 'यूनियन जैक' बने होने के कारण इस झंडे को मान्यता नहीं दी तथा कांग्रेस के विजयवाड़ा सम्मेलन में इसे पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया गया। सन् 1921 में लाला हंसराज ने लाल व हरे रंग की पट्टियों वाला ध्वज बनाया। इसमें लाल रंग की पट्टी हिंदुओं तथा हरी पट्टी मुसलमानों का प्रतीक थी। बाद में महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि देश में अन्य जातियों के लोग भी रहते हैं अतएव शेष जातियों के प्रतिनिधित्व के रूप में झंडे में सबसे ऊपर सफेद रंग की पट्टी और जोड़ी गई। इसके बीच में सादगी के प्रतीक के रूप में चर्खे का चिन्ह अंकित किया गया। इस झंडे को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता मिली। सन् 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में इस झंडे को फहराया गया।

सन् 1931 में कांग्रेस कार्य समिति ने कराची सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रीय झंडे के निर्माण हेतु एक सात सदस्यीय समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने कई सुझाव दिए लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। सन् 1933 में वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का मौलिक स्वरूप अस्तित्व में आया। इस झंडे में सबसे ऊपर शौर्य व त्याग के प्रतीक के रूप में केसरिया पट्टी, बीच में शांति, अहिंसा व प्रेम के प्रतीक के रूप में सफेद पट्टी और अंत में समृद्धि, संपन्नता तथा पारस्परिक विश्वास के प्रतीक के रूप में

हरी पट्टी का समावेश किया गया। इस झंडे की सफेद पट्टी पर गहरे नीले रंग से चर्खे का चिन्ह अंकित किया गया। कांग्रेस द्वारा मान्यता प्राप्त यह झंडा सन् 1947 में आजादी से पूर्व तक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा। सभी राष्ट्रीय अवसरों पर इसे फहराया जाता रहा।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व संविधान सभा द्वारा 23 जून, 1947 को राष्ट्रीय झंडे पर विचार करने हेतु 'राष्ट्र ध्वज समिति' गठित की गई। समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय ध्वज में चर्खे के स्थान पर अशोक चक्र अंकित किया गया जिसे भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया।

चर्खे के स्थान पर अशोक चक्र अंकित क्यों किया गया, इस संबंध में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा था – "ध्वज पर चर्खा इस प्रकार अंकित रहता था कि एक सिरे पर पहिया व दूसरे सिरे पर तकुआ रहता था। यदि झंडे को दूसरी ओर से देखा जाए तो पहिये पलट जाते थे। इसी व्यावहारिक कठिनाई के कारण ध्वज पर चर्खे के स्थान पर 'चक्र' का चिन्ह अंकित करने का निर्णय लिया गया।"

हमारे राष्ट्रीय ध्वज की तीनों आड़ी पट्टियों की लंबाई, चौड़ाई बराबर होती है। ध्वज की लंबाई–चौड़ाई का अनुपात 3 : 2 का होना चाहिए। बीच की सफेद पट्टी में उसकी पूरी चौड़ाई में गहरे नीले रंग का अशोक–चक्र अंकित किया जाता है। इस चक्र में चौबीस धारियां होती हैं।

राष्ट्रीय अवसरों पर सूर्योदय के बाद किसी भी समय राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है लेकिन सूर्यास्त से पूर्व उसे उतारना आवश्यक है। झंडे का दंड सीधा रहना और केसरिया पट्टी का ऊपरी सिरे पर होना जरूरी है।

राष्ट्रीय अवसरों पर सूर्योदय के बाद किसी भी समय राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है लेकिन सूर्यास्त से पूर्व उसे उतारना आवश्यक है। झंडे का दंड सीधा रहना और केसरिया पट्टी का ऊपरी सिरे पर होना जरूरी है। राष्ट्रीय ध्वज के पास किसी अन्य झंडे को उसके दाहिने ओर लगाना चाहिए तथा उसकी ऊंचाई राष्ट्रीय ध्वज से कम होनी चाहिए। गंदा या फटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शोक के अलावा अन्य किसी भी अवसर पर राष्ट्रीय झंडा झुका हुआ नहीं होना चाहिए।

राष्ट्रीय ध्वज के पास किसी अन्य झंडे को उसके दाहिने ओर लगाना चाहिए तथा उसकी ऊंचाई राष्ट्रीय ध्वज से कम होनी चाहिए। गंदा या फटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शोक के अलावा अन्य किसी भी अवसर पर राष्ट्रीय झंडा झुका हुआ नहीं होना चाहिए।

झंडे को फहराते समय उसे तेजी से ऊपर की ओर ले जाना चाहिए जबकि उतारते समय धीरे–धीरे उतारा जाना चाहिए। जुलूस आदि में चलने पर राष्ट्रीय ध्वज को दाहिने कंधे पर रखकर सबसे आगे चलना चाहिए। राष्ट्रीय अवसरों पर ध्वजारोहण के समय सावधान की मुद्रा में खड़े होकर ध्वज का अभिवादन करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का सजावटी कपड़े की तरह इस्तेमाल करना न केवल राष्ट्र का असम्मान है बल्कि यह दंडनीय अपराध भी है।

राष्ट्रीय ध्वज हमारे आत्म–गौरव का प्रतीक है, हर हालत में और हर कीमत पर राष्ट्रीय ध्वज का पूर्ण सम्मान करना हम सभी देशवासियों का अनिवार्य कर्तव्य है। हजारों देशभक्तों के बलिदान के बाद हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के रूप में यह तिरंगा झंडा हासिल कर पाए हैं, इस झंडे के सम्मान का प्रश्न समूचे राष्ट्र के अस्तित्व व अस्मिता से जुड़ा हुआ है। ❑

34, बंदा रोड,
भवानीमण्डी, (राजस्थान)

नई राष्ट्रीय युवा नीति

नई राष्ट्रीय युवा नीति वर्ष 2003 में घोषित की गई थी। किशारों पर बल देने के लिए युवाओं के आयु वर्ग को पहले के 15–35 वर्ष से पुनः परिभाषित कर 13–35 वर्ष किया गया है।

यह जानकारी युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री सुनील दत्त ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। इस नीति में चार मुख्य क्षेत्रों अर्थात युवा अधिकारिता, स्त्री–पुरुषों के बीच भेदभाव रहित नीति, अंतर–क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सूचना एवं अनुसंधान नेटवर्क को मान्यता दी गई है।

उन्होंने कहा कि यह नीति युवाओं से संबंधित मुख्य क्षेत्रों के रूप में निम्नलिखित को मान्यता प्रदान करती है क) शिक्षा ख) प्रशिक्षण और रोजगार ग) स्वास्थ परिवार कल्याण घ) पर्यावरण, पारिस्थितिकी और वन्य जीवन का संरक्षण ङ) आमोद–प्रमोद एवं खेल च) कला और संस्कृति छ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नागरिक शास्त्र और नागरिकता। यह युवाओं के विशेषाधिकार और जिम्मेदारी को भी रेखांकित करता है। इसमें कार्यान्वयन प्रक्रिया के लिए व्यवस्था है जिसके माध्यम से राज्य सरकारों और संघ के मंत्रालयों एवं विभागों की सक्रिय भागीदारी से विभिन्न युवा विकास कार्यक्रमों और गतिविधियों को चलाया जाना है।

स्तनपान सप्ताह पर विशेष

मां का दूध ही सर्वोत्तम आहार

इंदु जैन

हमारे देश में 95 फीसदी महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो शत–प्रतिशत महिलाएं स्तनपान कराती हैं। बावजूद इसके दुर्भाग्य इस बात का है कि स्तनपान की सही जानकारी न होने के कारण एक करोड़ बच्चे मौत का ग्रास बनते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र के अनुसार 15.8 फीसदी बच्चों को ही पौष्टिक आहार मिल पाता है। मां का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है जो उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप है। यह बात एन.एफ.एच.एस. के शोधों से सिद्ध हो चुकी है। हाल ही में हुए शोधों के अनुसार पहले छः माह स्तनपान करने वाले पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों की मृत्युदर 13 प्रतिशत घटा है।

इस क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए फूड एंड न्यूट्रीशन बोर्ड द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास के तहत प्रत्येक वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह को स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग की तकनीकी सलाहकार (टैक. एडवाइजर) डा. शशि प्रभा गुप्ता ने इस विषय की और जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे को डिलीवरी के 30 मिनट के बाद से ही स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए। स्तनपान कराना बच्चे और मां दोनों की सेहत के लिए लाभदायक है। बच्चे के पैदा होते ही उसका संपर्क बगैर वस्त्रों के, मां के स्तनों से कराना चाहिए ताकि बच्चा निप्पल को ढूंढकर आसानी से चूसना सीख पाए। स्तनपान कराने से ही मां के हार्मोन विकसित होते हैं और दूध भी बनना शुरू हो जाता है। बच्चे को दिन में या रात में जब भी जरूरत हो, थोड़ी–थोड़ी देर पर दूध पिलाना चाहिए।

अक्सर गांवों में देखा गया है कि बच्चे को तब तक मां के दूध से वंचित रखा जाता है जब तक कि दूध धुलाई की रस्म पूरी न कर ली जाए। रस्म के अंतर्गत महिलाएं बच्चे को मां का दूध पिलाने से पहले शहद या मोती चटाती हैं जिससे बच्चे को संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी रूढ़िवादी परंपराओं के कारण बच्चे को दस–दस दिन तक मां के दूध से दूर रखा जाता है, इस बीच बच्चे को ऊपर का आहार दिया जाता है जिससे बच्चे

को दस्त लगने या अन्य बीमारियां होने की शिकायत हो जाती है। वहीं बच्चे का स्पर्श न मिलने से मां के स्तनों में दूध नहीं बनता। यदि बनता भी है तो गांठें पड़ जाती हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि, स्तनपान न कराने के कारण मां को स्तन कैंसर, गर्भ कैंसर और ओस्टियोपोरोसिज़ (हड्डियों का खोखला होना) जैसी बीमारियां, हो जाती हैं।

स्तनपान से बच्चे को लाभ

- मां के दूध में प्रोटीन, वसीय अम्ल जैसे वे सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान रहते हैं जो उसके मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक होते हैं।
- मां का दूध वह प्राकृतिक दूध है जो बच्चे को डायरिया, निमोनिया और अस्थमा जैसे संक्रामक रोगों से सुरक्षित रखता है।
- ऐसे बच्चों का *(आई क्यू)* भी उन बच्चों से आठ गुना ज्यादा होता है जिन बच्चों को मां का दूध नहीं पिलाया गया।
- स्तनपान कराने से मां और बच्चे के बीच संबंध मजबूत बनते हैं।
- मां का दूध 24 घंटे उपलब्ध रहता है ये बच्चे के लिए प्रकृति की देन है जिसे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती।

स्तनपान से मां को लाभ

- गर्भ के दौरान बढ़े हुए वजन को कम करने में सहायक है
- स्तनपान कराने से गर्भाशय के सिकुड़ने में मदद मिलती है जिससे डिलीवरी के बाद का रक्त–स्राव कम होता है और मां को एनीमिया होने से बचाता है।
- मां को यदि डायबटीज है तो इंसुलिन को कम करता है। और गर्भ भी जल्दी नहीं ठहरता।
- मां को गर्भ, स्तन कैंसर और ओस्टियो पोरोसिज से बचाए रखता हैं।

डा. गुप्ता ने बताया कि केवल सिजेरियन ऑपरेशन से जन्मे बच्चे को मां की हालत सुधरने के चार से छः घंटों के भीतर ही स्तनपान कराना चाहिए। बच्चे को जल्द से जल्द स्तनपान कराने से दूध बनता रहता है।

बच्चे को पहले छः महीने केवल मां का ही दूध पिलाना चाहिए जो बच्चे के जीवन की बेहतरीन शुरुआत है। मां के दूध के अलावा पानी तक बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि मां के दूध में पानी की भी पर्याप्त मात्रा होती है। छह माह से पहले ऊपर का दूध, पानी या अन्य चीज खिलाने से बच्चे को दस्त, निमोनिया, डायरिया जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। इतने छोटे बच्चे में ऐसे एंजाइम नहीं होते जो कार्बोहाड्रेट को पचा सकें। छः महीने के बाद भी दो या अधिक सालों तक बच्चे को स्तनपान कराया जा सकता है लेकिन साथ–साथ और अर्ध ठोस पदार्थ भी खिलाएं तभी बच्चे को पूरक आहार मिल सकता है।

बच्चे को स्तनपान कराने से बच्चा सुरक्षित एवं निरोगी रहता है। इसलिए विश्व स्तनपान सप्ताह मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को महत्वपूर्ण स्तनपान सेवन के प्रति जागरूक करना है बल्कि उसे अमल में लाना भी है।

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चैन्नई के चारों महानगरों में फूड एंड न्यूट्रिशियन बोर्ड (एफएनबी) के चार क्षेत्रीय कार्यालय और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं (क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेट्रीज) हैं। इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 43 कम्युनिटी फूड एंड न्यूट्रिशियन एक्सटेंशन यूनिट हैं जो पोषण, शिक्षण व प्रशिक्षण गतिविधियों पर कार्य कर रही हैं। (सीएफएनईयू) पांच दिनों तक बाल विकास परियोजना अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देती हैं जो आगे अपने कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देते हैं। ये कार्यकर्त्ता आंगनवाड़ियों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्तनपान विषय पर जानकारी देते हैं। एफएनबी मुख्यालय ने पोषण और 'राष्ट्र निर्माण' पर 27 संक्षिप्त वीडियो फिल्में बनाई हैं जिन्हें उत्तर–पूर्वी चैनल, गुवाहटी चैनल और राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित किया जा चुका है। इसके अलावा पोषण और स्वास्थ्य विषय पर 30 एपीसोड प्रसारित किए जा चुके हैं। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए चार्ट व पोस्टरों का भी उपयोग किया जा रहा है।

भारत सरकार ने स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना भी बनाई। इसी योजना के अंतर्गत डाक्टर, नर्स, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता ऐसी माताओं को जानकारी देते हैं कि स्तनपान से पहले, बाद में और उसके दौरान किन–किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

2002 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और संयुक्त राष्ट्र बाल फंड (यूनिसेफ) ने भी नवजात शिशुओं के लिए योजना बनाई जिसे विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्यूएचए) ने भी अपनाया।

बाजार में खाद्य सामग्री निर्माता नवजात शिशुओं के लिए खाद्य पदार्थों का उत्पादन व प्रचार कर रहे हैं जिनसे माताओं का स्तनपान के प्रति विश्वास डगमगा रहा है इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1992 में ऐसे पदार्थों पर धारा 1992 (आईएमएस–इन्फेंटमिल्क सब्सिटीट्यूटस) लगाकर प्रतिबंध लगा दिया।

इस धारा में बाद में संशोधन किए गए। अब इस तरह के पदार्थों की बिक्री दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पीछे करना गैर–कानूनी है। ❑

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो और उसके साथ मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न हो। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख संपादक, ***कुरुक्षेत्र*** कमरा नं. 655/661, विंग 'ए' गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011 के पते पर भेजें।

हृदय रोग : कारण और बचाव

डा. ओमराज सिंह बिश्नोई

लाल, भूरा रंग, वजन 12 औंस, नाशपाती जैसा आकार, कुल मिलाकर प्रभावहीन रंग रूप किंतु आपका समर्पित तथा निष्ठावान सेवक, आपका हृदय। भारत में ही नहीं बल्कि सारे दक्षिण एशिया में हृदय रोग तेजी से एक भयंकर महामारी का रूप धारण करता जा रहा है। हमारे देश में पिछले दो दशकों में दिल का दौरा पड़ने वालों की मृत्यु दर में तीव्र गति से वृद्धि देखी गई है। लगाए गए अनुमानों के अनुसार हमारे देश में लगभग पांच करोड़ लोग हृदय रोगों से पीड़ित हैं। विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार सन् 2010 तक यह संख्या दस करोड़ तक होने का अनुमान है। हमारे देश में चालीस की दहलीज पार करने से पहले ही बहुत व्यक्ति इस रोग के शिकार हो रहे हैं जोकि एक चिंता का विषय है। सर्वेक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि यह रोग आर्थिक रूप से संपन्न लोगों तक ही सीमित नहीं है बल्कि हर वर्ग के लोग इससे त्रस्त हो रहे हैं। खुशी की बात यह है कि शोधों–अनुसंधानों के जरिए इस रोग की जड़ें खोज ली गई हैं तथा एहतियाती कदम उठाने पर इस रोग से बचा जा सकता है।

कभी–कभी व्यक्ति को हृदयाघात हो जाता है और व्यक्ति को उसका आभास भी नहीं होता। इस आघात का कारण धमनी में आया वह अवरोध होता है, जो आकार में बहुत छोटा और पृष्ठभाग की भित्ति पर स्थित होता है, जिस समय व्यक्ति को हृदय में मामूली–सा दर्द होता है, जिसका उसे पता भी नहीं लग पाता। यदि परिवार के किसी सदस्य को हृदय रोग रहा है अथवा है तो आप दिल की बीमारी के शिकार हो सकते हैं। आमतौर पर कोरोनरी धमनियां दिल की आवश्यकताओं का पूरा–पूरा ख्याल रखती हैं। दिल को जब–जब अधिक कार्य करना पड़ता है तब–तब धमनियों के आयतन में अपने आप फैलाव आ

जाता है। इससे उनके अंदर का बहाव बढ़ जाता है और दिल को मुश्किल समय के वक्त भी जरूरत के हिसाब से ईंधन मिल जाता है।

आयु के अनुपात में 140/90 रक्तचाप की आदर्श उच्च सीमा है। 140 उस रक्त का माप है जो संकुचित होने पर होता है और 90 वह रक्त दाब है, जब दो धड़कनों के बीच में विश्राम कर रहा होता है। रक्तचाप की सीमा अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें बढ़ोतरी होती है, जब विश्राम अंतराल घट जाता है। विश्राम के अभाव में लगातार कार्य करने के कारण हृदय स्वयं को मृत्यु की ओर धकेल देता है।

समस्या तब पैदा होती है जब धमनियों में किसी वजह से रुकावट आ जाती है अर्थात वे सिकुड़ जाती हैं। धमनियों की दीवारों में भीतर की तरफ वसा की परत जम जाना इसका सबसे बड़ा कारण होता है। उम्र के साथ उनके लचीलेपन में भी कमी आ जाती है। कुछ लोगों की धमनियां अपने आप ही बार–बार स्पेज्म (सिकुड़न) में चली जाती हैं। इससे उनका आयतन छोटा हो जाता है और उनमें रक्त का बहाव कम हो जाता है। उस स्थिति में दिल को उसकी खुराक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में दिल पर कभी ज्यादा काम का भार पड़ता है, वह उसे सहन नहीं कर पाता और बेचैन होकर अपनी रुग्ण अवस्था की सूचना बाहर भेजने लगता है – अलग–अलग लक्षणों के रूप में। दिल की धमनियों का इस तरह अवरुद्ध हो जाना ही कोरोनरी धमनी रोग के नाम से जाना जाता है।

विश्व में अध्ययनों के माध्यम से यह सिद्ध हो चुका है कि उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर), मधुमेह (डाइविटीज) अधिक धूम्रपान, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की बढ़ोतरी और परिवार में रोग का इतिहास कोरोनरी धमनी रोग से जुड़े प्रमुख कारण हैं। इनमें पहले चार कारणों पर अंकुश लगा पाना संभव नहीं है। उक्त रक्तचाप और मधुमेह होने पर दवा और सावधानी, कोलेस्ट्राल की मात्रा घटाने के लिए खानपान में परहेज और धूम्रपान त्याग देने से रोग की आशंका जाती रहती है। मानसिक तनाव (स्ट्रेस), मोटापा, शारीरिक मेहनत न करना, मदिरापान, उग्रस्वभाव और अकेलेपन का भी रोग से करीबी संबंध पाया गया है। जीवन शैली में बदलाव लाकर इनसे भी बच पाना संभव है।

हृदय रोग के प्रकार

जन्मजात हृदयरोग (कंजेनोटल हार्ट डिसीज)

जन्म के समय एवं बचपन में वयस्क बचपन के बाद (सांस भारी होना या भरना (डिस्नीआ), छाती में दर्द, नीले नाखून/नीले होंठ, बेहोशी आना, दिल की धड़कन का मालूम होना (पेलपिटेशन), सोजिश आना (सूजन, खांसी)।

रयूमेटिक (वाल्ववूलर) हार्ट डिसीज (गठिया वाय से जनित)

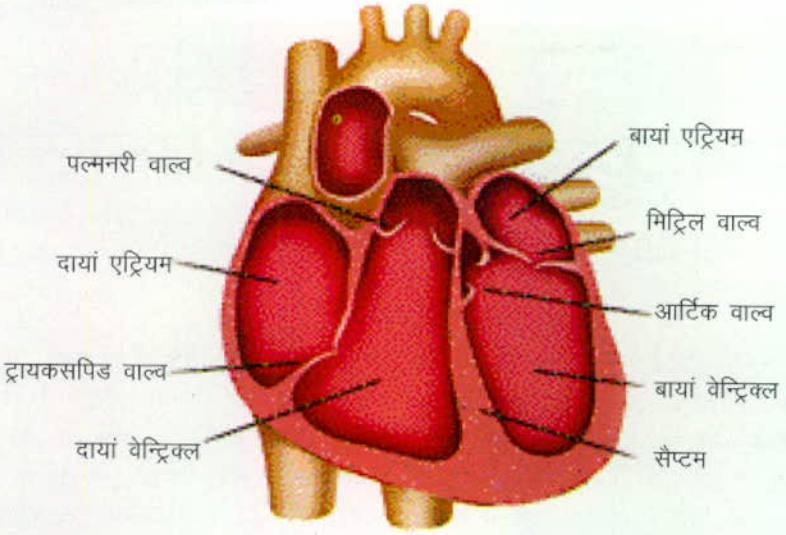

अक्सर 5 से 15 साल के बीच गले के संक्रमण के पश्चात गठिया वाय (रयूमेटिक फीवर) होता है। बीमारी जोड़ों में होती है। जोड़ों में दर्द या सूजन आ जाती है तथा इसे फ्लीटिंग आर्थराइटिस भी कहा जाता है।

उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर)

सिर में भारीपन, काम करने के पश्चात् अधिक थकान का होना। जैसे–जैसे उच्च रक्तचाप बढ़ता जाता है, तथा लक्षण खत्म होते जाते हैं और कहा जाता है कि अत्यधिक रक्तचाप का कोई लक्षण नहीं होता है। उच्च रक्तचाप के कारण लकवा, हृदयाघात, आंख की ज्योति अचानक कम होना या गुर्दे पीले होने पर ही पहली बार उक्त रक्तचाप का पता चलता है।

एंजाइना/मायाकार्डियल इंफार्क्शन (हृदयाघात)

हृदय को रक्त संचार करने वाली धमनियों कोरोनरी आर्टरीज में वसा (कोलेस्ट्राल) के जमाव की वजह से उनमें आंशिक उत्तरोर्ध उत्पन्न हो जाता है। इससे हृदय को अपर्याप्त आपूर्ति होती है जिससे सीने में दर्द उठता है तथा भारीपन का बाएं हाथ में या पीठ में जाना–दांत में दर्द होना एंजाइना हो सकता है।

कार्डियोमायोपैथी एवं मायो कार्डिआरटिस (हृदय की मांसपेशियों की बीमारी)

दिल की किसी एक कोरोनरी धमनी में जब किसी वजह से एकाएक रुकावट आ जाती है और उसमें रक्त का दौरा रुक जाता है और बेचारा दिल कराह उठता है। उसके उस भाग की मांसपेशियां आक्सीजन के बिना जीवित रहने में कठिनाई का अनुभव करती हैं। दिल का दौरा या हार्ट अटैक इसे ही कहते हैं। यह कई प्रकार का होता है। बुखार का होना, सांस फूलना, सूजन आना तथा हार्ट फेल्योर के सभी लक्षण इस बीमारी के द्योतक हैं।

ट्यूमर ऑफ दी हार्ट

बेहोशी आना, सांस फूलना, चेहरे पर सूजन आना मुख्य लक्षण हैं।

पेरिकार्डियल डिसीज

पैरों, पेट तथा चेहरे पर सूजन, सांस फूलना, खांसी में खून आना, अत्यधिक सांस आना।

बाहरी चोट

छाती पर चोट के पश्चात सांस का फूलना तथा थूक में खून का आना।

कैसे बचाएं दिल!

प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना कुछ समय निकालकर व्यायाम करना चाहिए। दिल के मरीज को रात्रि भोजन के बाद सैर पर जाना कतई ठीक नहीं है। भोजन में सतर्कता बरतें। रक्त में कोलेस्ट्राल की मात्रा और हृदय रोग के बीच एक अटूट रिश्ता है। इसलिए तला हुआ, अधिक वसायुक्त जिसमें कोलेस्ट्राल की मात्रा अधिक होती है, भोजन नहीं खाना चाहिए। वह व्यक्ति जो बाइपास ऑपरेशन करवा चुके हैं उन्हें वसायुक्त खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए अन्यथा रोग दोबारा भी हो सकता है। घी, मक्खन, अंडे, मुर्गा, कचौड़ी, समोसे, परांठे, टिक्की और पकौड़ों आदि से दूर रहा जाए तो अत्यंत ठीक होगा। कैफीन दिल की धड़कन तेज करती है इसलिए जहां तक हो सके, काफी और चाय भी कम से कम लें। धूम्रपान या मदिरापान का शौक हो तो दिल की खातिर इनका इस्तेमाल एकदम नहीं करना चाहिए। अपने शारीरिक वजन को न बढ़ने दें तथा जीवन में मानसिक तनाव से बचें। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो या मधुमेह (शुगर) हो, तो उनके लिए समय से दवा लेते रहें और पूरा परहेज रखें। इससे दिल बीमार होने से बच सकेगा।

दिल के दस नियम

1. मन को हमेशा उत्साहपूर्ण एवं प्रफुल्लित रखें। चिंता तो आती है, परंतु हमेशा चिंतायुक्त एवं कुंठित रहना अपने हृदय रोग को बढ़ाना है।
2. भोजन प्राकृतिक, संतुलित और उचित मात्रा में करें। ज्यादा खाना खाने से बचना चाहिए।
3. धूम्रपान एवं मद्यपान जैसी बुरी आदतों से बचना चाहिए।
4. शारीरिक परिश्रम, व्यायाम और खेलकूद को अपनी दिनचर्या का आवश्यक और अभिन्न अंग बनाए रखें।
5. मधुमेह तथा रक्तचाप को नियमित जीवन, उचित आहार और व्यायाम से और आवश्यकता हो तो औषधियों से नियंत्रित करें क्योंकि इनके रोगियों में हृदयरोग की संभावनाएं अधिक होती हैं।
6. मधुमेह, रक्तचाप और हृदय को रक्त धमनियों के रोग (कोरोनरी हृदयरोग) का एक मूल कारण मोटापा है। वास्तव में मोटापे का होना स्वयं ही एक रोग है।
7. मधुमेह, रक्तचाप और हृदय की धमनियों के रोग की प्रारंभिक अवस्था का पता लगाना कठिन कार्य है। जहां तक संभव हो सके 35 वर्ष की आयु के पश्चात् नियमित शारीरिक परीक्षण करवाते रहना चाहिए।
8. अगर आप रोग के शिकार हो चुके हों, तब अच्छे चिकित्सक का चुनाव करके तथा उसमें आस्था रख और उसके सुझावों तथा मशवरे के अनुसार दिनचर्या बना लें।
9. औषधियां अगर जरूरी हों तो उनको नियमित रूप से लेना चाहिए।
10. हृदय रोग के कारण भयग्रस्त न हों। भय अपने आप में ही एक भयंकर रोग है। इसलिए अपना आत्मविश्वास बनाए रखें तथा भयमुक्त होकर हृदयरोगी होने के बावजूद भी अपना जीवन सरल, सुलभ व सहज बनाएं। ❑

निपसिड, हौजखास
नई दिल्ली–110016

नीम रोशनी में सब कुछ देखने का प्रयास

राकेश रेणु

नीम रोशनी में; कवि : मदन कश्यप; मूल्य: 80/–रु.; पृष्ठ सं. 94; प्रकाशक : आधार प्रकाशन, एससीएफ 267, सैक्टर–16, पंचकूला–134113 (हरियाणा)

समकालीन युवा कवि छोटे–छोटे चरित्रों, घटनाओं और प्रतीकों के माध्यम से अपने समय के बड़े संकटों को उनकी पूरी जटिलता, भयावहता और अंतर्विरोधों के साथ उजागर करते हैं। मदन कश्यप की कविताएं इसका उदाहरण हैं। मदन न केवल कविता विषय में गहरे पैठने में समर्थ हैं, बल्कि बना लेने में भी समर्थ हैं। 'नीम रोशनी में' उनका दूसरा कविता संग्रह है। 'लेकिन उदास है पृथ्वी' (1993) शीर्षक उनके पहले कविता–संग्रह से पहले 'गूलर के फूल नहीं खिलते' (1990) शीर्षक उनकी एक कविता–पुस्तिका भी प्रकाशित हो चुकी है।

'नीम रोशनी में' खड़े मदन कश्यप नीम रोशनी के चलते कुछ भी साफ–साफ न देख पाने की स्थिति का उल्लेख करते हैं। वह कहते हैं कि नीम रोशनी में "सबकुछ दीखता है/पर कुछ भी साफ–साफ नहीं दीखता" और "कविता नहीं लिखी जा सकती" लेकिन जितना कुछ वह देख पाए हैं और जैसी कविताएं लिख पाए हैं उनसे यह बात पुख्ता होती हैं कि वह चीजों और घटनाओं की विसंगतियों को पहले की बनिस्बत ज्यादा स्पष्ट और अनेक कोणों से देख पाने में समर्थ हैं।

चार हिस्सों में विभक्त इस संग्रह में अनेक स्मरणीय कविताएं हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण संग्रह के अंतिम दो खंड हैं। इसलिए पहले उनकी चर्चा। 'नीम रोशनी में' का तीसरा खंड हमें व्यवस्था और उसके नियामक की अमानवीयता से रू–ब–रू कराता है। इसने पूरे देश और समाज को दयनीय बना दिया है। यह कभी 'विजेता की भयावह हंसी' हंसता दिखाई देता है तो कभी 'जोकर' के रूप में समाज, देश, मानव–मूल्य और जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसकी खिल्ली उड़ाता हुआ दिखाई पड़ता है। वह जिसे छूता है, जोकर बन जाता है, जहां उपस्थित होता है वही प्रहसन बन जाता है। 'जोकर' शीर्षक यह कविता आरंभ में मलयालम कवि चंद्रशेखर कंबार की विलोम की काव्य–शैली की याद दिलाती है। शुरू में यहां जोकर हाशिये के केंद्र में आने, भदेस के मुख्यधारा में आने और आभिजात्य को विस्थापक बनने और अब तक जो हास्य और मजाक का पात्र रहा है उसके मुख्य धारा में आने तथा अबतक प्रभु बने वर्ग के पृष्ठभूमि में खिसकने का बिंब रचता प्रतीत होता है। दूसरे शब्दों में यह दलितों और वंचितों के बीच से नेतृत्व के उभरने और सत्ता के केंद्र में आने का संकेत देता प्रतीत होता है। यहां तक विलोम की कविता रूप लेती दिखाई देती है लेकिन शीघ्र ही जोकर विलोम का प्रतिलोम रचने लगता है। सत्ता में आते ही उसका वर्ग–चरित्र बदल चुका है। वह गंभीर से गंभीर चीज को मजाक में बदल देने में माहिर है। वह अपने विरोधियों और धूर्त–चालबाजों को अपनी ही तरह नाक–नक्श हीन "धब्बों और रेखाओं" में बदल देने में सिद्धहस्त है।

इस खंड की कविताओं में हम हताश करने वाली शक्तियों के बीच से जनमती क्रूरता को देखते हैं जो हताशा को और गहरा करती है।

चौथे खंड में 'कालयात्री' शीर्षक से एकमात्र लंबी कविता है जो तमामतर विपरीत स्थितियों के बीच कविता–कर्म में अंतर्निहित बुनियादी आशावाद की सशक्त अभिव्यक्ति देती है। उम्मीद की यह लौ हताशा और निराशा के शताब्दियों लंबे अंधकार में भी टिमटिमाती रहती है और जीने का संबल बनती है। यहां मदन कश्यप का कालयात्री मोहन जोदड़ो–हड़प्पा और बेबीलोन की सभ्यताओं की अंतर्यात्रा करता हुआ हमारे मौजूदा समय तक आता है जो भूमंडलीकरण, लुटेरी व्यवस्थाओं और जीवन की बुनियादी सुविधाओं से वंचित भूखे–वंचित लोगों का वर्तमान है। संग्रह की यह अंतिम कविता न केवल संग्रह की वरन् मदन के अब तक के प्रकाशित समग्र कवि कर्म की श्रेष्ठतम रचना है।

हमारे समय के अधिकांश युवा कवियों ने अपनी कविताओं में लोक रंग का भरपूर इस्तेमाल किया है और उसे अपने समय के न केवल यथार्थ बल्कि उसकी विसंगतियों की पहचान का महत्वपूर्ण औजार बनाया है। यहां भी संग्रह के पहले ही खंड में वह लोकजीवन की जड़ों तक जाते हैं और "आषाढ़ की बारिश में उपजे मोथे की जड़ों की तरह अपने इस विश्वास को सींचते और मजबूत करते हैं कि "जीवन में चाहे हर बार जीतता हो। अत्याचारी कभी नहीं जीत पाता था गीतों में।" लोकजीवन में मां है और मां की आंखों में उम्मीद और विश्वास भरे गीतों का महासमुद्र।

संग्रह में अनेक अच्छी कविताएं हैं जिनमें प्रेम और इतिहास को समझने की नई दृष्टि है। यहां अनेक ऐसे तत्व हैं जिन्हें छोड़ना पड़ रहा है और जिनका ज्यादा से विस्तार और विश्लेषण करने की जरूरत है। लेकिन इतना तय है कि मदन का यह दूसरा संग्रह जीवन को उसके बहुआयाम के साथ समझने और विश्लेषण करने की सर्वथा नवीन दृष्टि से संपन्न है और इसलिए उन्हें अनेक समकालीन कवियों से अलग पहचान देता है। ❑

हरियाली और स्वजलधारा योजनाओं संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन

किसी भी ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के संशोधन का कार्य निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है और इसे क्षेत्रीय वास्तविकताओं के आधार पर समय–समय पर शुरू किया जाता है। तदनुसार, वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों, जिन्हें पहली अप्रैल, 1995 से लागू किया गया था, को अगस्त 2001 में संशोधित किया गया था। तत्पश्चात, वाटरशेड विकास संबंधी कार्यकलापों के सभी पहलुओं में पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार प्रदान करने हेतु इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को अप्रैल, 2003 में पुनः संशोधित किया गया था तथा इनका नाम बदलकर 'हरियाली के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत' किया गया था। ये मार्गदर्शी सिद्धांत तथा स्वजलधारा योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए योजनाओं के कार्यकलापों में भाग लेने हेतु अवसर प्रदान करते हैं। क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में गैर–सरकारी संगठनों से स्वजलधारा मार्गदर्शी सिद्धांतों में परिकल्पित भूमिका अदा करने की आशा की जाती है। गैर–सरकारी संगठनों के चयन में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा बरती गई सावधानी के आधार पर गैर–सरकारी संगठनों के कार्य–निष्पादन में एक परियोजना से दूसरी परियोजना में भिन्नता होती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मोबाइल और डब्ल्यूएलएल सेवा

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में 73 जिलों में सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदान करने की योजना बनाई थी। इन 73 जिलों में से **बीएसएनएल** ने अब तक 58 जिलों में सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदान की है।

केवल दो सेवा प्रदाताओं नामतः मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने असम में मोबाइल सेवा शुरू की है। मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों के भीतर असम में संतोषजनक सेवा प्रदान कर रहा है। **बीएसएनएल** ने फरवरी, 2004 में सेवा शुरू की है और सामान्यतः सेवा की गुणवत्ता संतोषजनक देखी गई है। तथापि, कुछ क्षेत्रों में कॉलों की भारी संख्या के कारण हो रहे संकुलन को मौजूदा वित्तीय वर्ष अर्थात् 2004–05 के दौरान प्रस्तावित विस्तार योजनाओं के माध्यम से दूर किया जा रहा है।

मौजूदा वित्तीय वर्ष अर्थात् 2004–05 के दौरान **बीएसएनएल** ने असम में 37 नए इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई है।

नशे की लत छुड़ाने संबंधी प्रायोगिक कार्यक्रम का विस्तार

सरकार ने नशे की लत छुड़ाने संबंधी प्रायोगिक कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है। इस तरह के कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए सरकार, सरकारी और गैर–सरकारी हित धारकों की सहायता लेगी ताकि सामाजिक तकाजों को पूरा किया जा सके। इस प्रायोगिक कार्यक्रम के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और नशीले पदार्थों व अपराध के संयुक्त राष्ट्र सहायता प्राप्त इन कार्यक्रमों के जरिए नशे के आदी लोगों में एड्स/एचआईवी की रोकथाम के लिए जागरुकता पैदा की जाती है। इन सभी सौ केंद्रों में एड्स/एचआईवी की रोकथाम करने और जागरूकता पैदा करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये केन्द्र नशे की लत की रोकथाम और एचआईवी/एड्स की रोकथाम के बीच कड़ी का काम करते हैं क्योंकि नशे के आदी लोग ज्यादातर नसों में इंजेक्शन लगाकर नशीले पदार्थ लेते हैं जिससे एचआईवी से ग्रस्त होने का जोखिम बढ़ जाता है। सरकार की इस पहल का गैर–सरकारी संस्थाओं और समुदायों ने स्वागत किया है।

इसके अलावा, सरकार ने कार्य स्थलों ने कार्य स्थलों में नशीली दवाओं और शराब के सेवन की रोकथाम के लिए योजना में एक विशेष प्रावधान किया है। नशीली दवाओं और शराब के सेवन से न सिर्फ कामकाज पर प्रभाव पड़ता है बल्कि इनमें दुर्घटनाओं बीमारियों और मृत्यु की दर में भी इजाफा होता है।

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. 12057/2003-05
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.) -55/2003-5

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL 12057/2003-05
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2003-05
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

आज ही अपने एजेंट से
रोज़गार समाचार की प्रति बुक करायें!

रोज़गार समाचार

रोज़गार, व्यवसाय तथा समसामयिक विषयों की एक संपूर्ण मार्गदर्शक पत्रिका ने
राष्ट्र की सेवा के 28 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

अब और नये आकर्षक तथा पाठक उपयोगी कलेवर में!
नये फीचर, व्यवसाय मार्गदर्शन और नये उभरते क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर

जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें

रोज़गार समाचार

पूर्वी खण्ड-4, तल-5, रामकृष्ण पुरम
नई दिल्ली, फोन 26182079

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

ग्रो. उमाकांत मिश्र, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित।
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया-II, नई दिल्ली-20 : संपादक : स्नेह राय